तृतीय माला, खण्ड १६—अंक ३७

सोमवार, ८ अप्रैल, १९६३
१८ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

(खण्ड १६ में अंक ३१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या* ७५९ से ७६६ और ७६८ से ७७२ . .	३६६९—९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६७, और ७७३ से ७७९ . .	३६९१—९५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५८५, १५८६, १५८८ से १६२६ .	३६९५—३७१२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३७१२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति . .	३७१२
सदस्यों द्वारा वक्तव्य	३७१२—१५
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . . .	३७१२—१५
डा० पं० शा० देशमुख .	३७१५
बंगाल वित्त (बिक्री-कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित .	३७१६
अनुदानों की मांगें	३७१६—६२
प्रतिरक्षा मंत्रालय	
श्री दा० रा० चह्वाण . .	३७१६—२५
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	३७२५—६२
श्री दाजी . . .	३७२६—२९
श्री मुरारका	३७२९—३२
श्री जसवन्त मेहता . . .	३७३२—३३
श्री हिम्मतसिंहका . . .	३७३३
श्री म० प० स्वामी	३७३३—३४
श्री ओंकार लाल बैरवा	३७३४—३७
श्री सिंहासन सिंह	३७३७—४०
श्री द्वारका दास मंत्री	३७४०—४३
श्री प्र० कु० घोष	३७४३—४४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख्य पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ८ अप्रैल, १९६३

१८ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आयुध कारखानों के कर्मचारी

†*७५९. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश के आयुध कारखानों के कर्मचारी रविवारों तथा छुट्टियों के दिन भी कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) क्या वे कारखाना अधिनियम के अधीन जिस अधिक समय तक काम करने के भत्ते को पाने के अधिकारी हैं, उससे कम भत्ते का भुगतान स्वीकार कर रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आपात-काल की घोषणा किये जाने पर आयुध कारखानों ने रविवारों तथा छुट्टियों को मिला कर सप्ताह में सात दिन कार्य किया था और उस समय प्रत्येक कर्मचारी को प्रति पन्द्रह दिन में एक दिन का विश्राम दिया गया था। फरवरी, १९६३ से यह कारखाने (निरन्तर कार्य करने वाले विभागों के अतिरिक्त) हर तीसरे रविवार को कार्य कर रहे हैं। उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को बनाये रखने के लिये, जब कभी आवश्यक होता है, सवेतन छुट्टियों के दिन भी कार्य किया जाता है।

(ख) जी नहीं। रविवारों तथा छुट्टियों के दिनों के लिये अधिक समय तक काम करने के भत्ते को मिला कर कर्मचारियों को उनकी पूरी मजूरी दी जाती है जो कि उन्हें कारखाना अधिनियम के अधीन देय है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के कर्मचारी अपने अधिक समय तक काम करने के वेतन तथा अन्य भत्तों में से बहुत सा भाग राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे रहे हैं ? यदि हां, तो उनके द्वारा दी गई कुल धन राशि कितनी है ?

†**श्री रघुरामैया** : अब तक लगभग २६ लाख रुपये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच अधिक समय तक काम करने के लिये भत्तों के भुगतान में भेदभाव किये जाने के कारण आयुध कारखानों के, विशेषतया उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के, गैर-औद्योगिक कर्मचारियों में गंभीर असंतोष है । क्या इस मामले में वित्तीय प्राधिकारियों से बातचीत की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री रघुरामैया** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य उस अन्तर का उल्लेख कर रहे हैं जो कि इन दो प्रवर्गों को अधिक समय काम करने के लिये दी गई मजूरी की मात्रा में है । यदि ऐसा है, तो इस मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश व बंगाल के बाहर के सभी आयुध कारखानों में विशेषतया मध्य प्रदेश के आयुध कारखानों में, अधिक समय तक काम करने के लिये मजूरी की दरों के सम्बन्ध में औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच यह जो भेद है उसे बहुत समय पूर्व दूर किया जा चुका है और उन्हें एक ही दर पर मजूरी मिल रही है ? यदि हां, तो केवल इन दो राज्यों में ही यह भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा कि मैंने बताया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति में सरकार ने इन कर्मचारियों की राजनीतिक दृष्टि से नई काट छांट कर ली है ?

†**श्री रघुरामैया** : हम यह सर्वदा ही सुनिश्चित करते हैं कि हमारे अनेक कारखानों में अच्छे तथा स्वामिभक्त कर्मचारी हों ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : आपातकाल से पूर्व इन कारखानों में कितनी पालियों में कार्य किया जा रहा था ?

†**श्री रघुरामैया** : आपातकाल से पूर्व, कुछ कारखानों के अतिरिक्त जहां कि उत्पादन के शेष कार्य को पूरा करने के लिये एक से अधिक पालियों में कार्य करना आवश्यक था, अन्य सभी कारखानों में केवल एक ही पाली में कार्य किया जा रहा था । वास्तव में, आपातकाल के पश्चात् स्थिति बदल गई है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ**: : क्योंकि अब कर्मचारियों ने अधिक समय तक कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तो क्या गुणों और परिमाण दोनों ही की दृष्टि से उत्पादन उस निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है जो आपातकाल के पश्चात् निर्धारित किया गया था ?

†**श्री रघुरामैया** : निश्चय ही, गुणों तथा परिमाण दोनों ही दृष्टि से, उत्पादन में वृद्धि हुई है । मुझे विश्वास है कि कर्मचारी देशभक्ति की महान भावनाओं तथा उत्साह से कार्य कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या सरकार ने उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से अधिक समय तक काम करने के लिये भत्ते देने की प्राचीन प्रणाली को हटा कर कार्य कुशलता अधिलाभांश देने की नई पद्धति को चलाने के प्रश्न पर विचार किया है ?

†**श्री रघुरमैया** : अधिक उत्पादन और अधिक अच्छी कार्यकुशलता प्राप्त करने की हमारी अनेकों योजनायें हैं। अधिक समय तक कार्य करने का भत्ता अधिक समय तक किये गये कार्य के सम्बन्ध में दिया जाता है और यह मजूरी भुगतान अधिनियम के अधीन किया जाता है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं इन कारखानों में नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या जान सकती हूं ? क्या यह सच है कि उनमें से कुछ उस रूप में गत कुछ वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें अभी तक स्थायी कर्मचारी नहीं बनाया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न प्रश्न है।

बड़ाहोती

†*७६०. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० अक्तूबर, १९६२ के पश्चात् किसी भी समय चीनियों ने बड़ाहोती में हमारी सीमान्त चौकी पर अधिकार कर लिया था; और

(ख) इस समय बड़ाहोती किसके नियंत्रण में है।

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी, नहीं।

(ख) बड़ाहोती के ऊपर नियंत्रण का मामला विवादास्पद रहा है और १९५८ में हुए दोनों सरकारों के अधिकारियों के एक सम्मेलन में भी यह हल नहीं हुआ था।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या बड़ाहोती की उच्च भूमि, जोकि विवादास्पद थी, २० अक्तूबर से वास्तव में हमारे अधिकार में थी अथवा नहीं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : जहां तक उस क्षेत्र का सम्बन्ध है, चीनी वहां अपने असैनिक व्यक्ति भेज रहे थे और हम भी अपने व्यापारियों की सहायता करने के लिये असैनिक व्यक्ति भेज रहे थे। यह स्थिति है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या चीनियों द्वारा खतरनाक ढंग से उन की संख्या में वृद्धि किये जाने के पश्चात् हम ने बड़ाहोती से अपनी चौकियां हटा ली हैं अथवा वे अब भी वहां पर हैं?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जाड़े की ऋतु में वहां चौकी रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वह कार्य नहीं कर सकती।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पहले तो मैं यह संशोधन करना चाहता हूं कि "बाड़ा होती" उच्चारण करना ग़लत है बल्कि इस का सही उच्चारण "बड़ाहोती" है, जैसे कि बड़ा या छोटा होता है। क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि बड़ाहोती के दूसरी तरफ़ चीनी सेनायें बड़ी संख्या में एकत्रित हैं और उस को देखते हुए अपनी रक्षा की व्यवस्था कितनी मजबूत की गई है। क्या इस के बारे में मंत्री महोदय कुछ प्रकाश डाल सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मेरा विचार है कि यह युद्ध सम्बन्धी सैनिक कार्यवाही का एक भाग है । मैं इसे नहीं बता सकता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसाकि अभी माननीय सदस्य श्री भक्त दर्शन ने प्रश्न किया, क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कुछ विशेष आंकड़े भी हैं कि २० अक्तूबर सन् १९६२ को चीन की जितनी सेनाएं वहां थीं, उस की अपेक्षा अब बड़ोत्तरी हुई है, यदि हां, तो सरकार की जानकारी में वह बड़ोत्तरी कितने प्रतिशत तक हुई है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : दूसरी ओर की सेना के सम्बन्ध में कुछ कहना बहुत कठिन है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह प्रश्न एक दूसरे रूप में है—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न का केवल रूप ही भिन्न है तो मैं इस की अनुमति नहीं देता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरी बात बिना सुने हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन्हें यह कहते हुए सुना है कि यह एक भिन्न रूप में है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या बड़ाहोती को लद्दाख अथवा नेफ़ा की एक चौकी की भांति समझा जा रहा है अथवा इसे एक ऐसे स्थान के रूप में लिया जा रहा है जहां कि पर्याप्त संख्या में सैनिक कर्मचारी हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : यह एक ऐसी सैनिक चौकी नहीं है । मैंने यह कहा था कि यह एक ऐसा स्थान था जहां कि अपने व्यापारियों को सुरक्षा के लिये हम अपने असैनिक कर्मचारी भेजा करते थे और चीन भी अपने असैनिक कर्मचारी भेजा करता था ।

दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

\+

†*७६१. **श्री महेश्वर नायक** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में प्रविधिक कर्मचारियों की बड़ी कमी है ;

(ख) कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें इस समय युवकों को प्रशिक्षण दे रही हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं आ रहे ; और

(घ) यदि हां, तो उन संस्थाओं में अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां ; अनुभवशील प्रविधिक कर्मचारियों (कार्य-प्रवीण कर्मचारियों तथा चालकों) की कमी के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) छः ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकताओं को आंक लिया है जोकि तृतीय योजना की शेष अवधि के लिये आवश्यक होंगे ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जी, हां । केवल स्थूल अनुमान लगा लिया गया है । स्थानों की संख्या बढ़ा दी गई है । दिल्ली में छः संस्थायें हैं और कर्जन रोड पर जो एक है वह इंजीनियरिंग के कार्य में भी प्रशिक्षण देती है । स्थानों की संख्या में वृद्धि होती रही है । मैं इस से अधिक कुछ और नहीं कह सकता ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि प्रशिक्षणार्थी अपेक्षित संख्या में नहीं आ रहे हैं क्योंकि कामदिलाऊ दफ्तरों की योजना में जो प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं वे पर्याप्त नहीं हैं ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जी, नहीं । वास्तव में हम ने अपनी जन-शक्ति की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक अनुसंधान किया था । उस अनुसंधान से तीन बातों का पता चला । पहली तो यह कि गैर-सरकारी क्षेत्र में जिस वेतन को देने का प्रस्ताव किया गया था वह बहुत कम था जबकि ३ से दस वर्ष के बीच का अनुभव मांगा गया था । दूसरे यह कि कुछ मामलों में बहुमुखी अनुभव मांगा गया था जैसेकि फिटर-एवं-बढ़ई आदि । तीसरे यह कि जो रोजगार दिये गये थे वे अल्पकालीन अवकाश के कारण हुए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में थे जोकि दैनिक वेतन के आधार पर भरे गये थे और उन स्थानों ने प्रविधिक योग्यताप्राप्त तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों को आकर्षित नहीं किया ।

†श्री वासुदेवन नायर : क्या यह संस्थायें केवल उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं जोकि पहले ही से रोजगार में लगे हुए हैं अथवा नये बेरोजगार व्यक्ति भी इन में लिये जाते हैं ? यदि नये बेरोजगार व्यक्ति भी लिये जाते हैं तो क्या आप उन को दिल्ली के बाहर से भी भरती करते हैं ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि एक शिशिक्षुता अधिनियम है । इस में प्रशिक्षण के पश्चात् धन्धों को देने का उपबन्ध है जिन के लिये नियोजक भरती के पश्चात् व्यवस्था करते हैं । वास्तव में स्थानों की संख्या १९५६ की ७८४ से बढ़ कर १९६३ में ४७५२ हो गई है और १९६६ के लिए निर्धारित लक्ष्य ५००८ का है । जहां तक स्थानों तथा इक्विपमेंट का सम्बन्ध है यह स्थिति है । बहुत से लोगों ने प्रार्थनापत्र दिये थे और स्थानाभाव के कारण उन का केवल एक भाग ही ले लिया गया है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : टैकनिकल ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं उन के प्रवेश के समय इस प्रकार की जो कठिनाइयां पेश आती हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : यह संस्थायें दिल्ली में चारों ओर फैली हुई हैं । यह पूसा, अरब की की सराय, तिलकनगर, मालवीय नगर, सब्जी मण्डी तथा करज़न रोड में हैं । यह सब औद्योगिक

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण संस्थायें हैं और जो कोई भी व्यक्ति आता है उसे केवल उस का इक्विपमेंट देखते हुए प्रवेश दे दिया जाता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में कर्जन रोड की संस्था का, जोकि विशेष रूप से स्त्री प्रशिक्षणार्थियों के लिये है, विस्तार करने का उपबन्ध किया गया है और यह विस्तार कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : वास्तव में वहां स्त्री कर्मचारी ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं । इसका विस्तार किया जा रहा है । वास्तव में प्रतिवर्ष उन की संख्या बढ़ती जा रही है । जहां तक स्त्री प्रवेशार्थियों का सम्बन्ध है यह बात व्यवसाय तथा नियोजकों की आवश्यकताओं से सम्बद्ध रही है । यह मैंने कहा था ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं यह जानना चाहती थी कि . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : स्त्रियों के लिये एक निर्धारित लक्ष्य था और वह पूरा नहीं हुआ है । स्त्रियां पीछे रह गई हैं ।

†**श्री चे०रा० पट्टाभिरामन** : स्थिति यह है कि ऐसे बहुत थोड़े प्रशिक्षित लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है । मैं ऐसे तुरन्त ही आंकड़े तो नहीं बता सकता । यह सम्भव है कि जो स्थान उपलब्ध हैं उन की तुलना में प्रार्थी अधिक हैं । परन्तु स्त्रियों के लिये जो संस्था है उस का विस्तार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या योजना आयोग ने यह सिफारिश की है और क्या यह क्रियान्वित की गई है अथवा नहीं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं इस का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि प्रशिक्षण संस्थाओं में जो पाठचर्या चलाई जा रही है वह उद्योगों अथवा सहायक उद्योगों की मांगों के अनुरूप नहीं है और यहां के प्रशिक्षित लोगों को वहां अप्रवीण श्रमिकों की भांति समझा जाता है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : स्थिति यह है । अब तक लगभग दो तिहाई प्रार्थी मैट्रिक पास हैं अथवा वे हैं जिन्होंने और ऊंची परीक्षायें उत्तीर्ण कर ली हैं । कुछ व्यवसायों में, जैसेकि लोहार, बढ़ई, शीट मेटल वर्कर्स, मोल्डर्स, पेन्टर्स, सूटकेसों, चमड़े की वस्तुओं का निर्माण आदि, प्रशिक्षण पाने के लिये प्रवेश लेने में इतनी भारी भीड़ भाड़ नहीं है जितनी कि अन्य व्यवसायों में है । वहां भी, हमें नियोजकों से जानकारी मिल रही है जोकि साधारणतया पूरी जानकारी देने के योग्य नहीं होते हैं क्योंकि वे ऐसे लोगों को नौकरी देना अधिक अच्छा समझते हैं जोकि पहले से ही नौकरी में हैं--उन के पास शिशिक्ष अधिनियम है ।

श्री तुलशीदास जाधव : क्या सरकार इस बात को देखती है कि इन इंस्टीट्यूट्स में जो विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, बाहर जाने के बाद वे उन्हीं पेशों को अपनाते हैं और उन्हीं कामों को करते हैं, जिन के लिए उन को प्रशिक्षण दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् जब वे बाहर जाते हैं तो क्या वे उन्हीं धंधों को करते हैं जिन के लिये वह प्रशिक्षित किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : स्थिति यह है । मैंने प्रारम्भ में ही कारण बता दिया था । हमें पता लगा है कि कुछ नियोजक उन्हें अल्पकालीन अवकाश के लिये रिक्त स्थानों पर ही रखने का प्रस्ताव करते हैं और स्थायी पद स्थानों पर नहीं । यह मुसीबत है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि मेथेमेटिक्स के इंस्ट्रक्टर्स के ग्रेड्ज रिवाइज़ नहीं किये गये और इसलिये भी शार्टेज हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह कहते हैं कि कर्मी प्रशिक्षकों के वेतन क्रम को पुनरीक्षित न किये जाने के कारण है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं इस का उत्तर नहीं दे सकता । फिर भी प्रशिक्षक तो वहां हैं ही । जहां तक संस्थाओं का सम्बन्ध है मैंने छः संस्थायें बताई थीं; एक इंजीनियरिंग संस्था है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि कर्मचारी इसलिये आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि कुछ कारखानों में दैनिक वेतन देने की पद्धति है । क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है जिससे कि प्रतिदिन वेतन देने की पद्धति को मासिक आधार पर वेतन देने की पद्धति में बदला जा सके ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : सर्वदा अल्पकाल के लिये ही लोगों को लगाने का प्रयत्न रहा है । बस यही बात उन्हें निरुत्साहित करती है । हम इसे ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं । शिशिक्षु अधिनियम तो पहले ही से है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि वे प्रशिक्षार्थी भी जिन्होंने दिल्ली की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है अभी तक बेरोज़गार हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें रोज़गार देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : उन में से कुछ कम या अधिक रोज़गार पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । जैसे ही अवसर आता है वे रोज़गार पर लग जाते हैं । जहां तक ग़ैर-सरकारी नियोजकों का सम्बन्ध है उन पर दबाव डालने का क्षेत्र कम है ।

जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक स्कूल

+

†*७६२. **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री गोपालदत्त मेंगी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सेना में कितने डोगरे भरती किये गये हैं;

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में एक सैनिक स्कूल खोलने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) भरती के जातिवार आंकड़े देना साध्य नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** : वर्तमान आपातकाल को ध्यान में रखते हुए जब कि हमें पर्वतीय युद्धकला में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विगत काल में डोगराओं की पर्वतीय युद्धकला में निपुणता की प्रसिद्धि के कारण उन्हें कोई अधिमान[1] दिया जा रहा है ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : सामान्य भरती की जा रही है । किन्हीं विशेष लोगों को कोई अधिमान देने का कोई भी प्रश्न नहीं है परन्तु नई भरती में डोगराओं को उनका भाग अवश्य ही दिया जाता है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । मैं यह नहीं जानता कि वह सरकार से प्राप्त होने वाली प्रार्थना के विषय में सोच रहे हैं अथवा किन्हीं अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली प्रार्थना के विषय में भी, क्योंकि मैं यह व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मैंने स्वयं ही, जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लोगों की ओर से, विशेषतया जम्मू के लोगों की ओर से, इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय से अभ्यावेदन किया था ।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जहां तक सैनिक स्कूलों की स्थापना का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को इसका सूत्रपात करना चाहिये । अभी तक हमें राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

†**श्री गोपालदत्त मेंगी** : क्या जम्मू तथा काश्मीर में रहने वाले भूतपूर्व कर्मचारियों से सैनिक स्कूल के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जैसा कि मैं ने बताया है, राज्य सरकार द्वारा इसेका सूत्रपात किया जाना चाहिये ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सरकार को ऐसी प्रार्थनायें अन्य किन्हीं राज्यों से भी प्राप्त हुई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न केवल जम्मू तथा काश्मीर राज्य से ही सम्बन्धित है ।

पोर्ट ब्लेयर में आकाशवाणी केन्द्र

†*७६३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर रेडियो स्टेशन चालू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थापित ट्रांसमीटरों की क्षमता क्या है, तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) ट्रांसमीटर की क्षमता १ किलोवाट मीडियम वेव है । स्टूडियोज़ तथा प्रापक केन्द्रों को मिलाकर इस परियोजना के लिये ६ लाख ४९ हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Preference.

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पोर्ट ब्लेयर स्टेशन शिमला तथा चंडीगढ़ के स्टेशनों की भांति एक अग्रिम स्टेशन ही होगा अथवा वह एक पूर्णांग रेडियो स्टेशन होगा और यदि अंतिम प्रकार का होगा तो इसे स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री शाम नाथ** : प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बंध में मैं यह कहूंगा कि इसे अप्रैल, १९६३ के अन्त तक चालू करने का विचार है और यह एक पूर्णांग स्टेशन होगा; वहां एक प्रापक केन्द्र तथा रिकार्डिंग सुविधायें आदि होंगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह स्टेशन किन किन प्रदेशों की मांग पूरी करेगा ?

†**श्री शामनाथ** : यह एक छोटा ट्रांसमीटर है तथा इस के द्वारा लगभग १५ मील के अर्धव्यास में सेवा किये जाने की आशा है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : वह कौन कौन से विशेष क्षेत्र हैं जहां इस स्टेशन के प्रसारण भेजे जायेंगे और इस स्टेशन को बनाने के विशेष कारण क्या हैं ?

†**श्री शामनाथ** : यह स्टेशन मुख्य रूप से अंदमान द्वीप समूहों के लिये है ।

†**श्री वारियर** : इस स्टेशन से किन किन भाषाओं में प्रसारण किया जायेगा ?

†**श्री शामनाथ** : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि इस स्टेशन में बहुत छोटा सा ट्रांसमीटर होने के कारण इस से निकोबार द्वीपसमूहों की, जो कि यहां से केवल ४० मील की दूरी पर हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और यदि हां, तो क्या वहां एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का सरकार का विचार है ?

†**श्री शाम नाथ** : वह मामला विचाराधीन है, परन्तु वर्तमान समय में हम वहां केवल १ किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगा सके हैं ।

लोक सहायक सेना

+

*७६४. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सहायक सेना योजना जो पहले स्थगित कर दी गई थी, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा सीमा जिलों में संशोधित रूप में पुनः आरम्भ कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) संशोधित योजना के अनुसार किन स्थानों पर लोक सहायक सेना शिविर का संगठन किया गया था तथा निकट भविष्य में उन का किन स्थानों में संगठन किया जाने वाला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी, हां ।

(ख) रूपान्तरित योजना के अधीन सीमा राज्यों में असैनिकों को पन्द्रह दिनों के शिविरों में बन्दूक चलाने और यौद्धकला में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्न स्थानों पर १५ दिनों के शिविर लगाये गये :—

लोहघाट
बागेश्वर/कूपकोट . . . . २ शिविर
चौखटिया
कोटद्वार/दुग्गडा
विलखेत/पटीसाई
पौड़ी
नरेन्द्र नगर
सिमलासु/घनसाली
सिमलासु/नरेन्द्रनगर

जिन स्थानों पर १९६३–६४ में शिविर लगाये जायेंगे, उनके नामों का निर्णय नहीं हुआ ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि पन्द्रह दिन के कैम्प में पूरी शिक्षा नहीं दी जा सकती है और क्या उन के पास इस आशय के ज्ञापन आये हैं कि इसकी मियाद कम से कम एक महीना कर दी जाय, ताकि इन कैम्पों से पूरा लाभ हो सके ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह योजना दिसम्बर के महीने में निलम्बित कर दी गई थी । जो २५ दल कार्य कर रहे थे उन में से १७ दलों की पुनः क्रियाशील बना दिया गया है और इस समय के लिये यह विचार किया गया है कि अधिक से अधिक १५ दिन का शिविर लगाया जा सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इन कैम्पों में जो युवक एक बार ट्रेनिंग ले लेते हैं, उनको फिर दोबारा ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वे इस को भल जाते हैं ? क्या गवर्नमेंट विचार कर रही है कि इन लोगों के लिये जिनको एक बार ट्रेनिंग मिल जाती है, रिफ्रेशर कैम्प लगाये जायें या इस तरह की कोई व्यवस्था की जाय ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : हम इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार इस संबंध में वास्तव में सन्तुष्ट है कि १५ दिन के भीतर वह इन रंगरूटों को युद्ध की सभी कलाओं में प्रशिक्षित कर देगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : यह प्रशिक्षण उन्हें युद्ध की सभी कलाओं को सिखाने के लिये नहीं है । वह एक प्रकार की आत्म-विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिये है और इसके लिये कुछ थोड़ा सा प्रशिक्षण दिया जाता है । मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं १५ दिन के प्रशिक्षण के संबंध में पूर्णतः सन्तुष्ट हूं । परन्तु यह कठिनाई को दूर करने का बस एक व्यवहारिक उपाय है ।

श्री प० ला० बारूपाल : लोक सहायक सेना के कैम्प गांवों में या शहरों में जब सरकार लगाने का विचार कर रही है, तो क्या उसके ध्यान में यह बात भी आई है कि राज्य सरकारों की तरफ से या ज़िलाधीशों या और जो दूसरे वहां अफसर होते हैं, उनकी तरफ से उनको पूरा सहयोग नही मिलता हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसी कोई कम्प्लेंट्स नहीं मिली है कि उनको राज्य सरकारों की तरफ से सहायता नहीं मिलती है, सहयोग नहीं मिलता है ।

श्री जं० ब० सिं० विष्ट : क्या ऐसे कोई शिविर उत्तराखण्ड डिवीज़न के पिथोरागढ़ में लगाये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दा० रा० चव्हाण : मैंने उन स्थानों के नाम बता दिये हैं जहां कि शिविर लगाये गये थे।

†**श्री जं० ब० सिं० विष्ट :** जो नामों की सूची उन्होंने बताई थी उसमें मैं ऐसे किसी स्थान का नाम नहीं सुन सका।

†**अध्यक्ष महोदय :** बस ठीक है। फिर उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** प्रतिरक्षा मंत्रालय की लोक सहायक सेना की योजना तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय की ग्राम स्वयंसेवक बल की योजना के बीच जो विद्यमान समन्वय है उसका क्या रूप है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** इसकी जांच की जा रही है।

†**श्री पें० वेंकटसुब्बया :** क्या सेना में नाम लिखाने के लिये उन लोगों को अधिमान दिया जायेगा जो कि इसमें भरती कर लिये गये हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** यदि वे उचित तथा सभी रूप से योग्यता प्राप्त हैं तो अवश्य ही वे आ सकते हैं।

†**श्री बासप्पा :** जब प्रशिक्षण के लिये केन्द्र लगाये गये थे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी ? यदि उनकी कम संख्या थी तो क्या प्रलोभन दिये जायेंगे ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** संख्याओं में ऐसी कोई कमी नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इस बात को दृष्टिगत रख कर कि सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करने का निश्चय किया है, अब तक जो शिविर लगाये गये हैं और जो लोग प्रशिक्षित किये गये हैं उनकी थोड़ी संख्या पर विचार करते हुये सरकार का प्रशिक्षार्थियों की संख्या में किस प्रकार से वृद्धि करने का विचार है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** प्रशिक्षकों को प्राप्त करने के संबंध में कठिनाई होती है। इसके कारण ही योजना बन्द कर दी गई थी। परन्तु फिर सीमावर्ती क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिये यह सोचा गया कि हमें कुछ प्रशिक्षकों की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये। इसलिये यदि इन शिविरों के लिये अधिकाधिक प्रशिक्षक उपलब्ध होते हैं तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इन कैम्पों में जितने युवकों को ट्रेनिंग दी जानी थी उसे कहीं अधिक संख्या में लोग ट्रेनिंग लेने आये और उनमें से बहुतों को निराश होना पड़ा, यदि हां, तो क्या इन ट्रेनिंग कैम्पों को और भी अधिक संख्या में आयोजित करने का सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

लंका में सेवानियोजित भारतीय

+

†*७६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार ने लंका की वाणिज्यिक फर्मों में भारतीय लोगों के सेवानियोजन पर वस्तुतः प्रतिबन्ध लगाने के लिये एक नया विधान बनाया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को प्रस्तावित विधान की सूचना पहले से दे दी गई थी ; और

(ग) नवीन "कार्य पर्मिट" प्रणाली का अनुमानतः कितने भारतीय राष्ट्रजनों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं "जानकारी उपलब्ध नहीं है" उत्तर का स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या मैं यह समझूं कि अखबारों में छपे इन समाचारों को देखने के बाद कि लंका सरकार ने इस प्रकार का विधान लागू किया है या करने का विचार है, हमारे प्रतिनिधियों से लंका में यह पूछताछ करने को नहीं कहा गया कि स्थिति क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमने लंका में अपने उच्च आयुक्त द्वारा पूछताछ की थी। स्वयं लंका सरकार ने मना किया था कि उसने यह लागू किया है। उन्होंने कहा है बाद में "कार्य पर्मिट" प्रणाली बनाने का विचार है ताकि वे लंकाकरण की नीति आगे बढ़ा सकें।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यदि प्रस्तावित कार्य पर्मिट प्रणाली का भारतीयों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो क्या सरकार का विचार यह देखने का है कि योजना के वस्तुतः लागू होने से पहिले उससे पर्याप्त परामर्श किया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हां। यह देखने का भरसक प्रयास किया जायेगा कि हमसे परामर्श किया जाये उन्हें हमारी स्थिति बताई जाये। जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे लंकाकरण कार्य १९५४ में आरम्भ हुआ था और हमें अक्तूबर, १९५७ में उनकी योजना की एक प्रति मिली थी। हमने कुछ स्पष्टीकरण मांगा है, ये अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : यह ध्यान रख कर कि श्री लंका में भी जैसा कि लंका की संसद में ऐसा संकल्प पेश करते हुये विचारविमर्श से विदित है, वर्तमान दृष्टिकोण श्री लंका से प्रत्येक भारतीय को निकालने और संसार का मत अपने पक्ष में इस बारे में कर लिया जाये कि भारत को प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को स्वीकार करने पर बाध्य किया जाय, सरकार स्थिति के महत्व के अनुकूल क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम ऐसी कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे इस विधान की कार्यान्विति राज्यहीन भारतीयों के लिये कठोराघात न हो, क्योंकि यह केवल भारतीयों के ही विरुद्ध नहीं अपितु सभी गैर-लंकावासियों के विरुद्ध है। क्योंकि गैर-लंकावासियों में अधिकतर भारतीय हैं, हम यह देखने का प्रयास करेंग कि इनका उनपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, या दिया जाने वाला दण्ड कठोर न हो।

†**श्री जोकीम आल्वा**: कोलम्बो-राष्ट्रों, अब लंका और हमारे बीच निकट संबंध स्थापित हो गय हैं। क्या यह समस्या इसी प्रकार स्थायी बनी रहेगी, क्या यह संबंधों के कारण संभव नहीं है कि इस समस्या को निपटाने के अल्प तथा दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त किये जायें ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सेवाओं का लंकाकरण करने की आवश्यक कार्यवाही करना पूर्णतया लंका का अधिकार है। हम केवल यह कर सकते हैं कि जो व्यक्ति भारतीय उद्भव के हों जो श्री लंका में कार्य करते हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और जो सम्पत्तियों पर कार्य करते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बी० चं० शर्मा** : यह 'कार्य-पर्मिट' प्रणाली क्या होगी क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय को कोई विस्तृत जानकारी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : 'कार्य पर्मिट' प्रणाली में उपबन्ध है कि लंका में काम पाने वाले सभी व्यक्तियों को श्रम मंत्रालय से पर्मिट लेना चाहिये, और उद्देश्य यह है कि अपने विधान के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जाये जो लंकावासी नहीं हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुये थे कि भिन्न भिन्न सेवाओं में लगे इन व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल भारतीय हाई कमिशनर से जाकर मिला था और उसने एक ज्ञापन उनके सामने रखा था। क्या सरकार के पास वह चीज पहुंची है और अगर पहुंची है तो उस ज्ञापन की मुख्य मुख्य बातें क्या थीं और सरकार ने उनकी उन कठिनाइयों को दूर करने के अब तक क्या यत्न किये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहिले ही बता चुकी हूं कि क्या कार्यवाही की जाती है। जब प्रधान मंत्री श्रीलंका में थे तो विचारविमर्श हुआ था और अक्तूबर, १९६२ में अधिकारियों से विचार-विमर्श हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अपने अभ्यावेदन में क्या मुख्य बातें रखी थीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मैंने पहिले ही बता दिया है कि मुख्य बातें हैं कि की गई कार्यवाही का भारतीय उद्भव के व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। क्योंकि "लंकाकरण" की मूल योजना केवल नगरों में रहने वाले भारतीयों के लिये थी, परन्तु अब नया विधेयक सम्पत्तियों में काम करने वाले भारतीयों को प्रभावित करेगा, जिसका अर्थ है, अधिक संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करेगा। अतः हम इन व्यक्तियों के लिये स्थिति सुगम बनाने के लिये पत्र-व्यवहार द्वारा संभव कार्यवाही करते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : राजनयिक पत्रों के आदान प्रदान के अतिरिक्त, इस बात का ध्यान रखकर कि यह सारे भारत-लंका संबंधों को प्रभावित करती है, क्या सरकार इस आधार पर कोई प्रयास करने का विचार कर रही है जिससे हाल में नेपाल के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ और जो महान सफल रहा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई थी और उच्च आयुक्त निरन्तर लंका सरकार से मिलते रहते हैं और यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि हम भारतीय उद्भव के लोगों के विरुद्ध वे जो भी विधान बनाना चाहते हैं उसका प्रतिकल प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : क्या हम उस आधार पर प्रयास कर रहे हैं जिससे नेपाल के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद उनकी इच्छा है कि गृह मंत्री को वहां भी जाना चाहिये।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह प्रश्न भिन्न है, भारतीय उद्भव के लोगों का स्तर।

†**श्री वारियर** : क्या वहा काम करने वाले हमारे मजदूरों संबंधी पूर्ण जानकारी लेने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, क्या वह श्रीलंका के विधान में लंका को कोई शर्त पेश कर रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जिन सेवाओं में गैर लंकावासी काम करते हैं यह उनका लंकाकरण करने के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या वहां रहने वाले हमारे व्यक्तियों ने कुछ शर्तें रखी है जिनपर उन्हें लंका में बने रहने की अनुमति दी जाये ।

†**श्री वारियर** : वे वहां बहुत समय से रह रहे हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सारा प्रश्न यही है। उनमें से अनेक लंका की नागरिकता प्राप्त किये बिना वहां भी दीर्घकाल से रह रहे हैं और इसलिये नागरिकताहीन हैं। समस्या का यही आधार है। हम इसी पर इन वर्षों में कार्यवाही करते रहे हैं।

साइप्रस से खच्चरों की खरीद

+

†*७६६. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हिमालय के क्षत्रों में सेना के काम के लिए साइप्रस से खच्चर खरीदने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने खच्चर खरीदने का विचार है तथा उनका मूल्य क्या होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख) जी हां। सरकार का विचार साइप्रस से खच्चर खरीदने का है। उनकी प्राप्ति की वार्ता हो रही है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार ने सुनिश्चित कर लिया है कि इन खच्चरों की क्या क्षमतायें तथा गुण हैं और क्या व गुण उन्हें हिमालय प्रदेश की कठिन स्थितियां सहन करने के योग्य बनायेंग ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : हमारे पास विशेष विवरण हैं और यदि वे हमारे विवरणोंके अनुसार होते हैं तो उनका आयात किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : खच्चरों के वर्ग हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां । मनुष्यों के भी वर्ग हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या पहाड़ी प्रदेशों की स्थितियों के अनुकूल देश में खच्चरों के प्रजनन के लिए सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही की है ।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जी हां हमारे पास प्रजनन साण्ड हैं; एक बाबूगढ़ में है और दूसरा सहारनपुर में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ४ केन्द्रों में पशु प्रजनन की अप्रतिवंधित प्रणाली भी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हम साइप्रस से खच्चर आयात करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम किन अन्य देशों से खच्चर आयात करते रहे हैं और इस बार हमने उन देशों से खच्चर क्यों आयात नहीं किया है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण**: मैं उन देशों के नाम नहीं बता सकूंगा जिनसे हम अब तक खच्चरों का आयात करते रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री तुलसीदास जाधव : क्या अपने देश में गधे नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि अब आप बैठ जाइये ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस का अन्दाजा माननीय सदस्य खुद अर सकत हैं । लेकिन सवाल गधों का नहीं खच्चरों का है ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख**: हिंगोली साण्ड फार्म हैदराबाद राज्य की सेना और पुलिस की सारी आवश्यकता पूर्ति किया करता था । स्थानीय खच्चर प्रसंकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि बाबूगढ़ तथा सहारनपुर में हमारे साण्ड फार्म हैं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : पहाड़ों में सेना के लिये जो खच्चरों की दिक्कत दिखलाई देती है उस को देखते हुए क्या सरकार खच्चरों की पैदाइश देश में बढ़ाने के लिये कोई प्रबन्ध कर रही है ?

†**श्री प्रताप सिंह** : क्या सरकार का विचार हिमालय क्षेत्र के लिए विशेष खच्चर कोर बनाने का है ..... (**अन्तर्बाधा**)

श्री ओंकार लाल बेरवा : पैदाइश के लिये क्या कोशिश की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब जब दिया जा चुका है तो मैं क्या करूं ?

श्री बासप्पा : साइप्रस से खच्चरों का आयात करने का अतिरिक्त सेना के लिए खच्चरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : बड़े दुःख की बात है कि सदस्य उत्तर नहीं सुनते । वे बार बार वही प्रश्न पूछते हैं । श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** : इस कारण से कि इन खच्चरों को पहाड़ों पर काम करना होगा, तो क्या आगे पंक्ति पर भेजने से पहिले इन्हें जलवायु के अनुकूल बनाने की कोई योजना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : कुछ तो आ गये हैं और उन्हें जलवायु के अनुकूल बनाया जा रहा है ।

श्री दलजीत सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि पहाड़ों में माल लाने और ले जाने के लिये चूंकि खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लाहोल और स्पीती में इस लिये क्या सरकार ने वहां से कुछ खच्चर खरीदे हैं या खरीदने का विचार है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : माननीय सदस्य ने सारी समस्या को गलत समझा है ।

अध्यक्ष महोदय : शायद माननीय सदस्य का यह कहना है कि खच्चर लाहोल और स्पीती से भी मिल सकते हैं ।

श्री दलजीत सिंह : जो वहां पर आलरेडी हैं उन में से ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जिस तरह के हमें चाहियें वैसे वहां नही मिलते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोहियों के छापे

+

*†७६८. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० मार्च, १९६३ को नागालैंड के कोहिमा हैडक्वार्टर्स केन्द्र में नागा विद्रोहियों के एक दल ने अध्यापकों की कालोनी पर छापा मारा था; और

(ख) यदि हां, तो धन जन की कितनी हानि हुई थी तथा हमला किस प्रकार किया गया था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० अमीर)** : (क) हां । १९ मार्च को रात के १० बजे छापा मारा था ।

(ख) १,२०० रु० के मूल्य का चलार्थ, हाथ की घड़ियां और कपड़े चुराये गये । चोट किसी को नहीं आई ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या यह सच है कि श्री फिजो की ओर से समय समय पर जो आज कल भारतीय न्याय से भाग कर लन्दन में रह रहे हैं, और रेव० स्काट की सरकार के झुकाव से विद्रोही नागाओं को मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन मिलता है जैसा कि इस घटना विशेष से विदित होता है और यदि हां, तो तथ्यों की दृष्टि से स्थिति का पुनरांकन करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें सुन लिया है । मैं उन्हें एक घटना याद दिलाऊं । एक बार एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ जो हाउस आफ कामन्स सदस्य थे यहां आये और उन्होंने मुझ से कहा कि जब वे बोलते हैं तो केवल राजनीति की बात करते हैं, परन्तु जब भारतीय राजनीतिज्ञ बोलते हैं तो वे अधिकतर दर्शन की बात करते हैं, राजनीति की नहीं ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान् यह फलासफरों तथा कवियों की भूमि है ।

†**श्री स० चु० अमीर** : इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह घटना होती रही है, और कुछ समय से हो रही है क्योंकि उनके पास हथियार हैं । अतः वे जब चाहेंगे, ऐसा करेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : इसका प्रश्न से संबंध है क्योंकि यह घटना नागालैण्ड की राजधानी में दिनधाड़े हुई है । इससे विदित होता है कि उन्होंने अपनी कार्यवाही बढ़ा दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह केवल अपने अपने मत की बात है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मैं नहीं जानता कि दो बातों को कैसे मिलाया जा सकता है । माननीय सदस्य झुकाव का उल्लेख करते हैं । किसी की ओर कोई झकाव नहीं है, क्योंकि यदि हमें पत्र प्राप्त होते हैं, तो हम उन्हें उत्तर देते हैं । जैसा कि मैंने इस सभा में बताया कि दो तीन महीने से नागालैण्ड में स्थिति बिगड़ गई है । ऐसे अधिक अपहरण और आक्रमण हुए जिसका आंशिक कारण यह है वहां से अधिकतर सेना हटा ली गई है और अब स्थिति काबू में आ रही है। जहां तक स्थिति का पुनरांकन करने की बात है हम लगातार ऐसा कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नि० रं० लास्कर** : क्या प्रभावित सभी व्यक्ति नागालैंड के हैं या देश के अन्य अनेक भागों के हैं और यदि हां वे किस भाग के हैं ?

†**श्री स० चु० जमीर** : वे हमारी ओर के व्यक्ति हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मि० फिजो से मिलने की प्रधान मंत्री की इच्छा की घोषणा के बाद विद्रोहियों की कार्यवाही बढ़ गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : जी नहीं, कुछ नहीं हुआ है । यह सब उस से पहिले हुआ था ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सचहै कि विद्रोही नागाओं को पाकिस्तान और चीन से सशस्त्रों तथा गोला बारुद में सक्रिय सहयोग मिला है और वे हाल में उनकी ओर झुकते प्रतीत होते हैं ? यदि हां, तो सीमान्त क्षेत्र में इस खतरनाक स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : मैं नहीं कह सकता कि क्या यह सच है या नहीं कि पाकिस्तान या चीन से हथियार ले रहे हैं । हाल में उन्हें कुछ हथियार मिले हैं, संभव है कि कुछ अन्य देशों से मिले हों । सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में यह है कि सरकार स्थिति के बारे में कार्यवाही कर रही है । मैं विवरण नहीं दे सकता कि सरकार अनेक विद्रोहियों के साथ क्या कार्यवाही करती है ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या इन विशिष्ट नागाओं को फिजो या चीनियों या कुछ अन्य विदेशों की ओर से उकसाया जाता है ? क्या यह विदित है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मि० फिजो विदेशी शक्ति नहीं है; मुझे यही विदित है ।

†**श्री हेम बरुआ** : वह विदेशी नागरिक है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : व्यक्तिगत रूप में उनके उकसाये जाने के बारे में मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं ? सरकारी रूप में मुझे ऐसी कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने अन्त में कहा था "क्या यह विदित है ?" वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को कोई जानकारी है ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : किसी भी दृष्टिकोण की मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है । संभव है कि कुछ व्यक्ति हाल में पाकिस्तान से आये थे । कुछ नागा वहां गये थे और संभव है कि वहां उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिला हो । संभव है कि उन्हें कुछ हथियार भी मिले हों ।

दक्षिण अफ्रीका म भारतीय

+
†*७६१. { **श्री श० ना० चतुर्वेदी** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में ग्रुप एरियाज एक्ट की क्रियान्विति का वहां पर बसे हुए भारतीयों के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : इस विषय पर प्राधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हमारा कोई मिशन नहीं है । फिर भी,

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण अफ्रीका के तथा अन्य समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह स्पष्ट है कि ग्रुप एरियाज एक्ट का दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर हानिकारक आर्थिक प्रभाव है। एक हाल के समाचारपत्र के समाचार में उल्लेख है कि केवल ट्रांसवाल प्रान्त में भारतीयों की कुल ४८ ८९२ की जन संख्या में से कम से कम ३८,३६७ व्यक्तियों को ग्रुप एरियाज एक्ट की उद्घोषणा के अनुसार अपने मकान छोड़ने होंगे ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी:** : क्या यह सच है कि इस नये अधिनियम को लागू होने के फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों को अपना सुचालित व्यापार छोड़ना होगा और वे निम्न न्यून-आय वाले मजदूरों के स्तर पर आ जायेंगे ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह सच है । उनको सब तरह की कठिनाई सहन करनी होगी । उनको अपना व्यापार, अपनी भूमि और अपने बच्चों की शिक्षा की सुविधायें, आदि खोनी होंगी ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : भारतीय समुदाय का ऐसा आर्थिक विनाश टालने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : संयुक्त राष्ट्र में यह मामला उठाने के अतिरिक्त, हम और कुछ नहीं कर सकते । परन्तु वहां के भारतीय तथा भारतीय नेता यह देखने का भरसक प्रयत्न कर रहे है कि ग्रुप एरियाज एक्ट लागू न हो और यदि लागू हो तो उन्हें कठिनाई न हो ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का विचार यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने का है कि जाति भेद-भाव का व्यवहार किया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह जाति भेदभाव का मामला नहीं है। (**अन्तर्बाधा**) ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : संयुक्त राष्ट्र में इस प्रश्न को उठाते समय अनेक राष्ट्रों का क्या मत था और इसे दूर करने के लिए इसने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रतिक्रिया यह है कि यह एक अनुचित अधिनियम है। यदि माननीय सदस्य महा सभा की अनेक चर्चाओं को पढ़ें, तो उन्हें समूचे विषय की पर्याप्त जानकारी हो जायेगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : आज कल दक्षिण अफ्रीका में हमारे हितों की देख रेख कौन मित्र देश करता है ? यह ब्रिटेन है या संयुक्त अरब गणराज्य ? यदि इनमें से कोई भी वहां हमारे हितों का ध्यान रखता है तो क्या वे हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : आज कल दक्षिण अफ्रीका में हमारा कोई मिशन नहीं है जैसा कि में पहिले ही कह चुकी हूं । लन्दन में हमारे उच्च आयुक्त वहां हमारे हितों का प्रतिनिधान करते हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या सरकार का ध्यान प्रचलित समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कहने और ग्रूप एरियाज़ एक्ट की जनमत के दबाव का सफल निरादर कर, अब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मजदूर शिविर बनाने की कार्यवाही की है ; यदि हां, तो भारतीय नागरिकों पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारतीय उद्भव के व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । मैं पहिले ही बता चुकी हूं कि वे अपने निवास स्थानों से, जहां वे अनेक वर्षों से रहते रहे हैं, निकाला जाता है, उनके व्यापार की सद्भावना समाप्त हो जाती है, और वे सभी वस्तुएं खो देते हैं जो उन्होंने कड़े काम के आधार पर प्राप्त की है ?

†**श्री नाथ पाई** : क्या श्रम शिविरों में कोई भारतीय श्रमिक शिविर म गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : श्रमिक समूहन शिविरों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । परन्तु वे पृथक क्षेत्रों को भेज दिये जाते है ।

सशस्त्र सेनाओं का प्रशिक्षण

†*७७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना कर्मचारियों के प्रशिक्षण की इस समय कितनी क्षमता है ; और

(ख) आगामी वर्ष म इसको कितना बढ़ाने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की क्षमता जो वर्तमान संकट से पहले तत्कालीन सेवाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त थी, अब बढ़ायी गयी सेना की आवश्यकता पूरी करने के लिये धीरे धीरे बढ़ायी जा रही है, प्रशिक्षण संस्थाओं की ठीक ठीक क्षमता अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है । कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए हम अपने अफसरों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजते रहेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह शायद बता चुके ह कि वह बताना उचित नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस योजना के अधीन सारे देश में विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण चालू किया जायगा ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : जी नहीं । विधान द्वारा इसे अनिवार्य नहीं बनाया जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह समाचार सच है कि खडकवासला में नेशनल डिफेन्स अकादमी में चालू प्रशिक्षण क्रम पूरा हो जाने के बाद आगे के शिक्षाक्रम बन्द कर दिये जा रहे है ; और यदि हां, तो क्यों ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो खबर सुनी है वह गलत है ।

†**श्री ओंकार लाल बेरवा** : में जानना चाहूंगा कि इस समय देश में कितने प्रशिक्षण केन्द्र सेना के खुले हुए हैं, और कहां कहां ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : बहुत से है । केन्द्रों के संबंध में सभी ब्यौरे बताना कठिन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथपाई** : क्या यह सच है कि संकट के कारण प्रशिक्षण देने वाले कर्मचारियों की कमी है और यदि हां, तो क्या थोड़े समय के लिए, निश्चित शर्तों के आधार पर, सेवानिवृत्त अफसरों को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जो लोग प्रशिक्षक का काम करने योग्य हैं उन्हें वापस बुलाया जा चुका है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सभी सशस्त्र सेनाओं के लिए खासकर संकट के बाद, प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : जी हां ।

श्री तुलसी दास जाधव : क्या सरकार के पास यह शिकायत आयी है कि इसमें ट्रेनिंग के लिए जो विद्यार्थी लिए जाते है उनकी अंग्रेज़ी की योग्यता पर जोर दिया जाता है, इसलिए जो बहादुर युवक अंग्रेज़ी नहीं जानते वे इसमें नहीं लिए जाते ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसी कुछ लोगों में भावना है इस तरह की शिकायत तो सुनी है ।

श्री तुलसी दास जाधव : इनके लिए क्या उपाय किया है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अमरीकी शिष्ट मंडलों को बुलाने का सरकार का विचार है, जैसा कि वाशिंगटन में श्री पटनायक ने बाल्टीमोर सन को बताया था ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : श्री पटनायक ने वहां क्या कहा यह मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम है लेकिन अपने अफसरों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए किसी को बुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है ।

भारतीय सेना में पहाड़ी डिवीजन

+

*७७१ { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना में छः नये पाहड़ी डिवीजन बनाने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये जवानों की भरती शुरू हो गई है ; और

(ग) उनका प्रशिक्षण कब तक पूरा हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) सरकार ने सेना की वर्तमान शक्ति के अतिरिक्त छः नए डिवीजन खड़े करने की स्वीकृति दी है । वर्तमान डिवीजनों में से एक और चार नए डिवीजन पार्वतीय डिवीजनों के रूप में होंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रशिक्षण यथाशीघ्र सम्पूर्ण करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह जो ६ नये माउंटेन डिवीजंस बनाये जा रहे हैं यह काफ़ी हैं या निकट भविष्य में इन को और बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :** यह वर्तमान स्थिति है । यदि आवश्यक हुआ तो अवश्य ही बढ़ाया जा सकता है ।

श्री सिद्धश्वर प्रसाद : इन सैनिकों को जो शिक्षा दी जायगी वह प्राचीन भारतीय पद्धति की अर्थात् शिवाजी की पद्धति की तरह होगी या नवीनतम पद्धति की होगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वह शिक्षा आधुनिक पद्धति की होगी ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : में जानना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देने के लिए अब तक क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** गुरिल्ला युद्ध और पहाड़ी युद्ध दो अलग अलग चीजें हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यूगोस्लाविया हमारी पर्वतीय सेनाओं के लिए हथियार और गोलाबारूद दे रहा है और क्या वह इन छः डिविजनों के लिए पूरा होगा ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** इस प्रश्न के लिए मुझे सूचना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह : ये लोग स्पेशल सर्विस कंडीशंस में ही रक्खे जायेंगे या इन्हें आर्डुअस लाइफ़ के लिए कोई ख़ास टी० ए० या डी० ए० भी दिया जायगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वह जब माउंटेंस में ड्यूटी करेंगे तब उन को स्पेशल एलाउंस मिलेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस पहाड़ी डिवीजन में शामिल होने के लिए और कौन कौन से विशेष गुण आवश्यक होंगे ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** कोई विशेष गुण नहीं । विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक होगा ।

†**श्री त्यागी :** इन डिविजनों में भरती करते समय क्या उन लोगों को कोई प्राथमिकता दी जायगी जो स्थानीय क्षेत्रों से भली भांति परिचित हैं और ऊंची पहाड़ियों की ठंडक से अभ्यस्त हैं ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** भरती के समय इन बातों को अवश्य ही ध्यान में रखा जाता है, खासकर जब कि हम ये डिवीजन बना रहे हैं । इसके लिए कोई विशेष प्राथमिकता जैसी कोई चीज नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या इस सेवा में भरती वर्ग के आधार पर या केवल व्यक्तिगत गुणों के आधार पर की जायगी ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** व्यक्तिगत गुणों के आधार पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार द्वारा बनाये जाने वाले ये छः डिवीजन वही हैं जिनका श्री पटनायक ने वाशिंगटन में उल्लेख किया था ? क्या इन डिवीजनों में गुरिल्ला सैनिक रखने का सरकार का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से संगत नहीं है । यदि श्री पटनायक ने उनके बारे में कुछ कहा भी हो तब भी इस प्रश्न का उससे कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पर श्री पटनायक का भूत सवार है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री हेम बरुआ** : वह कहते हैं कि मुझ पर पटनायक का भूत सवार है । मैं नहीं चाहता कि वह उस भूत को उतारने के लिए तांत्रिक का काम करें (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री भागवत झा आजाद** : आप बैठ जाइये ।

†**श्री हेम बरुआ** : आप कौन होते हैं कहने वाले (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, श्री नाथ पाई ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया सरकार ने पहाड़ों में लड़ाई के लिए विशेष रूप से उपयोगी साजसामान देने का प्रस्ताव रखा है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मैं समझता हूं कि मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है । मैं ने बताया कि मझे इस प्रश्न के लिए सूचना चाहिये ।

†**श्री स्वैल** : क्या पूर्वी भारत से काफी संख्या में पहाड़ी लोगों को भरती करने का सरकार का विचार है और क्या एक पूरा डिविजन ऐसा बनाने का सरकार का विचार है जिस में ये पहाड़ी लोग ही हों ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : वह उपयुक्त प्रस्ताव नहीं है । लेकिन हम पहाड़ी क्षेत्रों से भी अधिक से अधिक लोगों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । केवल पहाड़ी लोगों का एक अलग पूरा डिविजन बनाना ठीक भी नहीं है ।

विश्व विद्यालयों म रोजगार सहायता तथा मार्गदर्शन ब्यूरो

†७७२. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी विश्वविद्यालयों में रोजगार सहायता तथा मार्गदर्शन ब्यूरो खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : **(क) और (ख)**. वर्तमान योजना यह है कि तीसरी योजना के अन्त तक ऐसे ३८ ब्यूरो स्थापित किये जायें । अभी तक २० विश्वविद्यालयों में ब्यूरो खोले जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : किन किन विशवविद्यालयों में ये ब्यूरो खोले जा चुके हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : कुल ५६ विश्वविद्यालय हैं । अभी तक २० विश्वविद्यालयों में ब्यूरो खोले जा चुके हैं । मैं नाम बता सकता हूं—वह एक बड़ी सूची है । वे आन्ध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में खोले जा चुके हैं ।

†**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : इस योजना से वित्तीय बोझ कितना उत्पन्न होगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : हमारे पास नियमित कर्मचारी हैं और ब्यूरो के भारसाधक एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं । हम ने जगह भी दी है । इस योजना में सालाना १०,००० रुपये के आवर्तक व्यय और ३,००० रुपये के अनावर्तक व्यय की व्यवस्था है । अभी तक २० ब्यूरो के रजिस्टरों में ५,८२५ स्नातक दर्ज हैं ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : इन ब्यूरो के विशिष्ट कार्य क्या हैं और क्या सामान्य रोजगार दफ्तर योजना के कार्यों के कारण दोहरा काम नहीं होगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : इसी आशय से हम ने एक समिति बनायी थी जिस ने संपूर्ण स्थिति की छानबीन की है । हम इस बात को रोकने की कोशिश करते हैं कि विश्वविद्यालयों में रजिस्टर्ड ग्रैजुएट कामदिलाऊ दफ्तरों में अपने को दर्ज करायें और इस प्रकार काम दोहरा न हो ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जो राज्य छट गये हैं क्या उन में भी इसी प्रकार के ब्यूरो खोलने की कोई योजना है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : विचार यह है कि तीसरी योजना के अन्त तक ५६ विश्व-विद्यालयों में से ३८ में ऐसे ब्यूरो कायम किये जायें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चालू रजिस्टरों में लगभग ६,००० व्यक्ति दर्ज हैं । उन में से कितनों को कोई नौकरी मिली है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : वह बहुत बड़ा सवाल है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह प्रयोग सफल रहा है और कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी मिली है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : जहां तक विशेष योग्यता वाले विशिष्ट ग्रेजुएटों का सम्बन्ध है, वह सफल रही है । जहां तक सामान्य ग्रैजुएटों का सम्बन्ध है वह उतनी सफल नहीं रही । हम इस प्रश्न की छानबीन कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भविष्य निधि पर ब्याज

†७६७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड की इस सिफारिश पर निर्णय कर लिया है कि भविष्य निधि की रकम पर ४½ प्रतिशत ब्याज दिया जाये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्) (क) जी हां, २७ मार्च, १९६३ को सरकारी स्वीकृति जारी की गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

जम्मू से काश्मीर को जाने वाला राष्ट्रीय राजपथ

†*७७३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से काश्मीर को जाने वाला राष्ट्रीय राजपथ टट गया है और इसके फलस्वरूप बनिहाल तथा रामबन के बीच हजारों यात्रियों को रुक जाना पड़ा है;

(ख) क्या उनकी सहायता के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन बीच में रुके हुए यात्रियों की यात्रा के लिए लगभग एक सप्ताह तक पर्याप्त प्रबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) सड़क चौड़ी करने के लिये विस्फोट करने के कारण ढीली जमीन, असाधारण वर्षा और हिमपात से पहाड़ टूट जाने से मार्च, १९६३ में जम्मू से श्रीनगर तक राष्ट्रीय राजपथ कई बार बंद पड़ गया था। ९ मार्च को छोड़ कर सभी दिन बसों को श्रीनगर और जम्मू वापिस भेजना पड़ा। बनिहाल तथा रामबन के बीच किसी यात्री को रुकना नहीं पड़ा। फिर भी ९ मार्च को, जम्मू की तरफ के यात्रियों वाली १३ बसों को बटोटे में रुक जाना पड़ा। ८ बसें जम्मू लौट आयीं। बाकी ५ बसें जिन में कश्मीरी मजदूर थे, बटोटे में रुक गयीं क्योंकि यात्रियों ने जम्मू लौटने से इन्कार कर दिया। ६ बसों को जिन में श्रीनगर से बनिहाल तक की सवारियां थीं, अगले दिन श्रीनगर वापिस भेज दिया गया।

(ख) जिन यात्रियों को रुक जाना पड़ा उन्हें राज्य सरकार ने सभी संभव सहायता दी।

(ग) जब काफी संख्या में बड़े बड़े पहाड़ टूटते हैं तब यात्रियों को पहुंचाना जो मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, संभव नहीं होता।

फ्रांस सरकार के साथ करार

\+

७७४. **श्री यशपालसिंह:**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री:
श्री जसवन्त मेहता:
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा फ्रांस की सरकारों के बीच भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में एक करार हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह करार २८ मई, १९५६ को हुए करार का पूरक है; और

---

*मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस करार के अधीन उन लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं जो १ नवम्बर, १९५४ से पहले वहां बसे हुए हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). १६ मार्च, १९६३ को एक 'नोट' पर दस्तखत किये गये, जिस में भारत और फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों की बातचीत का ब्यौरा दिया गया था। विसर्जन संधि (ट्रीटी आफ़ सीशन) के फलस्वरूप जो मामले उठे थे, उनके सम्बन्ध में यह बातचीत की गई थी और यह एक तरह से संधि की कुछ व्यवस्थाओं का स्पष्टीकरण था। २८ मई, १९५६ को जो विसर्जन संधि हुई थी, उसका यह नोट पूरक नहीं है।

(ग) जी नहीं। विसर्जन संधि, १९५६ के अन्तर्गत विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। बहरहाल, संधि का सत्यांकन (रेटिफिकेशन) करने में जो देरी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए, ये सुविधाएं उन लोगों को भी दी गईं जो पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में पैदा हुए थे और जो १ नवम्बर, १९५४ के बाद से लेकर १६ अगस्त, १९६२ तक वहां स्थायी रूप से बस गये थे।

सेना की नई कमान

†*७७५. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी कमान को दो भागों में बांट कर सेना का नया कमान स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है तथा ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) कार्य संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी कारणों से एक नयी मुख्यालय केन्द्रीय कमान बनाने तथा वर्तमान पूर्वी कमान को पुनस्संगठित करने का निश्चय किया गया है। पहली कमान लखनऊ में होगी और वह उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लिए उत्तरदायी होगी और दूसरी कमान का मुख्यालय कलकत्ते में होगा और वह पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, उत्तर पूर्व सीमान्त प्रशासन, मनीपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के लिए उत्तरदायी होगी।

बर्मा से भारतीयों का बड़ी संख्या में जाना

†*७७६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से भारतीय बड़ी संख्या में जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन को अपनी सम्पत्ति साथ लाने की अनुमति है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी नहीं। बर्मा छोड़ कर जाने वाले भारतीयों की संख्या में कोई बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जो भारतीय हमेशा के लिए बर्मा छोड़ कर चले जाते हैं उन्हें अपना वैध सामान ले जाने की अनुमति होती है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्मों का सेंसर किया जाना

†*७७७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि फिल्मों का सेंसर करने के नियमों में संशोधन करने का जो प्रश्न विचाराधीन था उस के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : जांच करने पर यह मालूम हुआ है कि किसी फ़िल्म के निर्यात के लिए कानूनन संसर बोर्ड के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है । व्यवहार में, सीमाशुल्क अधिकारी इस प्रकार का प्रमाण-पत्र मांगते रहे हैं, ताकि निर्यात की जाने वाली कोई फ़िल्म समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम की धारा १९ के अन्तर्गत राजस्व विभाग की उस अधि-सूचना का उल्लंघन न करे, जिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, अश्लील चित्रों के निर्यात का निषेध है । इन उपबन्धों के दृष्टिकोण से, निर्यात की जाने वाली फ़िल्मों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में सलाहकार समितियां गठित करने का इरादा है । इसलिए, सेंसर-सम्बन्धी नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

चौथी योजना का रूप

†*७७८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना की पहली रूपरेखा तैयार कर ली है ;

(ख) क्या यह सच है कि १७,००० करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है ; और

(ग) रूपरेखा की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभि-रामन्)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों में अनुशासन संहिता

†*७७९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालयों ने हाल में अपने नियंत्राधीन उपक्रमों के लिए कुछ परिवर्तनों के साथ १९५८ की अनुशासन संहिता स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य परिवर्तन किए गए हैं ; और

(ग) क्या ऐसे कोई अन्य उपक्रम भी हैं जिन्होंने संहिता को अब तक स्वीकार नहीं किया है और यदि हां, तो किन उपक्रमों ने तथा क्यों ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री त्रे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) रेलवे और प्रतिरक्षा मंत्रालय अपने अपने कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से अनुशासन संहिता स्वीकार करने के प्रश्न की छानबीन कर रहे हैं ।

(ख) परामर्श समाप्त होने तथा संहिता स्वीकार कर लिये जाने के बाद परिवर्तन मालूम होंगे ।

(ग) इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी और प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया ने इस आधार पर यह संहिता स्वीकार नहीं की है कि समाचारपत्र उद्योग की स्थिति अन्य उद्योगों की स्थिति जैसी नहीं है ।

भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बंबई

†१५८५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र बम्बई, ने आण्विक रेडियेशन के शिकार व्यक्तियों के इलाज के लिए एक नया रेडियेशन डोजीमीटर तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सक्षम अधिकारियों ने उस की जांच की है और उस का क्या नतीजा निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई, ने 'रेडियेशन डोजेज' की पैमाइश करने के लिए एक रासायनिक डोजीमीटर तैयार किया है । यह डोजीमीटर केवल रेडियेशन डोजेज की पैमाइश के लिए है, चिकित्सा के लिए नहीं । रेडियेशन चिकित्सा कराने वाले रोगियों में डोजेज़ की पैमाइश के लिए, बम्बई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इस डोजीमीटर का सफलता से उपयोग किया गया है ।

(ख) अणुशक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे में सक्षम अधिकारियों ने उस काम की समीक्षा की है । आण्विक दुर्घटनाओं में आहत व्यक्तियों द्वारा प्राप्त रेडियेशन डोजेज़ को ठीक ठीक नापने के लिये डोजीमीटर प्रणाली के विकास के लिए अणुशक्ति प्रतिष्ठान, बम्बई, में अनुसन्धान जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक सहायक सेना

†१५८६. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में लोक सहायक सेना अधिनियम, १९५८ की धारा ४ के अनुसरण में उड़ीसा राज्य में अब तक कितने और किन-किन स्थानों पर शिविर लगाये गये ; और

(ख) विभिन्न शिविरों में कुल कितने स्वयंसेवक भरती किये गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) १९६२-६३ में उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर लोक सहायक सेना के ४ शिविर लगाये गये :

गुडइगिरी, घाटगांव, करंजिया, जोशीपुर

(ख) इन शिविरों में २०६६ स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया जिस का ब्योरा इस प्रकार है :—

शिविर का स्थान	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
गुडईगिरी	५२०
घाटगांव	५१८
करंजिया	५२०
जोशीपुर	५०८
जोड़	२०६६

उड़ीसा में रिक्त स्थानों की अधिसूचना

†१५८८. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९६२-६३ में सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में कुल कितने रिक्त स्थान अधिसूचित किये गये ; और

(ख) उसी अवधि में उन प्रतिष्ठानों में विभिन्न रोजगार दफ्तरों के जरिये कितनी जगहें अब तक भरी जा चुकी हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) और (ख) :

क्षेत्र	अप्रैल, १९६२ से फरवरी, १९६३ तक अधिसूचित किये गये रिक्त स्थानों की संख्या	अप्रैल, १९६२ से फरवरी १९६३ में भरे गये पदों को संख्या
सरकारी	३३,३३३	१८,८७४
गैर-सरकारी	७,६४६	२,१३४

†मूल अंग्रेजी में

सेना में भरती

†१५८६. **श्री प्रताप सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भरती करने वाले दफ्तर सेना में भरती के लिए रंगरूट पेश करने के लिए भरती कराने वालों को कुछ रकम देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विभिन्न व्यापारों के लिये प्रत्येक श्रेणी के अनुसार दरें भिन्न भिन्न हैं ;

(ग) संकटकाल की घोषणा से १ मार्च, १६६३ तक भारत में भरती करने वाले विभिन्न दफ्तरों (रिक्रूटिंग आफिसेज) ने कुल कितना धन दिया है ; और

(घ) क्या स्वेच्छा से सेना में भरती होने वालों की काफी बड़ी संख्या को देखते हुए वह रकम देना बन्द कर देने का सरकार का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) केवल कुछ ही मामलों में कुछ छोटी छोटी रकमें दी गयी हैं।

(ख) जिन मामलों में भुगतान किया जाता है, वह रकम रिक्रूटिंग अफसर के स्वविवेक के आधार पर निश्चित की जाती है लेकिन वह अधिक से अधिक १० रुपया होगी।

(ग) १ अक्तूबर, १६६२ से २८ फरवरी, १६६३ तक कुल ३६,५६४ रुपये की रकम दी गयी ।

(घ) जी नहीं ।

तीसरी योजना में मजदूर

†१५६०. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि में मजदूरों की संख्या में संभवतः कितनी वृद्धि होगी और कितने मजदूरों को रोजगार के अवसर संभवतः प्राप्त होंगे ; और

(ख) तीसरी योजना की अवधि के पहले दो वर्षों में कितने मजदूरों के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये गये ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री च० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में १७० लाख मजदूरों की वृद्धि होगी और तीसरी योजना की अवधि में संभवत १४० लाख मजदूरों के लिये रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे।

(ख) मोटे और अस्थायी अनुमान के अनुसार लगभग ४० लाख पद तीसरी योजना की अवधि के पहले दो वर्षों में निर्माण किये गये हैं।

आकाशवाणी के ट्रांसमीटर

†१५६१. **श्री डा० श्रीनिवासन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और त्रिचनापल्ली में आकाशवाणी के स्टेशनों पर ट्रांसमीटरों की संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: यह ब्यौरा बताना जनहित में नहीं है ।

उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना

†१५९२. **श्री उलाका** : क्या **प्रधान मंत्री** २५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०८५ के उत्तर के सँबँध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजम जिले में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के लिये तीसरी योजना की अवधि में संभवतः कुल कितनी रकम खर्च की जायेगी ; और

(ख) उड़ीसा में उन शरणार्थियों को बसाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) लगभग ३६ लाख रुपया ।

(ख) यह योजना कई दौरों में कार्यान्वित की जायेगी और वह पहले दौर के नतीजे पर निर्भर होगा । पहले दौर का काम शुरू किया जा चुका है ।

जेपुर (उड़ीसा) में ट्रांसमीटर

†१५९३. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १६ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोरापुर (उड़ीसा) में जेपुर में २० किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (पूर्व प्रस्तावित २० किलोवाट की बजाये) १० किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिये इमारत बनाने का काम जारी है । साज सामान मिल चुका है और अनुमान है कि वह परियोजना १९६३ में पूरी हो जायेगी ।

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार

†१५९४. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में उड़ीसा में कितने शिक्षित बेरोजगार थे ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग कितने थे ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) :

तारीख	चालू रजिस्टरों में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या*
३१-१२-१९६१	८,६६४
३१-१२-१९६२	१०,३३९

†मूल अंग्रेजी में ।

*ट्रिप्लीकेट्स और ऊपर

(ख) तारीख	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
३१-१२-१९६१ . . .	१४९	१०४
३१-१२-१९६२ . . .	१८९	१५७

शंकर समिति

†**१५९५. श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(अ) क्या औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की नौकरी विषेयक परिस्थितियों के बारे में शंकर समिति की सभी सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं ;

(ख) यदि नहीं तो देर के क्या कारण हैं ; और

(ग) जो सिफारिशें अभी तक मंजूर नहीं की गयी हैं वह कौन सी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):** (क) से (ग) . ४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२२ पर एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिये गये वचन के अनुसरण में १४ मई, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये विवरण (दो भागों में) और १७ अगस्त, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९८ के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। शंकर समिति की तीन शेष सिफारिशों में से, चिकित्सा सुविधाओं संबंधी एक सिफारिश पर इस बीच आदेश जारी किये जा चुक हैं। आदेश में यह व्यवस्था है कि ऐसे औद्योगिक कर्मचारी जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, और उनके परिवार केंन्द्रीय सेवायें (चिकित्सा) नियम, १९४४ और अन्य संबंद्ध नियमों और आदेशों के अधीन चिकित्सा सुविधाओं के अधिकारी होंगे।

बाकी दो मदों अर्थात् (१) निलम्बन अवधि में निर्वाह भत्ता और (२) बहाली पर निलम्बन की अवधि के लिये वेतन और भत्तों पर विचार किया जा रहा है। वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक इनकी छानबीन स्थगित रखनी पड़ी थी। इसके बाद वह प्रश्न विभिन्न मंत्रालयों के अधीन औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के प्रमाणीकरण के सामान्य प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया। अब इस मामले को स्वतंत्र रूप से यद्धाशीघ्र निबटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

युद्ध सम्बन्धी प्रचार

†**१५९६.** { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध संबंधी प्रचार कार्य के लिये कुल कितने ज्ञापनन्पत्र, पत्र-पत्रिकायें एवं अन्य सामग्री प्रकाशित की गई और उस में क्या व्यय हुआ ; और

(ख) प्रकाशित सामग्री का कितना प्रतिशत अंग्रेजी भाषा में है, कितना हिन्दी में और कितना अन्य भाषाओं में ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ):** (क) और (ख) . एक विवरण जिसमें १५-३-१९६३ तक प्रकाशित युद्ध संबंधी प्रचार-सामग्री के ब्यौरे दिये गये हैं, सभा की

†मूल अंग्रेजी में

मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—१०८२/६३] विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा १५, २८, ६५० रुपये खर्च किये गये हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा तैयार की गई सामग्री चीफ कन्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी द्वारा प्रकाशित की जाती है और इस पर हुये खर्च का विवरण उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के सेना छात्रों को उपहार भत्ता

†१५९७. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सेना छात्रों को उपहार भत्ता देना बंद कर दिया गया है;

(ख) उसके कारण क्या हैं; और

(ग) उसे चालू करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) छः राज्यों ने राष्ट्रीय सेना छात्र दल के सेना छात्रों को उपहार भत्ता देना बन्द कर दिया है।

(ख) उन राज्यों की सरकारों ने यह इसलिये किया है कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के राइफल सेनाछात्रों को धुलाई भत्ता देने के लिये आवश्यक निधि इकट्ठी की जा सके।

(ग) १९ फरवरी, १९६३ को प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से प्रार्थना की कि परेड के प्रत्येक घंटे में प्रत्येक सेनाछात्र को २० नये पैसे का उपहार दिया जाये ।

नागा आक्रमणकारियों द्वारा एक असैनिक काफिले पर छापा

†१५९८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल से दीमापुर, बरास्ता कोहिमा, तक जाते हुये खोन्गनेम के पास १८ दिसम्बर, १९६२ को नागा आक्रमणकारियों ने सशस्त्र संरक्षण के अधीन एक असैनिक मोटर काफिले पर एकाएक छापा मार दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) ऐसे आक्रमणों को कड़ाई से रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):** (क) और (ख). जी हां, कुछ सशस्त्र हमलावरों ने १८ दिसम्बर, १९६२ को सुबह ८ बजे दीमापुर-इम्फाल सड़क पर ८५ वें मील पर संरक्षण के अधीन एक काफिले पर हमला कर दिया। आगे के संरक्षण दल ने तुरन्त गोलाबारी की। किसी ओर भी कोई आहत नहीं हुआ। गश्ती सेनाओं ने उस क्षेत्र की तलाशी ली और आठ आदमियों को गिरफ्तार किया।

(ग) इम्फाल-दीमापुर के बीच असैनिक मोटर दस्तों को उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों से गुजरते हुए सशस्त्र संरक्षण दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

Refreshment Allowance

स्थायी श्रम समिति

१५९९. श्री म० ला० द्विवेदी:
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष में स्थायी श्रम समिति की कितनी बैठकें हुईं और उन में कितने विषयों पर विचार किया गया;

(ख) क्या मजदूरों को प्रशिक्षण केन्द्रों में उनके कार्य के घंटों में शिक्षा देने, जैसी कि श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है, का प्रस्ताव मालिकों द्वारा ठुकरा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इसको संभव बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि मजदूरों को अपने काम के घंटों में शिक्षा दी जा सके ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्): (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं । इसके विपरीत मालिक प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित समय का कम से कम आधा समय मजदूरों के काम के घंटों में से मंजूर करने के लिए सहमत हो गये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूरोपीय देशों से सहायता

†१६००. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान संकट के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बोझ को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने हमारा औद्योगिक और प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने में मदद करने के लिए भारत को अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता देना मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने यह उदारता दिखायी है और उन्होंने किस प्रकार की और कितनी सहायता देना मंजूर किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण):** (क) और (ख). अपना औद्योगिक तथा रक्षा सम्बन्धी उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय और तकनीकी सहायता की मात्रा और उस सहायता की शर्तों पर सहायता देने वाले देशों के साथ अभी चर्चा हो रही है और सहायता की किस्म तथा परिमाण के बारे में ठीक ठीक जानकारी देना इस समय सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीविजन के जरिये शिक्षा

†१६०१. श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन सेवाओं के जरिये शिक्षा देने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस माध्यम के जरिये शिक्षा देने की उपयोगिता के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: (क) स्कूलों के लिए टेलीविजन कार्यक्रम जो पिछले साल सिर्फ ९वें दर्जे के लिए दिखाये गये थे, इस साल १०वें दर्जे को भी दिखाये जायेंगे। कार्यक्रम देखने-सुनने वाले स्कूलों की संख्या अप्रैल, १९६२ में १५० से बढ़ कर १९६ हो गयी है ।

(ख) जी हां ।

प्रादेशिक सेना

†१६०२. **श्री दलजीत सिंह**: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में प्रादेशिक सेना में कितने व्यक्तियों को भरती किया गया; और

(ख) उन में से कितने आदमी ७५ प्रतिशत परेडों में हाजिर रहे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)** : (क) १ अप्रैल, १९६२ से २८ फरवरी,१९६३ के बीच प्रादेशिक सेना में सभी श्रेणियों के ३,५७८ व्यक्तियों को कमीशन दिया गया। दर्ज किया गया । मार्च, १९६३ के महीने के लिए आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं ।

(ख) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त वर्ष के लिए पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

आकाशवाणी से प्रसारण

१६०३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ४ मार्च, १९६३ के आकाशवाणी में शक्तिशाली ट्रांसमीटरों सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या २३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि किन-किन देशों में आकाशवाणी के प्रसारण बिल्कुल भी नहीं सुनाई देते या बहुत अस्पष्ट सुनाई देते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : आकाशावणी के प्रसारण जिन देशों के लिए होते हैं उन में से पश्चिमी अफ्रीका, आस्ट्रलिया व न्यूजीलैंड तथा फ़ीजी द्वीपों जैसे दूर के लक्ष्य-देशों में धीमे सुनाई देते हैं, और पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के कुछ भागों और यूरोप में कहीं कम और कहीं अधिक स्पष्ट सुने जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के लिए पंचायती रेडियो

†१६०४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में पंजाब राज्य को कितने पंचायती रेडियो सेट दिये गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ):** १९६२–६३ में पंजाब राज्य को ७०० पंचायती रेडियो सेट देना मजूर किया गया है । इन में से १५० सेट दिये जा चुके हैं ।

मद्रास पत्तन में गोदी मजदूर योजना

†१६०५. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास पत्तन में गोदी मजदूर योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** मद्रास गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) योजना अगस्त, १९५४ से चल रही है । इस योजना के अधीन, १-१-१९६३ को १,५७५ कर्मचारी रजिस्टर्ड थे । वे रजिस्टर्ड कर्मचारी उन दिनों में जब कि उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, १ रुपया ५० न०पै० प्रतिदिन का उपस्थिति भत्ता और महीने में २१ दिन का न्यूनतम गारंटीशुदा मजूरी का लाभ पाने के अधिकारी होते हैं । उन्हें कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडन्ट फंड, मजूरी सहित अर्न्ड लीव, चिकित्सा सुविधाएं आदि का लाभ भी दिया जाता है ।

गैर-रजिस्टरशुदा गोदी कर्मचारियों की सूची बनाने की एक योजना भी चल रही है । यह २४ अक्तूबर, १९६० से चालू की गयी थी । १-१-१९६३ को सूची में शामिल कर्मचारियों की संख्या २,४३५ थी । इस योजना के अधीन आने वाले कर्मचारियों को रोटेशनल बुकिंग, तीन पारी की प्रणाली आदि के लाभ मिलते हैं लेकिन न्यूनतम गारंटीशुदा मजूरी और उपस्थिति भत्ता के लाभ नहीं मिलते ।

मद्रास में औद्योगिक एकक

†१६०६. **श्री इलयापेरूमाल:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मद्रास राज्य में कई औद्योगिक एकक स्थापित करने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार की प्रार्थना पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) जी हां ।

(ख) आवदी में एक भारी गाड़ी कारखाना (हेवी विहीकल फैक्टरी) कायम की जा रही है । आवरी में अभी हाल में स्थापित किया गया कपड़े के एक कारखाने में उत्पादन हो रहा है । पैराशूट तैयार करने का काम शुरू करने के लिए इस कारखाने का विस्तार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में भेजे गये भारतीय अफसर

†१६०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६२ से १ मार्च, १९६३ तक भारतीय नौसेना, स्थल सेना और वायुसेना तक कितने अफसरों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया; और

(ख) कितने विदेशी सेना-पदाधिकारी भारतीय सेना के कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षण दे रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) १८० ।

(ख) कोई नहीं ।

इजराइल जाने वाले भारतीय

†१६०८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि जो भारतीय इजराइल जाना चाहते हैं उन्हें विशेष पासपोर्ट के लिए केन्द्रीय सरकार के पास और न कि प्रादेशिक पासपोर्ट अफसर के जरिये जैसा कि दूसरे मामलों में होता है, आवेदन करना पड़ता है;

(ख) जो इजराइली भारत आना चाहते हैं उनके लिए दृष्टांक (वीसा) के लिए क्या व्यवस्था की गयी है; और

(ग) क्या इस कार्यप्रणाली के चलने में कठिनाइयों के कोई उदाहरण सरकार की नजर में आये हैं और उस सम्बन्ध में कोई शिकायत आयी है ?

†**प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी नहीं। अन्य देशों की तरह इजरायल के लिए, पासपोर्ट के लिए आवेदनपत्र प्रादेशिक पासपोर्ट अफसरों को दिये जाते हैं।

(ख) भारत सरकार के दृष्टांक विनियम (वीसा रेग्यूलेशन्स) इजरायल निवासियों सहित सभी विदेशियों पर लागू होते हैं। दृष्टांक के लिए इजरायल निवासियों की प्रार्थनाओं पर गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) इस सम्बन्ध में कठिनाई का कोई उदाहरण नहीं पाया गया है और देर के सम्बन्ध में कोई शिकायत इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट की भारत यात्रा

†१६०९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अमरीका के सेक्रटरी आफ स्टेट श्री रस्क शीघ्र ही भारत आने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उन्हें बुलाया है या वे खुद ही अपने मन से आ रहे हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन की यात्रा का क्या प्रयोजन है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां, श्री रस्क दो दिन के लिए २ मई को दिल्ली आयेंगे ।

(ख) जब हमें बताया गया कि श्री रस्क कराची आयेंगे और दिल्ली से हो कर गुजरेंगे, तब हम ने उन्हें अपने संक्षिप्त दिल्ली यात्रा में भारत सरकार के अतिथि के रूप में आने के लिए निमंत्रित किया ।

(ग) इस यात्रा में भारत सरकार और श्री रस्क के बीच, अमरीका और भारत के लिए पारस्परिक हित के विषयों पर चर्चा की जायेगी ।

माहे में काश्तकार

†१६१०. **श्री अ० प० राघवन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माहे में खेतिहर काश्तकारों को फ्रांसीसी व्यवहार संहिता (सिविल कोड) के अधीन अब भी परेशान किया जा रहा है ;

(ख) क्या माहे में फ्रांसीसी संहिता के अन्तर्गत काश्तकारों के विरुद्ध निष्कासन और हरजाना के मुकदमे दायर किये जा रहे हैं और यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ;

(ग) दिसम्बर, १९६२ से कितने मुकदमों में डिग्री दी गयी ; और

(घ) क्या काश्तकारों को भूतलक्षी प्रभाव से कोई लाभ देने की कोई योजना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार ने १६ जून, १९५८ को मलाबार काश्तकारी अधिनियम, १९२९ को भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती माहे में लागू किया जिस से काश्तकारी कानून के दायरे में फ्रांसीसी व्यवहार संहिता का प्रभाव समाप्त हो गया । उस तारीख से माहे में खेतिहर काश्तकारों को परेशान करने के कोई मामले सरकार की नजर में नहीं आये हैं । सरकार ने २८ अप्रैल, १९६२ को माहे (निष्कासन कार्यवाहियों की रोक) आदेश, १९६२ को भी प्रख्यापित किया है ।

(ख) से (घ). माहे (निष्कासन कार्यवाहियों की रोक) आदेश के प्रख्यापन से निष्कासन या हरजाना के कोई मुकदमे दायर नहीं किये गये हैं । इसलिए काश्तकारों को भूतलक्षी प्रभाव से कोई लाभ देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड

†१६११. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड के आर्मी इंजीनियरिंग कोर के चीफ़ इंजीनियर के कार्यालय को देहरादून में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) और (ख) उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सीमावर्ती सड़क परियोजनाओं के वैभागिक निष्पादन के लिए चीफ़ इंजीनियर के एक संगठन के लिये मंजूरी दे दी गई है ? इस संगठन के मुख्यालय को देहरादून में बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

सुरक्षा परिषद् में चीन-पाक सीमा समझौते का प्रश्न

†१६१२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्री हेम बरुआ:
श्रीमती सावित्री निगम:
श्री महेश्वर नायक :
श्री यशपाल सिंह:
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन-पाकिस्तान समझौते के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकर्षित करने के अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रसंघीय स्तर पर और क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या पुसुरक्षा परिषद् में इस विषय पर चर्चा कराने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). काश्मीर तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर हुई संयुक्त बातचीतों को ध्यान में रखते हुए, इस समय सुरक्षा परिषद् में और कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

विद्रोही नागाओं द्वारा लाई गई जाली भारतीय मुद्रा

†१६१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि एक सौ नागाओं का एक समूह, जिस के बारे में यह कहा जाता है कि वह हाल ही में पूर्व पाकिस्तान को पार कर के नागालैंड में आया है, अपने साथ ३० लाख रुपयों के मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा लाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं। और

(घ) ऐसी मुद्रा के परिचलन को रोकने तथा उस को ज़ब्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मनीपुर के ग्रामीणों के कथनानुसार जो विद्रोही नागा उनके क्षेत्र से हो कर गुज़रे थे उन के पास भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा थी। यह बताने के लिये कोई साक्ष्य नहीं है कि वह मुद्रा जाली

---

†मूल अंग्रेजी में

थी अथवा तस्कर व्यापार से लाई हुई थी अथवा किस साधन से वह प्राप्त की गई थी । अभी तक कम मूल्यों वाले सात नोट जिन का कुल मूल्य ५६ रुपया है इस संदेह पर पकड़े गये हैं कि वह नागा दल से आये हैं । उन की विस्तृत छानबीन की जा रही है । यह प्रविधिक अनुसन्धान अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(घ) विद्यमान राजकोष नियमों के अधीन ऐसी जाली मुद्रा का परिचलन रोकने के लिये तथा उसे जब्त करने के लिए कदम उठाये गये हैं । जिन जाली नोटों की इस प्रकार पहचान कर ली जाती है उन के साथ तथा साथ ही साथ उन के रखने वालों के साथ पुलिस भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के अनुसार व्यवहार कर सकती है । अभी तक नागालैंड में ऐसी कोई जाली मुद्रा नहीं पकड़ी गई है ।

आकाशवाणी द्वारा पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा

†१६१४. **श्री दलजीत सिंह:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२ में आकाशवाणी द्वारा कितनी पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा की गई थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : चौवालीस ।

कोठागुडम में बहु-प्रयोजनीय संस्थायें

†१६१५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम में बहुप्रयोजनीय संस्थाओं के निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) संस्था कब कार्य करना प्रारम्भ कर देगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) निर्माण के लिए व्यय का स्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया है ।

(ख) ज्योंही निर्माण कार्य पूरा हो जाता है ।

सिंगरेनी कोलियरीज खान कम्पनी

†१६१६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा क्वार्टरों का निर्माण किये जाने के लिये सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी को जनवरी-मार्च, १९६३ के दौरान कोई भुगतान किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की राशि कितनी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि मालवीय)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ तथा सीमावर्ती सड़कें

†१६१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आपात को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजपथों तथा सीमावर्ती सड़कों को बढ़ाने के लिए एक प्रबल आन्दोलन चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी वर्ष की सम्बन्धित योजनाओं के लिये कितनी धन राशि नियत की गई है ; और

(ग) सुसंगत योजनाओं के ब्यौरे क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण)**: (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित योजनाओं के सम्बन्ध में १९६३-६४ के आय-व्ययक प्राक्कलनों में कुल ५१ करोड़ ४३ लाख रुपये सम्मिलित कर लिये गये हैं ।

(ग) योजनाओं के ब्योरों को प्रगट करना लोकहित में नहीं है ।

पंजाब की पहाड़ियों पर व्यय

†१६१८. **श्री हेम राज** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय योजना काल के दौरान पंजाब की पहाड़ियों में कितना रुपया व्यय किया गया था । और विभिन्न मदों पर अलग अलग कितना रुपया व्या किया गया था ; और

(ख) तृतीय योजना काल में इन पहाड़ियों पर कितना रुपया व्यय करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)**: (क) पर्वतीय क्षेत्र की योजनाओं के विशेष विकास कार्यक्रम के लिए केवल १९६०-६१ में ही पृथक आवंटन किया गया था । एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में विकास के विभिन्न शीर्षों के अधीन किया गया व्यय दिखाया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १०८३ / ६३]** :

(ख) ६ दिसम्बर, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ६२४ के भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

तामिल कलाकार

†१६१९. **श्री नम्बियार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वश्री राजरतनम्, कारईकुडी साम्बसिवन, आर्यकुडी रामानुजम और महाराजपुरम विश्वनाथन के रिकार्ड सुरक्षित रखे जा रहे हैं ;

(ख) सर्वश्री एम० के० त्यागराज भागवादर, एस० जी० किट्टप्पा, एन० एस० कृष्णन् और मदुराई मनी अय्यर जैसे सुविख्यात संगीतज्ञों के रिकार्डों को सुरक्षित रख के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार तमिल संगीतज्ञों के उन रिकार्डों के पूरे पूरे ब्यौरे सभा-पटल पर रखेगी जोकि सुरक्षित रखे गये हैं तथा जिहें सुरक्षित रखने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न के इस भाग में उल्लिखित संगीतज्ञों को मिलाकर सुविख्यात संगीतज्ञों के रिकार्डों को सुरक्षित रखने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें आकाशवाणी के अभिलेखागार में तामिल संगीतज्ञों के पहले ही से सुरक्षित रखे गये रिकार्डों के ब्यौरे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० १०८४/६३।**] क्योंकि सुरक्षित रखने के लिय सुविख्यात संगीतज्ञों के रिकार्डों को चुनने का कार्य निरन्तर चलता रहता है, अतः भविष्य में चुने जाने वाले रिकार्डों के ब्यौरे देना संभव नहीं है।

चल चित्र संस्था, पूना

†१६२०. **श्री नम्बियार**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना की चलचित्र संस्था को चलचित्र उद्योग द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) संस्था के प्रारम्भ होने के तीसरे वर्ष में सरकार इसे किस प्रकार अधिक आकर्षक तथा उपयुक्त बनाने का विचार करती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्र (श्री शामनाथ)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

बच्चों के लिय वृत्त-चित्र[1]

†१६२१. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९६२–६३ में चलचित्र विभाग द्वारा बच्चों के लिय कितने चलचित्र बनाये गये थे ; और

(ख) कथित विभाग १९६३–६४ में इस प्रकार के कितने वृत्त चित्र बनायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: (क) और (ख). कोई नहीं, श्रीमन्। बच्चों के लिय चलचित्र बनाना इस विभाग का कार्य नहीं है।

वैज्ञानिक विषयों पर वृत्त-चित्र

†१६२२. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या निकट भविष्य में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर वृत्त चित्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Documentaries

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** (क) और (ख). चलचित्र विभाग के १९६३–६४ के उत्पादन कार्यक्रम में निम्नलिखित वैज्ञानिक विषयों पर चलचित्र सम्मिलित हैं :—

१. अप्सरा रिएक्टर
२. तारापुर अणुशक्ति परियोजना
३. यूरेनियम
४. भारतीय समुद्री अभियान दल
५. बाह्य वायुमंडल का अनुसंधान
६. आपरेशन गवेषणा
७. खनन प्रणालियां
८. सड़कों का वैज्ञानिक रीति से निर्माण
९. पुरुषों के अनुर्वरीकरण की प्रविधि
१०. स्त्रियों के अनुर्वरीकरण की प्रविधि
११. रेलवे द्वारा रूपांकनों तथा मानकों में अनुसंधान
१२. एनकों का शीशा
१३. कृत्रिम श्वसन की विधियां
१४. अनुसंधानों के लिय वैज्ञानिक सहायतायें
१५. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कृषि में स्थान
१६. टिड्डी नियंत्रण

नौ-सैनिक जहाज का कारखाना

१६२३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी कोलाबा क्षत्र में नौसेना के छात्र छात्राओं को जहाज निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिय एक जहाज का कारखाना खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जहाज को बनाने के लिये कितना रुपया व्यय होगा; और

(ग) कितने छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जायगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) से (ग). जी नहीं। माननीय सदस्य का इशारा शायद उस आधारशिला की ओर है, जिसका न्यास प्रधान मंत्री ने २० मार्च, १९६३ को बम्बई में, नौसेना छात्रदल के मुख्यालय भवन के संबंध में किया। यह दल एक गैर-सरकारी स्वयंसेवक युवक संस्था है, और इसका उद्देश्य है, ११ और १७ वर्ष के बीच लड़के लड़कियों को समुद्र संबंधी प्रशिक्षण तथा एसा प्रशिक्षण देना जो उनमें एसे गुण पैदा करे, कि वह अच्छ नागरिक बन सकें, और समुद्र सेवा अपनाने वाले लड़कों को अपना ध्यय प्राप्त करने में सहायी हो। इस भवन परियोजना में रक्षा मंत्रालय ने कुछ खर्च नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी

†१६२४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के प्रबन्धकों ने खानों के मुख्य निरीक्षक के परिपत्र के अनुसार सुरक्षा उपकरण के एक भाग के रूप में कठोर टोपों के निःशुल्क संभरण को क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कठोर टोपों के निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करने के लिय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय)** : (क) और (ख). खानों के मुख्य निरीक्षक ने कोयला खान विनियमों के अधीन एक आदेश जारी किया है जिसमें यह अपेक्षा कीगई है कि कोयला खानों में लगे हुए व्यक्तियों के कुछ उल्लिखित प्रवर्गों को कठोर टोप देने की व्यवस्था की जायें। आदेश में एसी कोई परिकल्पना नहीं की गई है कि टोप निःशुल्क वितरित किय जाने चाहिये। एसा प्रतीत होता है कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी अपने कर्मचारियों को ५० प्रतिशत लागत पर कठोर टोप उपलब्ध कराती है।

पैराशूटों का आयात

†१६२५. **श्रीमती शारदा मुखर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी पैराशूटों का आयात किया जा रहा है ; और

(ख) क्या स्वदेशी साधनों से पैराशूट प्राप्त करने के संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: : (क) जी, हां)।

(ख) जी, हां। स्वदेश में भी पैराशूटों का निर्माण किया जा रहा है। कुछ विशष आवश्यकताओं तथा अविलम्बनीय कमियों को पूरा करने के लिय आयात किये जा रहे हैं।

ध्वनि की गति से भी अधिक तेज चलने वाले लड़ाकू जैट विमान

†१६२६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या ध्वनि की गति से भी अधिक तेज चलने वाले लड़ाकू जैट विमानों के निर्माण में कोई एक अथवा अनेक देश भारत के साथ सहयोग दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो एसे देशों के क्या नाम हैं ;

(ग) सहयोग की क्या शर्तें हैं ; और

(घ) एसे सहयोग के परिणामस्वरूप अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां।

(ख) रूस।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) लाइसैंस के अधीन मिग वायुयानों के भारत में निर्माण के संबंध में भारत सरकार ने रूसी सरकार के साथ समझौता कर लिया है। समझौते के अधीन, रूसी सरकार हमें इंजनों को मिलाकर पूरे वायुयानों के संबंध प्रविधिक जानकारी तथा निर्माण संबंधी जानकारी देती रहेगी वे परियोजनाओं का प्रतिवेदन तैयार करने में तथा कारखानों को स्थापित करने आदि के कार्य में भी हमें प्रविधिक सहायता देते रहेंगे।

(घ) रूसी प्रविधिज्ञों का एक दल इस समय भारत में है और परियोजना के प्रतिवेदन को तैयार करने का कार्य प्रगति कर रहा है।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : मैंने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किये गये और २५ मार्च, १९६३ को सभा को दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां पटल पर रखीं :—

(१) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६३।

(२) कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक, १९६३।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय :** लोक सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने चौथे प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गयी अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दे दी जाये :

राजा पू० चं० देवभंज, श्री मुत्तुरामलिंग तेवर, श्री कमल नाथ तिवारी, महारानी विजय राजे सिंधिया आफ ग्वालियर, श्री चू० न० सिंह, श्री रंगाराव, श्री चेरियन के० कंडप्पन, श्री आनन्द नम्बियार, श्री जयरामन्, श्री पी० रा० रामकृष्णन्, श्री रा० कनकसबै, श्री लाल श्यामशाह, श्री देवेन्द्रनाथ काजी, श्री निशामणि, श्री दशरथ देव, श्री वीरेनदत्त, श्री गोविन्द हरि देशपांडे, श्री मूलदास भूधरदास वैश्य, श्री विजय भूषण सिंह देव, श्री वारियर, श्री इम्बीचिबावा।

क्या सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ?

माननीय सदस्य : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय:** सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

सदस्यों द्वारा वक्तव्य

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : १ अप्रैल, १९६३ को गृह-मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने हमारे दल के सम्बन्ध में यह कहा था कि एक सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा कि प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को गोली से उड़ा देना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में।

गृह-कार्य मंत्री महोदय ने उस सदस्य का नाम बताने से इनकार कर दिया । हम ने इस पर आपत्ति की । इस पर अध्यक्ष ने यह राय दी कि :

"उन कागजातों या साक्ष्य को सभा पटल पर रखा जाना चाहिये अथवा मंत्री को उन्हें यह जानकारी देनी चाहिये जिसके बल पर वे अपने आरोप प्रमाणित कर सकें ।"

इस पर भी प्रमाण देने को तैयार नहीं हुए तथा उन्होंने कहा कि में अपने आरोपों पर दढ़ हूं ।

इसके पश्चात् जब गृह मंत्री ने मुझे मिलने का समय दिया तो में तत्काल तैयार हो गया । हम तीन बार मिले । उन्होंने मुझे वे कागजात दिखाये जिसके आधार पर उन्होंने यह बात कही थी ।

यह आरोप केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को एक रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया है तथा वह रिपोर्ट असंतोषजनक तथा झूठ है । रिपोर्ट एक खाका मात्र है । क्योंकि इस में इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि भाषण कहां दिया गया है तथा वह सभा किसके तत्वावधान में हुई । इसके अतिरिक्त जिस सदस्य ने भाषण दिया गया बताया गया है वह पिछले १६ महीनों से प्रजा समाजवादी दल का सदस्य नहीं है । यह कहा गया है कि भाषण नवम्बर में दिया गया था । कथित भाषण के बारे में समाचार एक उर्दू साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ है परन्तु इस में भी सभा और स्थान के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है ।

यद्यपि कथित भाषण नवम्बर में दिया गया था न तो सरकार ने कोई जांच की और न ही उन्होंने उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की है ।

सच्चाई यह है कि उक्त भाषण के बारे में गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट एकदम निराधार है । ऐसी रिपोर्ट के आधार पर प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध आरोप लगाना गृह-कार्य मंत्री के लिये अनुत्तरदायित्व पूर्ण बात है । ये आरोप केवल इस कारण लगाये गये हैं कि लोगों की निगाह में दल की प्रतिष्ठा कम हो ।

ऐसी परिस्थिति में गृह-कार्य मंत्री को यह चाहिये कि वे सभा में इस गलत वक्तव्य के लिये माफी मांगें ।

में सभा से अनुरोध करूंगा कि ऐसी स्थिति में वह मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें तथा निश्चय करना चाहिये कि क्या कदम उठाये जायें ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मुझे इस वक्तव्य की भाषा सुन कर तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के बारे में जो कुछ कहा गया है, उसे सुन कर बहुत दुःख हुआ । में इस सम्बन्ध में अत्यन्त विनीत शब्दों में जो कुछ कहना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

मैं इस सम्बन्ध में कोई तर्क नहीं करना चाहता हूं । में केवल कुछ तथ्यों के बारे में आप को बताऊंगा ।

जनवरी, १९६३ में मेरा ध्यान उर्दू साप्ताहिक में प्रकाशित एक संवाद की ओर आकर्षित किया गया जो नवम्बर, १९६२ को एक आम सभा में दिये गये आपत्तिजनक भाषण के बारे में था । भाषणकर्त्ता ने यह कहा था कि यदि एक इंच भूमि भी चीन के कब्जे में रहेगी तो वह पंडित नेहरू को उड़ा देगा । मैंने गुप्तचर विभाग से इस का पता लगाने को कहा । मार्च के आरम्भ में मुझे पता लगा कि यह प्रजा समाजवादी दल के एक सदस्य ने दी है ।

इसी बीच उसी स्थान के एक अन्य उर्दू समाचार पत्र के उस भाषण का हवाला दिया । तथापि उसकी प्रति मेरे पास न होने से में उसे श्री द्विवेदी को नहीं दिखा सका ।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मार्च में मुझे गुप्त वार्ता विभाग से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, मुझे उसके सत्य होने में कोई संदेह नहीं था, विशेषकर जब कि उसी स्थान से प्रकाशित होने वाले उर्दू के समाचार पत्रों से उसकी पुष्टि होती थी। मैंने उस भाषण को अत्यधिक आपत्तिजनक पाया और कहा था कि इस की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाया जाये। ८ मार्च को गृह सचिव ने सम्बन्धित राज्य के मुख्य सचिव को लिखा था :

> "हम उस व्यक्ति के कार्यों और उर्दू समाचारपत्रों में प्रकाशित भाषण को अत्यधिक आपत्तिजनक समझते हैं। हमारा सुझाव है कि भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अधीन राज्य सरकार उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार करे।"

अतः जो कुछ श्री द्विवेदी ने कहा है, कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया, सत्य नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यह ऐसा नहीं था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं सारी फाइल माननीय सदस्य को नहीं दिखा सकता। मुझे बताया गया है कि यह व्यक्ति १९५० से पी० एस० पी० का सक्रिय सदस्य है और मुझे उन के कार्यों का पूरा ज्ञान है। १९६१ के अन्त में, उस ने अस्थाई रूप से स्वतंत्र दल में प्रवेश कर लिया था, किन्तु शीघ्र ही छोड़ दिया था। उस के बाद वह प्रजा समाजवादी दल के कार्यकर्ताओं के साथ रहा है और यह भाषण उस ने नवम्बर, १९६२ म दिया था।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मुझे एक और रिपोर्ट मिली थी जिस के अनुसार प्रजा समाजवादी दल के एक सदस्य ने एक सार्वजनिक जलसे में कहा था कि प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को देश के प्रति निष्ठा नहीं है क्योंकि उन्होंने कोलम्बो प्रस्ताव मान लिये थे। उसने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु दंड देना चाहिये और अन्य देशों में ऐसे व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया जाता है। में ने श्री द्विवेदी से इस का उल्लेख किया था और आगे जांच करने से मालूम हुआ है कि ऐसा वक्तव्य वास्तव में दिया गया था।

मैं केवल गुप्तचर विभाग की रिपोर्टों के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम लेकर आलोचना नहीं करूंगा किन्तु ये रिपोर्टें राजनीतिक फैसले और प्रशासनिक कार्यवाही का आधार बन सकती हैं। मामले की और छानबीन करने के बाद, मैं अनुभव करता हूं कि मैं ऐसा वक्तव्य देने में ठीक था। किन्तु सदन यह देखेगा कि मांग किये जाने बावजूद मैंने कोई नाम नहीं लिये। में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह दल शान्तिपूर्ण और वसंवैधानिक तरीकों में यकीन रखता है किन्तु कोई दल यह दावा नहीं कर सकता कि इस के प्रत्येक सदस्य का आचरण सदा प्रशंसनीय होता है। यदि समय समय पर कोई सदस्य अनुचित बात भी कह दें, तो सारे दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिये मेंने प्रजासमाजवादी दल की, जिसका दृष्टिकोण सब को मालूम है, निन्दा नहीं करना चाहता था।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर): यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या वह उस दिन, जिस दिन उस ने भाषण दिया था, प्रजा समाजवादी दल का सदस्य था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैं अब भी कहता हूं कि वह व्यक्ति वक्तव्य देने से बहुत पहले प्रजा समाजवादी दल छोड़ चुका था। दूसरी बात यह है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जानकारी दी है, वह सच नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : औचित्य प्रश्न के हेतु। भविष्य में क्या यह उचित होगा कि केवल गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गम्भीर आरोप लगाये जायें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों वक्तव्य आप के सामने हैं। किन्तु तथ्यों की सच्चाई के बारे में मतभेद है। दोनों पक्ष कहते हैं कि उन का बयान ठीक है। इसलिए में दोनों वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दूंगा। माननीय सदस्य अपना अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने केवल गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट पर निर्भर नहीं किया, बल्कि आगे जांच भी की थी। जांच करने के बाद जब उन्होंने अनुभव किया कि इस में सच्चाई है, तभी उन्होंने वक्तव्य दिया था।

मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसे आरोप लगाने से पहले वे अधिक संयम से काम लें। यदि कोई और व्यक्ति ऐसे आरोप लगायें, तो उन के विरुद्ध न्यायालय कार्यवाही कर सकते हैं, किन्तु यहां केवल सदन ही कार्यवाही कर सकता है। इस लिए सदस्यों को अधिक संयम से काम लेना चाहिये।

†**श्री का० ना० पांडे** (हाटा) : आप ने कहा है कि गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट पर इतना निर्भर नहीं करना चाहिए किन्तु और कौन सा जरिया है, जिस पर निर्भर किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे गृह-कार्य मंत्री से सलाह कर सकते हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : भाषण के उस भाग को जिसे आपत्तिजनक पाया गया है, समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करना चाहिये।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : श्री मल्होत्रा की पहली बात यह थी कि भारत कृषक समाज जैसे संगठनों को, जो सरकार से सहायता लेते है, उचित रूप से काम करना चाहिये। मैं उन्हें और सदन को बताना चाहता हूं कि यद्यपि समाज ने १९५४–५५ से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी, १९५९–६० के बाद इसे न कोई सहायता मिली है और न मांगी है। जब तक इस को सहायता मिलती रही, इसे सरकार को लेखापरीक्षित लेखे देने पड़ते थे और अपने कार्यों के बारे में भी सूचना देनी पड़ती थी। और कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। १९५९–६० के बाद इस बात का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि समाज ने वित्तीय सहायता लेनी बन्द कर दी थी और वह अपने पांव पर खड़ा हो गया था।

दूसरी बात श्री मल्होत्रा ने समाज द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में की थी, जो कि विश्व कृषि मेले के सम्बन्ध में की हुई थी। इस सम्बन्ध में मेरा हक है कि मैं उन के मन में जो शंकायें है, उन्हें दूर करूं, परन्तु चूंकि मुझे सलाह दी गई है कि में पहले अपना स्पष्टीकरण लोक लेखा समिति के सामने रखूं, और जब समिति उस पर विचार कर ले, तो सदन उस पर निर्णय करेगा। में इस सम्बन्ध में समिति को एक नोट भेज रहा हूं और आशा करता हूं कि समिति इस निर्णय पर पहुंचेगी कि में और भारत कृषक समाज बिलकुल निर्दोष हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: श्री मोरार जी देशाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ में आगे संशोजित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी

प्रतिरक्षा मन्त्रालय—जारी

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने प्रतिरक्षा की मांगों की चर्चा में भाग लिया है और इन का एक मत से समर्थन किया है, यद्यपि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने प्रतिरक्षा के भिन्न भिन्न पहलूओं पर जोर दिया है, जहां तक इन मांगों के स्वरूप और राशि का संबंध है, सब ने एक मत हो कर इन का समर्थन किया है।

इसके साथ सदस्यों ने मेरे प्रति जो सद्भावना प्रकट की है और मुझ में जो विश्वास प्रटक किया है उस के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

प्रशासनिक मामलों के विस्तार में न जाते हुए, मैं वाद विवाद में उठाये गये कुछ बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दूंगा। किन्तु माननीय सदस्यों ने विस्तार के जो प्रश्न उठाये हैं, मैं उन पर अवश्य विचार करूंगा और यदि मैं उन के बारे में किन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचा, तो उन्हें सूचना दूंगा।

कुछ सदस्यों ने गोपनीयता और जानकारी की कमी का उल्लेख किया था। मैं सदनको अश्वासन देना चाहता हूं कि सदन पर विश्वास न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि यह देश का सर्वप्रमुख सम्पन्न सदन है जब यहां कोई जानकारी नहीं दी जाती, तो ऐसा अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि इस लिए किया जाता है कि यह लोक हित में नहीं होता। लोक हित को मैं कोई मूल सिद्धांत नहीं बनाना चाहता। मैं अपने भाषण के दौरान में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिस से प्रकट होगा कि सदन से कुछ छिपाने का प्रश्न ही नहीं है। यद्यपि कभी कभी समाचार पत्रों में कुछ जानकारी प्रकाशित हो जाती है यह आवश्यक नहीं है कि सरकार द्वारा इसका समर्थन या खंडन किया जाये। देश को सुरक्षा और लोक हित को ध्यान में रखते हुए, हम सदन को अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस वर्ष प्रतिरक्षा की मांगों की राशि न केवल बहुत बड़ी है बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। यह हमारे देश के प्रतिरक्षा प्रयत्नों का प्रतीक है और यह भविष्य में भी इतना ही रहेगा और हमें इस प्रकार के प्रयत्नों के लिए देश के लोगों में विश्वास पैदा करना होगा।

यह कहना गलत है कि हमारे देश में प्रतिरक्षा संबंधी आयोजन नहीं है। मैं इसके राजनीतिक पहलू पर कुछ प्रकाश डालूंगा।

प्रतिरक्षा आयोजन, या किसी प्रकार के आयोजन के दो पहलू होते हैं। दीर्घकालीन पहलू और अल्पकालीन पहलू। दीर्घकालीन पहलू देश की विदेशी नीति पर निर्भर करता है। विदेशी नीति के अन्य उद्देश्यों में से एक यह भी होता है कि यह प्रतिरक्षा का एक आधार भूत साधन भी होता है और इसका प्रतिरक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। संकट काल में यह सिद्ध हो गया है कि विश्व की समस्याओं के प्रति हमारे बुनियादी दष्टिकोण से हमारे देश की प्रतिरक्षा के लिए बहुत लाभदायक साबित हुआ है। ऐसा कहते हुये मैं आज प्रयत्न के महत्व को जो हमारी सेनाओं को मजबूत करने के लिये किये गये हैं, कम नहीं करना चाहता। इस समय विश्व में कुछ नई प्रवृत्तियां देखने में आ रही है। १९६२ में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई—पहली क्यूबा में और दूसरा चीन का भारत पर आक्रमण। इन घटनाओं के बाद विश्व का इतिहास कुछ बदलना शुरू हो गया है और इस का एक परिणाम यह है कि बहुत से देश विश्व को युद्ध से बचाने के लिये इक्ट्ठे हो रहे हैं। साम्यवादी और गैर-साम्यवादी देश दोनों यह समझने लगे हैं कि सह-अस्तित्व आवश्यक है, केवल चीन ही ऐसा देश है जो समझता है कि युद्ध होना चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो देश ऐसे सोचता है, वह हमारा निकट का पड़ौसी है। इस कारण हमारे लिये अपने देश की प्रतिरक्षा की तैयारी करना अनिवार्य हो गया है। मैं केवल यह कहना चाहता था।

इस पड़ौसी देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जागरूक रहने और सतर्करूप से प्रयास करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। सीमांत के झगड़े से बात आरंभ की गई है। हम आशा करते हैं कि चीन सरकार कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करेगी और इस समस्या का हल खोज लिया जायेगा। उस हालत में सरकार को काफी प्रसन्नता होगी।

किन्तु, इसके अतिरिक्त, एक अन्तर्भूत दोष है जिसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिये। सभा ने देश की प्रतिरक्षा के प्रति जो चिन्ता व्यक्त की है, नई सचेतनता जागरूकता और प्रतिरक्षा प्रयासों के प्रति जो नई चैतन्यता दिखाई है उससे मैं भी सहमत हूं। यह हमारे देश के लिये सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार की युद्ध के प्रतिरक्षा के बड़े प्रयास को सभा का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त है ; यद्यपि भारी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से असंतोष हो सकता है तथापि सारे देश ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया है, क्योंकि, देश को इस बात का ज्ञान है कि प्रतिरक्षा के लिए यह अत्यंत वांछनीय और आवश्यक काम है। इस स्थिति को समझने के पश्चात् कि इतने विशाल पैमाने पर प्रतिरक्षा प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है, हमें यह भी सोचना पड़ता है कि इसे किस प्रकार किया जाये।

इसके पश्चात् निश्चय ही मैं इस विषय पर बोलूंगा कि योजना किस प्रकार बनायी जाये और किस प्रकार के प्रयास किये जायें। योजना से मेरा अर्थ केवल इसी वर्ष की योजना से नहीं है। आने वाले वर्षों में हम ३ अथवा ४ दिशाओं में प्रयास करेंगे। मैं इस समय अल्पकालीन योजना की ही बात कर रहा हूं, दीर्घकालीन की नहीं, किन्तु अल्पकालीन योजना भी कई वर्षों तक चलेगी। अभी चार दिशाओं में प्रयास आरम्भ किया जायेगा। प्रथम तो सेना का विस्तार किया जायेगा। इसके बाद वायु सेना का विस्तार किया जायेगा और उसे आधुनिक रूप से सज्जित किया जायेगा। तीसरी बात यह

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

है कि प्रतिरक्षा क्षेत्र में हम जिन नवीन उपभोग क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उन्हें दृष्टि में रखते हुये एक काफी मजबूत उत्पादन का आधार बनाया जायेगा। और चौथी बात यह है कि उस सीमा तक संचार और परिवहन जैसी सहायक सुविधाओं को बढ़ाया जायेगा और उसका विस्तार किया जायेगा। सामान्यत: इन चार दिशाओं में हमें प्रयास करना है। मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारा अभिप्राय है तथा यह हमारा निश्चय और दृढ़ निश्चय है कि आगामी दो वर्षों में हम अपनी सेना की शक्ति अब से दुगनी कर देंगे। मैं जानता हूं सदस्य कह सकते हैं कि इससे तिगुना अथवा चौगुना क्यों ना कि कुछ कर दिया जाये। यह एक ख्याली पुलाव है ; क्योंकि सेना केवल लोगों का समूह ही नहीं, प्रशिक्षण प्राप्त लोगों का भी नहीं। सेना में प्रशिक्षण प्राप्त लोग और प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी होते है, तथा पर्याप्त शक्तिशाली उपकरण और बहुत सी अन्य चीजें होती हैं। मैं उसके बारे में भी बोलूंगा यह निश्चय ही, यदि मैं कह सकूं तो, महत्वांकाक्षी कार्यक्रम है, किन्तु हम उन्हें ही अपना लक्ष्य बना कर उसे आपकी और जनता की सहायता से तथा मित्र देशों के मित्रता पूर्ण रूख से पूर्ण करना चाहते हैं। यद्यपि हम उत्पादन पर जोर दे रहे हैं तथापि स्वभाविक है कि निकट भविष्य में हम अपने मित्र राष्ट्रों की सहायता पर ही निर्भर करेंगे। यहां मैं अपने मित्र राष्ट्रों, अमरीका ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के स्वत: स्फूर्ति रूख के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारी सहायता की उससे मित्रता की धावना का आभास मिलता है। इससे यह पता चलता है कि हमारी शामिमान तटस्थ नीति समान हुई है और हमें किसी दल अथवा गुट के स थ गंठजोड़ नही करना पड़ता।

अब मैं पुन: सेना के विषय में कुछ बातों का उल्लेख करूंगा। कुछ सदस्यों ने पर्वतीय डिवीजन बनाये जाने के विकास के विषय में उल्लेख किया था। उन्हों ने जिस प्रकार के प्रश्न पूछे थे उस से यह प्रतीत होता है कि इस के बारे में उन की धारणायें भ्रामक हैं। उन का विचार है कि पर्वतीय डिवीजन पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की ही बनाई जायेगी। मैं सामान्य डिवीजन और पर्वतीय डिवीजन के विशिष्ट पहलुओं की व्याख्या करूंगा, जो, जहां तक मुझे ज्ञात हैदो अथवा तीन हैं। जहां तक संख्या का सम्बन्ध है यह वस्तुत: एक जैसी ही है। किन्तु दो बातों में विभिन्नता है, एक तो गतिशीलता और दूसरी गोला बारूद सम्बन्धी शक्ति। और तीसरी आवश्यक बात यह है कि इसे एक प्रकार के विशेष प्रशिक्षण, जलवायु अभ्यास, कुछ विशेष गाड़ियों के विशेष प्रकार के प्रयोग के ज्ञान इत्यादि और विशेष प्रदेश में विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। मुझे आशा है कि, जैसी हम ने योजना की थी, इस वर्ष के अन्त तक हम पांच पर्वतीय डिवीजन बना लेंगे।

मैं एक या दो ब्यौरों का उल्लेख करूंगा। कुछ सदस्यों ने नेफा में जांच किये जाने का उल्लेख किया था। मैं कुछ समय बाद इस पर प्रकाश डालना चाहता था। किन्तु कुछ सदस्यों ने कहा "क्या हम नेफा समिति का निर्णय आने तक योजना बनाने की प्रतीक्षा ही करते रहेंगे। तब तक हमें क्या करना है ?" मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम चुपचाप बैठे हुए इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे हैं, कि उनके आने के बाद हम शिक्षा लेंगे और फिर कार्य आरम्भ करेगे। सेना के अधिकारी सक्षम और अपने कार्य में दक्ष हैं और उन्हों ने इस समस्या का अपने तरीके से अध्ययन कर के कुछ निष्कर्ष निकाले हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया है। मैं इस सभा पर और जनता पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि वह यह सोच कि हम उन्हें यह नहीं बताना चाहते कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। निश्चय ही पिछले अभियान के अनुभव से हमें शिक्षा लेनी है। इस में कोई सन्देह नहीं। मैं इस के गुण दोषों पर विचार करना नहीं चाहता। मैं इस अभियान की विवेचना करना नहीं चाहता, क्योंकि इस कार्य के लिये विशेषज्ञ हैं। किन्तु उन दिनों जिस शीघ्रता से और अकस्मात वह घटनायें हुईं उन से अवश्य हम ने

कुछ शिक्षा लेनी है । हम ने यह अनुभव किया है कि अभियान के लिये योजनाओं में सुधार करना आवश्यक है । उन सुविचारित योजनाओं के साथ युद्ध सम्बन्धी चालें भी होनी चाहियें और उन्हें भी पहले ही तैयार कर लिया जाना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक प्रत्याशित अभियान, जहां भी यह हो, पहले से ही सुविचारित हो और युद्ध सम्बन्धी चालों को विस्तार से तैयार किया जाये । मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि ऐसी योजनायें आरम्भ ही नहीं की गई, अपितु कुछ हालतों में पूर्ण भी कर ली गयीं हैं ।

सेना के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है । हमारा प्रमुख सिद्धान्त यह था कि सेना और वायु सेना के बीच निकट सहयोग और समझ-बूझ हो और वह इस विषय में अपनी योजनाओं का परस्पर मिलान करा लें । इस विषय में भी विस्तार से विचार किया गया है । जल वायु अभ्यास के प्रश्न पर भी काफी जोर दिया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों में वह कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है । किसी क्षेत्र में भेजे जाने के पूर्व हमारी सेना को उस जलवायु का अभ्यास कराया जाता है और तब उन्हें उस क्षेत्र में भेजा जाता है जहां उन्हें कार्य करना है । योग्य होने का प्रमाणपत्र बहुत आवश्यक है क्योंकि परम्परा से सम्भवतः हमारी सेना को मैदानी भाग में ही युद्ध करने के लिये प्रशिक्षित किया गया था । इस कार्य को करने के लिये स्वाभाविक रूप से विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और इस का आधार शारीरिक योग्यता ही होगी । इसीलिये इस पर इतना जोर दिया गया है ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकारियों और सैनिकों के निकटतम सम्पर्क के विषय में है । कुछ सदस्यों ने इस का भी उल्लेख किया था जैसाकि हम जानते हैं एक जनरल ने कहा था कि सेना अच्छी या बुरी नहीं होती । अच्छाई-बुराई अधिकारियों में ही होती है और अधिकारी की यह अच्छाई अथवा बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि जिस सेना का वह अधिकारी है उस में वह कितना विश्वास उत्पन्न कर सकता है । इसलिये मूल रूप से यह सैनिकों और अधिकारियों के परस्पर सम्बन्ध पर निर्भर करती है । मैं यह नहीं कह सकता कि सब हालतो में ऐसा किया गया है ; किन्तु फिर भी इस बात की काफ़ी सावधानी बरती गई है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाये और बढ़ाई जाये ।

गुप्तचर विभाग के महत्व को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । किन्तु इस की व्यवस्था तुरन्त नहीं की जा सकती । इस के लिये अत्यन्त सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है । यह एक अत्यन्त जटिल समस्या है । मैं सभा को वश्वास दिलाता हूं कि जानकारी एकत्रित करने, उस की जाच करने, प्रचार करने और इस का यथासम्भव उपयोग करने के अधिकाधिक साधनों की खोज की गई है । कुछ समय तक इसी प्रकार कार्य चलता रहेगा और मुझे विश्वास है कि यदि पर्याप्त समय तक यह प्रयत्न किये जाते रहे तो निश्चय ही हमारा गप्तचर विभागकाफ़ी सक्षम हो जायेगा । यह विभाग पहले में ही विद्यमान है । देश से यह भ्रान्त धारणा है कि यहां पर गुप्तचर विभाग है ही नहीं । इस के प्रतिकूल यहां का विभाग कारगर रूप से कार्य कर रहा है । इसे सक्षम बनाना बुरा नहीं होगा । मैं माननीय दसस्यों से निवेदन करता हूं कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई गलतियां हो जाने से वह यह निष्कर्ष न निकालें कि हमारा यह विभाग कार्य ही नहीं कर रहा ।

मैं यहां अधिकारियों की पदवृद्धि के प्रश्न पर भी प्रकाश डालूंगा । यदि मैं नहीं कर रहा तो श्री नाथ पाई ने इस बात का उल्लेख किया था कि कुछ बातें हमारे पास तक पहुंची हैं ।

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

मैं आपके और सभा के माध्यम से उन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि अधिकारियों की पदवृद्धि के विषय में पूर्णतः दोष रहित व्यवस्था है। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर नियुक्तियां संवरण (सैलेक्शन) द्वारा की जाती हैं। मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल और जनरलों की नियुक्तियां भी सरकार द्वारा संवरण के आधार पर की जाती हैं। ब्रिगेडियर और मेजर जनरलों की नियुक्तियां सेनापति द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के अनुमोदन से की जाती हैं। मैं कह सकता हूं कि गत चार माहों में मुझे इस प्रश्न पर किसी प्रकार के मतभेद का अनुभव नहीं हुआ। मैं कह सकता हूं यह मतभेद बहुत कम, कुछ प्रवर्गों में बिल्कुल नहीं है। यह सच है कि कुछ मामलों में नीचे के अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से पहले पदोन्नति दी गई है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि संभवतः सदस्यों तक यह शिकायतें किसी असंतुष्ट, अस्वीकृत किये गये अधिकारी द्वारा पहुंचती हैं। मैं समझता हूं कि सर्वत्र यही होता है। इस में कुछ मानवीय भावनायें भी निहित हैं। सक्रिय अधिकारियों की श्रेणी के लिए पदवृद्धि करते समय यह स्वाभाविक र कि सम्बन्धित अधिकारी की योग्यता और उस की नेतृत्व शक्ति का ध्यान रखा जाये। केवल यही नहीं किया जाता कि मात्र वरिष्ठता को देख कर ही पदवृद्धि की जाये और इस प्रकार कभी मुसीबत मोल ले ली जाये। आप वह खतरा नहीं उठा सकते। इसलिये चुनाव बोर्ड द्वारा इन अर्हताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। कभी-कभी इस बोर्ड की अध्यक्षता सेनापति स्वयं करते हैं। मैं निश्चय ही कहूंगा कि कहीं-कहीं कनिष्ट अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों के पहले पदवृद्धि दे दी जाती है। किन्तु हमें उन लोगों में विश्वास करना चाहिये जो यह कार्य करते हैं। यहां मैं इस बात का जिक्र करूंगा कि अभाग्यवश एक माननीय सदस्य ने कुछ अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों का उल्लेख किया था। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि गत चार महीनों के अनुभव में मैंने यह पाया कि तीनों प्रकार की सेनाओं में, उन के सेनापतियों में, परस्पर, और साथ ही नागरिक अधिकारियों और सरकार के साथ पूर्ण सहयोग है। मैं कह सकता हूं कि सेना के मुख्याधिकारी अपने कार्य में पूर्ण दक्ष हैं और सभा को यह भी विश्वास दिलाता है कि वह इतने देशभक्त हैं जितने आप और मैं। जब तक हम एसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर देते कि जिस में तीनों प्रकार की विशिष्ट कार्य करने वाली सेनायेंसाथ-साथ कार्य करे, परस्पर और नागरिक अधिकारियों और सरकार के साथ सहयोग से कार्य करे तब तक सेना वांक्षित कार्य करने में सफल नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं इस विशेष पहलू पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि हमें इस सहयोग की भावना में, जो प्रतिरक्षा के सारे कार्यों में व्याप्त है, विश्वास करना चाहिये।

वायु सेना के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बातें कहूंगा। तकनीकी सहायता मिशन के विषय में जो भारत में आया था बहुत कुछ कहा गया है। इन विशेष बातों और चर्चा पर मेरे सहयोगी श्री कृष्णमाचारी द्वारा जो कुछ दिनों बाद अमरीका जा रहे हैं, आगे विचार किया जायेगा। क्योंकि हम स्वयं उस प्रकार वायुयानों, यन्त्रों और उपकरणों का निर्माण नहीं कर सकते, जिन की हमें तुरन्त आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यदि यह प्रयत्न सफल हुए तो हमारे पास आक्रमण के समय अपनी प्रतिरक्षा करने के लिये हमारी सेना की सहायता के लिए काफी सशस्त्र वायुसेना हो जायेगी।

चूंकि वायु सेना का विस्तार किया जा रहा है, इसलिये स्वाभाविक है कि जन शिक्त और चालकों इंजीनियरों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं की महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इस के लिए गत माहों में कई प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। मैं आप को हर्ष के साथ सूचित करता हूं कि चालकों के सम्बन्ध में काफी सन्तोषप्रद प्रगति है। सेना और वायुसेना के सम्बन्ध में मैं एक बात का उल्लेख करूंगा। तकनीकी व्यक्तियों के सम्बन्ध में अधिक अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाये। मैं इस सभा के माध्यम से

अपील करूंगा कि हमें विभिन्न राज्यों और संस्थाओं में प्रयत्न करना चाहिये जिससे हमारी सेना को काफी सक्षम और दक्ष बनाने के लिये काफी संख्या में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध-हो जायें। सेना में भरती होने के आह्वान पर अधिकारियों के सम्बन्ध में काफी सन्तोषजनक प्रतिक्रिया हुई है, यद्यपि आरम्भ में यह सन्तोषजनक नहीं थी। किन्य मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं कि एसी भावना विद्यमान है कि प्रत्येक राज्य का इस में अपनए निश्चित भाग हो। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किन्तु कुछ राज्यों में प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई है। अच्छा है यदि वह राज्यइस विषयमें विचार करे। क्योंकि अधिकारियों का यह वर्ग जो सेना का नेतृव करेगा वास्तव में एक महत्त्वपूण भाग है और इसलिए इसका स्वरूप राष्ट्रीय होना उचित है। सेना के नेतृत्व के लिये प्रत्येक राज्यों से अधिकारियों की भरती की जानी चाहिये। इसलिए अधिक शक्तिशाली पग उठाये जाने चाहिये यह कई दिशाओं में उठाये जायेंगे। क्योंकि साधारणत: यह भी सोचा जाता है कि अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक महत्व दिया जाने से भी भरती के कार्य में रुकावट होतीं है। यह आंशिक रूप से सत्य हो सकता है। मैं बिलकुल असत्य नहीं बतला सकता। किन्तु प्रभान मंत्री ने स्वयं ने, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा परिषद में इस विषय का उन्लेख किया था। और इसके बाद इस प्रश्न पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। सेना मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिये हैं कि संबंधित काय व्यक्ति की व्यवसाय संबंधी जानकारी पर अधिक बल दिया जाये। उसके लिये दूसरी आवश्यक बात यह की जा रही है कि कनिष्ठ अधिकारियों को पदवृद्धि के लिए अधिक सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि उन्हें यह विषय में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होता है और उनमें लड़ने की पर्याप्त प्रवृत्ति होती है। इसलिए यदि उन्हें अधिकारी बनने का अवसर मिल जाये तो यह देश और सेना दोनों के लिये अच्छा होगा। और मैं इसी के साथ कहता हूं कि आजकल कनिष्ठ अधिकारियों, नॉन कमीशन्ड आफिसर में से चौबीस प्रतिशत अधिक लिये जाते हैं।

प्रश्नों का उत्तर देते समय सभा में एक जानकारी दी गई थी किन्तु मैं फिर बतलाना चाहूंगा कि सामरिक महत्व के क्षेत्रों में कई हवाई अड्डे बनाये गये है; क्योंकि किसी ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या अब भी हमारे पास आवश्यक हवाई अड्डे नहीं है। उन्हें बनाया जा रहा है और इनके तैयार हो जाने पर जिस प्रकार की कारगर वायुसेना के विषय में हम योजना बना रहे हैं, वह तुरन्त कार्य करने लगेगी।

एक सदस्य ने अपने भाषण में पूर्णत: जलसेना का उल्लेख किया था। इसके महत्व के विषय में किसी को संदेह नहीं हैं, किन्तु निश्चय ही संसाधनों की संभावना और उपलब्धता को देखते हुए कुछ चीजों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में अवश्य ही जलसेना का इतना महत्व नहीं है। किन्तु इसका अर्थ नहीं कि हमारा यह अनुमान है कि जलसेना की हमेशा उपेक्षा की जायेगी। स्वाभाविक है कि जल सेना के संगठन और निर्माण के लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है। मैं उन सदस्यों को जिन्होंने पनडुब्बियों की समस्या का उल्लेख किया है, यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पनडुब्बी निश्चित रूप से कोई आक्रामक शस्त्र नहीं है, यह प्रतिरक्षात्मक भी है। और हमने इसके लिये प्रशिक्षण की सुविधाएं देकर कार्य आरम्भ कर दिया है। यदि हमारे प्रयत्न सफल हुये और संभव हुआ तो हम पनडुब्बियाँ उपलब्ध कर सकेंगे; किन्तु मैं इस विषय में कोई बचन नहीं देना चाहता। प्रतिरक्षा उत्पादन के संबंध में अन्य महत्वपूण बातें भी हैं; किन्तु वास्तव में यह हमारे प्रतिरक्षा प्रयत्नों का आधारभूत सिद्धांत है। इनके विषय में कुछ गलत फहमियाँ है। मैं नहीं समझता कि जितनी बड़ी सेना अथवा वायु सेना हम बनाना चाहते हैं वह आयात के ऊपर कहाँ तक निभर कर सकती है। हमारी सेना दूसरे के द्वारा दिये गये शस्त्रों और गोला बारूद पर निर्भर नहीं रखी जा सकती। युद्ध में काफी मात्रा में सामग्री की खपत होती है और अपना नीजि प्रतिरक्षा उत्पादन आधार हुये बिना हम प्रतिरक्षात्मक युद्ध की संभावना पर विचार भी नहीं कर सकते। वायु सेना और इससे

[श्री यशवन्त राव चव्हाण]

संबंधित सामग्रियों के उत्पादन के लिये भी हमें आत्म निर्भर ही होना पड़ेगा । यदि हम ऐसा कर सकें तो इसके लिये प्रयास किया जाना चाहिये । यदि आवश्यकता हुई तो उसके लिये हमें अपने व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा था कि यदि आप अब एम० आई० जी० खरीद लें तो कुछ समय पश्चात् वह अप्रचलित हो जायेंगे, उस समय क्या किया जायेगा ? किन्तु फिर भी निसंदेह यह वायुयान उड़ाये तो जा ही सकेंगे । यदि हम किसी देश से यंत्र माँगा लें तो व : भी कुछ वर्षों बाद उस देश के लिये अप्रचलित हो जायेंगे । उन चीजों का संधारण कठिन हो जाता है यह तर्क एक दूसरे के विरूद्ध लागू हैं इस लिए यह बात स्पष्ट रूपसे समझ लेनी चाहिये कि इन मामलों में हमें अपने औद्योगिक विकास वैज्ञानिक प्रगति और अपने व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर निर्भर रहना पड़ेगा । यदि हमें यंत्र मिल जाये तो संभव है कि हम ऐसे कार्य बना सकें और इसका प्रयोग कर सकें । आवश्यकता तो इस बात की है कि युद्ध की इच्छा और प्रतिरोध करने का दृढ़ निश्चय हो । प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो हम लाठी से भी लड़ेंगे । यदि हमने स्वयं उत्पादन किया तो हो सकता है कि यंत्र कुछ पुराने तरीके के हों किन्तु लाठियों से लड़ने के स्थान पर हम यंत्र से लड़ेंगे । इसलिये प्रतिरक्षा उत्पादन के संबंध में हमारे मस्तिष्क में यह स्पष्ट होना चाहिये कि प्रतिरक्षा प्रयासों के संबंध में हमारे मूल सिद्धांत क्या हैं । और निसंदेह हमें अपने प्रतिरक्षा उत्पादन के आधार को विस्तृत और सशक्त बनाने के लिए निरंतर , शक्ति पूर्वक और सावधानी से प्रयास करना चाहिये ।

इस विषय में हम ने जो प्रयास किये हैं, उसके फलस्वरूप लगभग हमारे २१ आयुध कारखाने और कुछ वायुसेना उत्पादन संबंधी कारखाने अर्थात् वायुयान बनाने वाले कारखाने वास्तव में संतोषजनक कार्य कर रहे हैं । यह एक भिन्न प्रश्न है कि क्या उनमें हमारी तुरन्त आवश्यकताओं की सामग्री का निर्माण हो रहा है या नहीं: मैं आयुध कारखाने के कर्मच रियों द्वारा किये गये कार्य की सराहना हूं । जिस तरह उन्होंने कार्य दिया अंशदान किया । उससे उनकी देशभक्ति की भावना का पता चलता है और उसके लिये मैं उनका अभिनन्दन करता हूं वास्तव में हमारी आवश्यकताओं उत्पादन से अधिक हैं ; क्योंकि हमारे आयुध कारखाने पुराने ढंगके हैं ह अच्छा है कि हम यथार्थ वादी दृष्टिकोण अपनायें और वस्तुस्थिति को समझें । कभी कभी कोई ह देता है कि कुछ नहीं किया जा रहा ; किन्तु हम ऐसा नहीं समझते । इन प्रयासों से उत्पादन का काय जारी है । इसके लिए देशभक्त कर्मचारी दिल लगा कर कार्य कर रहे हैं ।

किन्तु सर्वाधिक आवश्यक कार्य जो हमने १९६० में आरम्भ किया, वह वर्तमान आयुद्ध के कारखाना विस्तार और आधुनिकीकरण का था और यह कार्यक्रम अब कार्यान्वित किया जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त हमने आयुध उत्पादन के लिये यह योजना बनाई है कि शस्त्रों और गोला बारूद के उत्पादन के लिये छः नये आयुध कारखाने चालू किये जायें । उनको स्थापित किये जाने में शीघ्रता किया जाना बहुत आवश्यक है । यह मेरे सहयोगी श्री कृष्णमाचारी के प्रयास पर निर्भर करता है जो इस कार्य के लिये विदेश जा रहे हैं । किन्तु निश्चय ही हम उसके भरोसे पर नहीं बैठे हैं । पहले ही योजना आरम्भ कर दी गई है । और मुझे आशा है कि यदि समय पर यह प्रयास सफल हो गये तो दो अथवा तीन वर्षों में यह कारखाने उत्पादन का कार्य आरम्भ कर देंगे । मैं इस बात का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाने का यत्न कर रहा हूं कि इस में कितना समय लगेगा ।

उत्पादन कार्य के लिये प्रशासन में कुशलता लाने के लिये हम ने हाल ही में अपनी प्रशासन व्यवस्था को कुछ सीमा तक पुनर्गठित किया है; इस सम्बन्ध में हम ने स्थानीय व्यक्तियों को कुछ

शक्तियाँ प्रत्यायोजित की हैं। विभिन्न आयुध कारखानों में कुछ नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं, और एक अधिकारी को, जो उस कार्य का विशेषज्ञ है, पूर्णतया और विशेष रूप से नये कारखानों के कार्य के विकास का उत्तरदायित्व सौंप दिया है।

अब मैं अपने कुछ माननीय मित्रों द्वारा वर्णित बातों की चर्चा करना चाहूंगा। नेफा जाँच संबंधी एक महत्वपूर्ण बात है। मैं ने सभा में जाँच के निदश पदों की चर्चा की थी ? जैसा कि मैंने कहा था यह निर्देश पद मामले की विस्तृत जाँच के लिए काफी है। इस जाँच का उद्देश्य यही है कि सैनिक मामलों का मूल्यांकन किया जाय और उस से सेना कुछ सबक सीख सके।

इस मामले पर हमें इस दृष्टिकोण से विचार करना है कि यदि हमें राष्ट्रीय रक्षा के लिए गहन प्रयास करने हैं तो क्या यह आवश्यक है कि हम गत वर्ष की हार के लिये उत्तरदायी लोगों का दोषारोपण करें ? मान लिया कि गलतियाँ हुई हैं, तो क्या हमें उन्हें भुला कर भविष्य के लिये इक्ट्ठे हो कर तैयारी नहीं करनी चाहिये ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाडा) : गलतियों को स्वीकार भी किया जाना चाहिये।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : पूर्व तथा वर्तमान के संघर्ष का प्रभाव भविष्य पर नहीं पड़ने देना चाहिए। पूर्व के अनुभवों से सबक न सीखना मर्खता होगी। जिन लोगों ने सबक लेने से इन्कार किया, इतिहास ने उन्हें ठुकरा दिया। हम ऐसा करना नहीं चाहते। सबक लेना केवल कुछ लोगों के हित की बात न हो कर समूचे देश के हित की बात है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : अब आप अपने पूर्वाधिकारी को याद कर रहे हैं।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता। मैं अपने पूर्वाधिकारी की चर्चा इस लिये नहीं करना चाहता कि मैं स्वयं किसी समय किसी अन्य व्यक्ति का पूर्वाधिकारी बन जाऊंगा। हम सब को स्मरण रखना चाहिए कि हम सब किसी के पूर्वाधिकारी बनेंगे। यह केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बात है। मुझे एक जोरू के भाई की कहानी याद आ गई है, जिसे अकबर बादशाह अथवा बीरबल बादशाह अथवा किसी अन्य बादशाह द्वारा फांसी पर लटकाया जाना था। अन्त में जब आदेश जारी कर दिये गये कि जोरू के भाई को फांसी पर लटका दिया जाय तो उस समय किसी ने कहा : लेकिन आप भी तो किसी के जवांई हैं। इसलिये हमें याद रखना चाहिये कि हम किसी के पूर्वाधिकारी हैं। इस तरह की बातों का त्याग करना चाहिये। इस प्रकार के भाव कि "कोई सूचना नहीं दे रहा है," "कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर परदा डाल रहा है" देश में अवांछनीय वातावरण उत्पन्न करते हैं। वास्तव में, आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में उत्तेजनाहीन विश्वास पैदा हो और दृढ़ निश्चय की भावना पैदा हो। हम सभी प्रकार के आयुध आयात कर सकते हैं, परन्तु देश के पास सब से बड़ा हथियार दृढ़ विश्वास और उत्तेजनाहीन विश्वास है। इसे हम कारखानों में निर्मित नहीं कर सकते और इसका आयात भी नहीं हो सकता। यह भावना तो प्रत्येक दिल में और प्रत्येक घर में लानी पड़ेगी कि "मैं अपने देश के लिये जीवन न्योछावर करना चाहता हूं"। वास्तव में, यदि हम सचमुच ऐसा वातावरण देश में पैदा करना चाहते हैं तो इस सन्देह को भावना वास्तव में, यदि हम सचमुच ऐसा वातावरण देश में पैदा करना च हते हैं तो इस सन्देह की भावना को, एक दूसरे पर विश्वास न रखने की भावना को और किसी को दण्डित करने को भावना को दूर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

करना होगा। क्योंकि यदि ऐसे दृष्टिकोण के लिये हम तैयार नहीं होंगे तो जैसा हम देश को बनाना चाहते हैं नहीं बना सकेंगे।

क्योंकि मैं इस बात को देश के लिये अधिक महत्व की समझता हूं इसलिये इस विषय में एक बात और कहूंगा। प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे क्षमा याचना करते हुये एक व्यक्तिगत बात कहूंगा। आप किसी देश के इतिहास को केवल भौतिक तथ्यों के आधार पर नहीं समझ सकते। मैं किसी मत का खंडन न करते हुये एक बात कह रहा हूं कि जब तक आप किसी राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की मानसिक प्रवृत्तियों को नहीं समझ पाते तब तक हम उस देश को नहीं समझ सकते। मुझे वह दिन याद है जब प्रधान मंत्री के बुलाने पर मैं दिल्ली पहुंचा। वह दिन हमारे देश के लिये अत्यन्त खराब थे। यह २० नवम्बर की बात है। मैं केवल एक साहसी व्यक्ति के समान आया था, यह न जानते हुये कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और मैंने २० की रात को प्रधान मंत्री को अपनी पहुंच की सूचना दी। मुझे उनसे मिलते हुये कुछ डर सा लग रहा था, क्योंकि देश के लिये वह समय बहुत संकट का था। निस्सन्देह, मैंने एक उत्तेजनाहीन विश्वास वाला व्यक्ति अपने सामने देखा। मैं ने कहा, "मैं केवल आपके बुलाने पर उपस्थित हुआ हूं।" तब हम ने कुछ बातचीत की। मैं समझता हूं कि मैं ने यह अवश्य कहा होगा कि 'अब क्या करना है'। उन्होंने केवल एक पंक्ति कही जिस में यह सब आ जाता है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिये। उन्होंने कहा: "मैं बहुत जल्द बिगड़ जाता हूं परन्तु मैं घबराता कदापि नहीं"। आज इस देश में इसी बात की आवश्यकता है कि हम दृढ़ विश्वास से घबराहट को अपने निकट न आने दें।

कठिनाइयां तो हैं हीं। कठिनाइयों के बिना आप एक देश का निर्माण नहीं कर सकते। उन कठिनाइयों को हमें दूर करना होगा। इसी उद्देश्य से हम सब यहां उपस्थित हैं। यह संसद् भी कठिनाइयां दूर करने के लिये है, और जनता भी कठिनाइयों को दूर करने के लिये है। कोई अकेला व्यक्ति कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकता। यदि वास्तव में हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस उत्तेजनाहीन, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसके बगैर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि वह लक्ष्य काफी दूरी पर है और रास्ता काफी कठिन है। परन्तु जब तक हम सहर्ष और साहस के साथ अपने सरों को ऊंचा रखे हुये उस कठिन मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कठिनाइयां चाहे जैसी भी हों, और चाहे जैसी भी त्रुटियां हों, हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। आज भी आप को कुछ त्रुटियां मिलेंगी। हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि चूंकि हम ने भरसक प्रयास किये हैं इसलिये वह त्रुटियां दूर हो चुकी हैं। अब हम अपनी स्थल सेना और वायु सेना में विस्तार कर रहे हैं। त्रुटियां अवश्य रहेंगी। परन्तु निश्चय ही हमें यह देखना है कि वह त्रुटियां मोर्चे पर लोगों पर प्रभाव न डाल सकें और उनको पीछे खड़े लोगों द्वारा अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों में ही दूर कर दिया जाय।

इसलिये यह बातें होंगी। परन्तु जब तक हम समस्या का साहस से सामना करने को तैयार नहीं होंगे तब तक इसका हल नहीं हो सकता। मेरे मन में बिलकुल सन्देह नहीं है, और मैं समझता हूं कि किसी के भी मन में इस तरह का सन्देह नहीं है, और हम सब इस बारे में दृढ़ निश्चय हैं, कि हम समस्या का सामना करने योग्य हैं। जिस प्रकार हमारा देश पिछले ५,००० वर्ष से जीवित रहा है उस से यह विश्वास बनता है कि यह अवश्य एक स्वतंत्र देश रहेगा।

इसलिये यदि हम उन आरम्भ किये गये प्रतिरक्षा प्रयासों को निरन्तर जारी रखेंगे तो एक समय आयेगा जब कोई देश भारत पर आक्रमण करने का विचार करने से पूर्व १०० बार सोचेगा।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

†**श्री नाथ पाई :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में निश्चय कर लिया गया है कि भविष्य में वायु सेना केवल सामान ढोने का काम न करके स्थल सेना के साथ युद्ध में भी भाग लेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं समझता कि प्रतिरक्षा मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये ।

क्या मैं किसी संशोधन को अलग से रखूं ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय .	४९,६२,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी	६,६३,१७,७६,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी . . .	१७,३२,५०,०००
११५	प्रतिरक्षा का पूंजी परिव्यय	१,४५,५३,९२,०००

वाणिज्य तथा उद्योग

वर्ष १९६३–६४ के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . .	७०,०९,०००
२	उद्योग	१९,८७,२३,०००
३	नमक	५७,२६,०००
४	वाणिज्यक सूचना और आंकड़े . . .	८६,८६,०००
५	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	३,३९,९६,०००
११३	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	१०,६०,३७,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त अनुदानों की मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत हुईं।

†**श्री दाजी**: (इन्दौर) : इस मंत्रालय का उद्देश्य एक ओर देश का औद्योगिक विकास करना है तो दूसरी ओर इस बात का ध्यान रखना है कि यह विकास इस प्रकार हो कि देश में संविधान के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय में वृद्धि हो। इन दो उद्देश्यों को सम्मुख रख कर ही हमें इस मंत्रालय के कार्यों का मूल्यांकन करना है।

देश में तृतीय योजना के दूसरे वर्ष में भी औद्योगिक विकास बहुत मन्दगति से हो रहा है, अतः यह शोचनीय अवस्था है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

देश की राष्ट्रीय आय एवं समृद्धि औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। हमने अपनी राष्ट्रीय आय का केवल १५ प्रतिशत इस पर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जबकि बर्मा, जिस के साधन तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं, अपनी राष्ट्रीय आय का १८ प्रतिशत लगाने का लक्ष्य रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि न तो हमारे लक्ष्य ही अधिक थे और न हम लक्ष्यों के अनुसार उचित गति से कार्य कर रहे हैं।

बहुत सी अनुज्ञप्तियां जारी की गईं परन्तु वह अप्रयुक्त पड़ी हैं। इस के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति देने की प्रणाली भी बहुत पेचीदा है जिसके फलस्वरूप अनुज्ञप्ति मिलने में अत्यधिक समय लग जाता है। अनुज्ञप्तियों और नियंत्रणों द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ाया जाना था परन्तु वास्तव में इसके फलस्वरूप व्यापारिक क्षेत्रों में एकाधिपत्य बढ़ गया है। प्राक्कलन समिति ने भी अनुज्ञप्तियां देने में जो त्रुटियां पाई जाती हैं उनकी ओर निर्देश किया है। वर्तमान अनुज्ञप्तियां देने की प्रणाली से केवल बड़े बड़े धनियों को ही लाभ हो रहा है।

उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता भी बहुत अधिक है, ऊनी मिलों की ६४ प्रतिशत क्षमता का, रेलवे वैगनों की ५० प्रतिशत का, मोटर साइकिलों की २० प्रतिशत क्षमता का ही प्रयोग किया जा रहा है। अन्य उद्योगों में भी अवस्था इस से मिलती जुलती है। इस के कई कारण हैं :मंडियों की कमी, कच्चा माल मिलने में कठिनाई, विद्युत की कमी, और परिवहन संबंधी कठिनाई। इस बारे में विभिन्न मंत्रालयों में सहयोग की भी कमी है।

एक मामले में मशीनरी लगाने की अनुमति तो दे दी गई परन्तु कच्चे माल के आयात की अनुमति नहीं दी गई। यह घोर अनियमितता का द्योतक है।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: क्या माननीय सदस्य इस मामले का ब्योरा दे सकते हैं ?

†**श्री दाजी** : यह मामला स्वयं मेरे राज्य में रेयन बटनों संबंधी है।

अब आप निर्यात को लीजिये। इस क्षेत्र में भी घोर अन्याय हो रहा है। सिलाई की मशीनों के बारे में हम आत्म निर्भर हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। परन्तु अब सिगर मशीन वालों को एक दक्षिण भारत के सार्थ के साथ मिल कर कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। क्या आप ने सोचा कि देशीय उद्योग पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या आप चाहते हैं कि देशी उद्योग विकास न कर सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अपने निर्यात संबंधी लक्ष्यों के अनुसार निर्यात नहीं हो रहा है।

विदेशी व्यापार में हमारा अंश बहुत घट गया है। यह २ से घट कर १.१ प्रतिशत रह गया है।

निर्यात के क्षेत्र में अल्पबीजक और अधिबीजक बनने से १०० से १५० करोड़ के घाटे का अनुमान है। माननीय मंत्री अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सारी नीति की नवीकरण हो। हमारे व्यापार आयुक्त भी उचित पद प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

इस के साथ मंडियां ढूढने, दीर्घकालीन योजना, और निर्यात व्यापार को अपनी विदेशी नीति के अनुरूप लाने की आवश्यकता है। यह बातें निजी क्षेत्र के निर्यातकों पर छोड़ने की बजाय आवश्यकता इस बात की है कि विदेशी व्यापार का राष्ट्रीकरण किया जाय।

जहां तक इस मंत्रालय के सामाजिक न्याय में वृद्धि लाने का प्रश्न है स्थिति और भी शोचनीय है। पहली कठिनाई यह है कि प्रशासक व्यवस्था खराब है जिस के परिणामस्वरूप प्रभावशाली ढंग से काम नहीं किया जा सकता यह तथ्य समवाय विधि प्रशासन विभाग के प्रतिवेदन से भी सुविदित है। एक अत्यन्त खतरनाक प्रवृत्ति का उल्लख इस प्रतिवेदन के पृष्ठ २५ पर किया गया है कि संचालकों और उन के नातेदारों के पारिश्रमिक अत्यधिक बढ़ रहे हैं। हम ने समझा कि समवाय अधिनियम के संशोधन के फलस्वरूप वह त्रुटियां समाप्त होंगी परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि इस के उपबन्धों की अवहेलना हो रही है। और इसके उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उपबन्धों की अवहेलना करने पर एक दृष्टि द्वारा केवल १ आना प्रतिदिन दण्ड निर्धारित किया जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा इस दण्ड को बढ़ा कर १ रुपया प्रतिदिन कर दिया गया ताकि एक साल कानून की अवहेलना करने पर एक समवाय को केवल ३६५ रुपये देने पड़ें। इस प्रकार अनियमिततायें कभी दूर नहीं हो सकतीं।

इसके अतिरिक्त प्रबन्ध करने और वित्त संबंधी शक्तियां कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रीत हो रही हैं। इस बात को रक्षित बैंक पुनर्विलोकन में और समवाय विधी प्रशासन में स्वीकार किया गया है। कुल आस्तियों का २३ प्रतिशत प्रबन्ध अभिकरणों के हाथ में है। पहले केवल १५ प्रतिशत उन के हाथ में था। उसी तरह व्यापार और निर्माण समवायों में संचालकों के हाथ में बहुत शक्तियां केन्द्रीत हैं। उन में से ६.५ प्रतिशत में एक संचालक था; ५० प्रतिशत में २ से १० संचालक और २३ प्रतिशत में ११ से २० और १९ प्रतिशत समवायों में २० संचालक थे।

फिर, व्यापार तथा वित्त समवायों के संचलक भी वही हैं। १४ बैंकों के १४८ संचालकों में से १४ संचालक ५ उद्योगों से संबंध रखते हैं, ३७ संचालक २ से ४ उद्योगों से संबंध रखते हैं। उस प्रकार देखने से ज्ञात होता है कि ७५ संचालक किसी एक अथवा दूसरे उद्योग से संबंध रखते हैं जो बैंकों का प्रयोग इस केन्द्रण को बढ़ाने में करते हैं। यदि यह केन्द्रण बढ़ता रहा तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते। सरकार, मुझे खेद है, कि कोई कार्यवाही करने में असफल रही है।

समवाय दान दे सकें इस के लिये समवाय अधिनियम में संशोधन किया गया। फलतः समवाय अत्यधिक दान दे रहे हैं, परन्तु इस से राजनीतिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता यदि राजनीतिक भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाय। इससे समूचे लोकतंत्रीय ढांचे को खतरा पैदा हो गया है। आवश्यकता इस बात की है कि समवाय अधिनियम का पुनरीक्षण किया जाय। देश में यह भावना बढ़ रही है कि

[श्री दाजी]

समवाय जिस प्रकार विधि तथा उपबन्धों का उल्लंघन करना चाहें कर सकते हैं। सरकार सदैव इन समवायों का बचाव करती रहती है। विवियन बोस का प्रतिवेदन सरकार के पास है। परन्तु आज तक संसद् को उस पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। सरकार इस मामले में अत्यधिक ढील कर रही है ।सार्वजनिक वित्त के विषय में सरकार बहुत असावधानी दिखा रही है ।

एक लेखापरीक्षक द्वारा एक समवाय के प्रबन्धक को लिखे एक पत्र की फोटेस्टेट कापी मैं पेश कर रहा हूं जिस के बारे में जांच होनी चाहिये । इस पत्र में कहा गया है कि बनामी प्रतिभूतियां खरीदी जायें और फिर उन्हें पंजाब नैशनल बैंक को अधिक मूल्य पर बेच दिया जाय, और फिर उस लाभ को ५०:५० के आधार पर बांट लिया जायगा ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : क्या यह १९५० से पूर्व का मामला है ?

†**श्री दाजी** : यह १९५८ का मामला है । मैं बहुत से प्रमाण दे सकता हूं । आप इस की जांच कीजिये ।

इसके अतिरिक्त राज्य सभा में हो रहे वाद-विवाद के समय बोलते हुए मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उस से मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ । पहले तो मंत्री महोदय ने कहा कि शोलापुर मिल्स के मामले का उन्हें ज्ञान नहीं है । दूसरे यह कि प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जा रही है । मैं सरकार से पूछता हूं कि शोलापुर मिल्स के कार्यों पर प्रतिवेदन कब दिया गया था ? कितने वर्ष पूर्व यह पेश किया गया था ? और थैकर से मामले की जांच में अपनी इतनी मन्द गति से क्यों कार्यवाही कर रहे हैं ? आप जैसे चाहें इसका निर्णय कर दें परन्तु आप को शीघ्र निर्णय लेना चाहिये । सभा को भी इस प्रतिवेदन के बारे में सूचना नहीं दी गई है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : क्या माननीय सदस्य बम्बई सरकार द्वारा वर्षों पूर्व प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री दाजी** : जी हां । इतने वर्ष हो चुके हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

यह ठीक है कि डालमिया और मुदड़ा जल में हैं परन्तु बहुत से अन्य लोग भी तो हैं जो ऐसी अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी हैं । सरकार को एसे लोगों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करनी चाहिये । मैं निजी क्षेत्र के विरूद्ध नहीं हूं परन्तु जो लोग अपराधी हैं उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये ।

मध्य प्रदेश को वहां के लोग बिड़ला प्रदेश कह कर पुकारते हैं । वहां पर बिड़ला का अत्यधिक प्रभाव है । मुख्य मंत्री के पुत्र, वित्त मंत्री के पुत्र, आदि सब बिड़ला के पास काम करते हैं । यह लोग कोई टैक्निकल काम न करते हुय केवल लोक संबंध अधिकारी हैं । जब मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री के पुत्र सरकार के पास अनुज्ञप्ति अथवा टैन्डर के लिये जायेंग तो क्या किसी अन्य व्यक्ति को अवसर मिल सकेगा ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : क्या वहां पर विधान सभा के सदस्य नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाजी** : मध्य प्रदेश में बांसों के बेचे जाने के बारे में अपवाद है। कार्लिंग ट्यूबस के बारे में अपवाद है।

जब सभा में एसे आरोप लगाये जाते हैं तो उनकी पक्षपात रहित रूप से जांच होनी चाहिये। तभी जनता का विश्वास जमा रह सकता है। थोड़े से लोगों के पास धन का एकत्रित होना उचित नहीं। इस पर काबू पाया जाना चाहिये।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : अन्तर्राष्ट्रीय विभाग का काम पिछले दो वर्षोंमें बहुत सराहनीय रहा है। इस अवधि में आयात कम हो गया है और निर्यात बढ़ गया है। जब विभिन्न देश अपने निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं और आयात को कम करना चाहते हैं, इन परिस्थितियों में इस विभाग ने काफी अच्छा काम किया है।

निर्यात के रास्ते में कई रुकावटें हैं। इंगलैंड के पुरुष की सांझा बाजार में शामिल होने के प्रयत्न और उनकी असफलता का भी प्रभाव पड़ा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, ऊंचा उठता जीवन स्तर, उपभोग में वृद्धि, औद्योगिक क्षमता का पूरा प्रयोग के करना, उत्पादन पर अधिक लागत आदि कठिनाइयां हैं।

हमें इस बात का निर्णय करना चाहिय कि आंतरिक उपभोग को प्राथमिकता देनी है या कि निर्यात को।

जब कि कुल निर्यात तो अच्छा रहा है, परन्तु कुछ वस्तुओं के निर्यात और उस क्षेत्रों को निर्यात सुधार किया जा सकता है। एशिया के बाजारों में हमारा निर्यात कम हुआ है, योरुप सांझा बाजार के देशों को निर्यात में भी कमी हुई है। पश्चिम जर्मनी को निर्यात में भी कमी हुई है।

मुख्यतया हम चाय, पटसन की बनी हुई वस्तुएं और सूती कपड़े का निर्यात करते हैं। पटसन की वस्तुओं का निर्यात तो बढ़ रहा है, परन्तु सूती कपड़े का निर्यात कम हो रहा है। हमें उपभोगताओं की इच्छाओं के अनुसार कपड़ा बनाना चाहिये। चीन और जापान आदि देशों का मुकाबला भी करना चाहिये।

हमें जिन देशों से उधार सामान मिलता है हम उन से ही आयात करते है और उन्ह ही हमें निर्यात करना पड़ता है। स्टर्लिंग क्षेत्र मैं हमारा निर्यात और आयात कम हो रहा है। डालर क्षेत्र मैं हमारा व्यापार एक जैसा ही रहा है।

हमारी निर्यात नीति को तीन विभिन्न भागों मैं बांटा जा सकता है। पहली योजना से पहले हमारी निर्यात नीति प्रतिरोधात्मक थी। पहली योजना मैं हमारी नीति काफी उदार थी। निर्यात शुल्क कम कर दिए गए थे या हटा दिए गए थे और निर्यात अभ्यंश बढ़ा दिए गए थे। निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी परिषद स्थापित कर दी गई थीं।

तीसरी अवधि जो आजकल चल रही है उस मैं आंगल मुद्रा शेष (स्टर्लिंग बैलेंस) मैं बहुत कमी हुई। इस के फलस्वरूप बड़ी आयात नीति अपनानी पड़ी और निर्यात नीति को बदलना पड़ा। इस अवधि में अभ्यंशों पर अधिकतर प्रतिरोध हटा दिए गए। अधिकतर निर्यात शुल्क हटा दिए गए। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नई संस्थायें स्थापित कर दी गईं।

---

†मूल अंग्रेजी मैं

[श्री मुरारका]

निर्यात को कायम रखने और उसे प्रोत्साहन देने के लिये मेरा सबसे पहला सुझाव है कि जिन देशों से हमें ऋण मिलता है, हमें उन को ही अधिक निर्यात करना चाहिये। दूसरे, जैसे अन्य क्षेत्रों में व्यापार संगठन है, उसी प्रकार एशियाई देशों को भी अपने आयात को विनियमित करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठन स्थापित करना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि हमें विकसित देशों से इस विषय पर बातचीत करनी चाहिये कि जब वे अन्य देशों को प्रशुल्क रियायतें देते है, विशेष कर विकास कर रहे देशों को तो उन्हें बिल्कुल वैसी रियायतों की आशा नहीं करनी चाहिये।

हमें व्यापार के लिए विभिन्न प्रादेशिक दलों के साथ समझौते करने चाहियें।

द्विपक्षीय करारों को और प्रोत्साहन देना चाहिये।

व्यापार के मामले में हम अजीब स्थिति में हैं। हमें महंगे मूल्य पर चीजें आयात करनी पड़ती हैं। ऋण देने वाले देशों को पता है कि हमारे से ही वस्तुएं ली जाएंगी। निर्यात की गई वस्तुओं के लिए हमें कम मूल्य मिलता है, क्योंकि जिन देशों को हम निर्यात करते है उन्हें पता है कि हमें उन्हें ही निर्यात करना है। वे इस से लाभ उठाते है।

चाय के निर्यात में हम सभी देशों से आगे थे। अब लंका और चीन हमारा मुकाबला कर रहे है।

निर्यात शुल्क हटा देने से निर्यात करने वालों को बहुत कम रियायत मिली है। यदि हम निर्यात बाजार में अपनी स्थिति को कायम रखना चाहते हैं, तो हमें इस सम्बन्ध में अधिक कार्यवाही करनी पड़ेगी।

उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त चाय पर अन्य स्थानीय कर और निर्यात उपकर आदि है।

यदि हम चाय के निर्यात बाजार में अपनी स्थिति पहले की तरह कायम रखना चाहते है तो सरकार को चाय उत्पादकों और निर्यात करने वालों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए काफी कदम उठाने पड़ेंगे।

ब्रिटेन के यूरुपीय साझा बाजार में शामिल हो जाने से लाभ और हानि के बारे में दो मत है। एकमत वाले कहते है कि भारत और अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरे मत वालों के अनुसार हानि होगी।

भारत का व्यापार संतुलन तभी ठीक रह सकता है यदि हम चीजों के मूल्य और गुण में अन्य देशों का मुकाबला कर सकें। इस के लिये हमें अपने उद्योग का आधुनीकरण करना होगा ताकि उत्पादन मूल्य कम हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव संख्या १ से ८ प्रस्तुत समझे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	साड़ियों और धोतियों का बनाया जाना	१०० रुपये
१	२	श्री कोया	(१) नारियल की जटा की वस्तुओं के लिए बाजार (२) लाल मिर्च, नीम्बू घास का तेल, अदरक और काजू के लिए बाजार (३) पान के पत्तों और केलों के लिए विदेशी बाजार (४) मछली के उत्पादकों की कठिनाइयां (५) केरल में बेरोजगारी की समस्या	१०० रुपये
२	३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	घरेलू और लघु उद्योग उत्पादनों के लिए बाजार	१०० रुपये
१	४	श्री कन्डप्पन	खादी के लिए निर्धारित निधियों को लघु और हथकरघा उद्योगों के लिए प्रयोग करना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
१	५	श्री राजा राम	(१) धोतियों और साड़ियों का बनाया जाना (२) हाथ करघा उत्पादनों के लिए अधिक बाजार (३) पान के पत्तों और केलों के लिए विदेशी बाजार (४) कुटीर और लघु उद्योगों के लिए बाजार	१०० रुपये
२	६	श्री अ० व० राघवन	(१) औद्योगिक उत्पादन में वद्धि की कम दर (२) हाथकरघा उद्योग को संरक्षण देने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
३	७	श्री अ० व० राघवन	नमक का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
११३	८	श्री अ० व० राघवन	केरल में फाइरो कैमिकल प्लांट स्थापित करने में देरी	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपात-कालीन स्थिति में मंत्रालय ने प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं । प्रतिवेदन में इस सम्बन्ध मैं जानकारी दी जानी चाहिए थी ।

जनवरी-सितम्बर, १९६२ में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की उसी अवधि से लगभग ८ प्रतिशत वद्धि हुई है । यह १९६१-६२ के लिए उत्पादन से कम है । योजना कार्यक्रम से भी कम है । समन्वय, जिली, परिवहन ,संचार] इत्यादि कई समस्याएं हैं जिन के समाधान से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी ।

हमारे विकास द्वारा जितने संसाधन पैदा हुए हैं उन का प्रयोग नहीं हो सका है । आर्थिक प्रगति भी धीमी हुई है । ऐसा श्री नन्दा ने कहा है ।

खेद है कि इस समय जब शत्रु हमारे दरवाजे पर है हम प्रयोग की गई औद्योगिक क्षमता का लाभ नहीं उठा रहे हैं । इस मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का पूरा प्रयोग करे ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास भाग को आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में मिलाने से हानि हुई है । देरी बढ़ गई और गड़बड़ अधिक हो गई है । मेरे विचार में सभी सरकारी उपक्रमों को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से निकाल कर इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में मिला दिया जाय ।

लघु उद्योग अच्छी प्रगति कर रहा है । वह बड़े हर्ष की बात है ।

श्री वी० एल० मेहता ने खादी उद्योग के सभापति के रुप में बहुत अच्छा काम किया है । श्री ढेबर जो नये सभापति बनाये गये हैं, वे भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं । सर्वोदय लोगों का विचार है कि खादी आयोग के सभापति का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं होना चाहिए ।

४० प्रतिशत अम्बर चर्खे खाली पड़े हैं । अहमदाबाद में जो नया चर्खा बनाया गया है उसे प्रयोग में लाना चाहिए ।

†मूल अंग्रेजी में

खादी आयोग द्वारा धन वितरण समस्या पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए । यह काम कुछ सहकारी तथा शीर्ष बैंकों को सौंपा जाना चाहिए ।

लघु उद्योगों के लिए विभिन्न बोर्डों को मिला कर एक बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए । इन उद्योगों के विकास के लिए एक ही संस्था होनी चाहिए । वित्तीय मामलों के लिए भी एक ही संस्था होनी चाहिए ।

समवाय विधि के संशोधन के समय कुछ सदस्यों ने कुछ उद्योगों की समस्याएं उठाई थीं और माननीय मंत्री ने उन की ओर ध्यान देने का आश्वासन दिया था । कई समस्यायें दो, तीन या चार वर्षों से वैसे ही हैं । उन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कई कम्पनियां हैं जिन के मामलों की ओर सरकार को शीघ्र ध्यान देना चाहिए ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : दो योजना की कालावधि में औद्योगिक उत्पादन में प्रायः ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है किन्तु यह वृद्धि इस्पात उर्वरक आदि उद्योगों में ही हुई है । अन्य उद्योगों में उत्पादन की गति धीमी है ।१९६१ में उद्योगों के लिए १३०० लाइसेंस दिये गये थे किन्तु १९६२ में केवल १००० लाइसेंस दिये गये । लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्माता या उद्योगपति को जो कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ती हैं उन्हें दूर करना चाहिये । उद्योगपति को उद्योग आरम्भ करते समय अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है अनेक मंत्रालयों से वास्ता पड़ता है । सरकार को अपनी नीति उदार बनानी चाहिये ।

कभी कभी तो लोग विदेशी सहायता और विदेशी मुद्रा का भी प्रबंध कर लेते हैं और फिर उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता । केलसाइन पेट्रोलियम कोक के एक उद्योग को कच्चा माल मंगाने के लिए आयात लाइसेंस नहीं दिया गया यद्यपि तैयार माल मंगवाने की अनुमति है जिस पर कच्चे माल की अपेक्षा २०० रुपया प्रति टन अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है । ऐसे उद्योग की सहायता करनी चाहिये । अनेक उद्योग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं यदि तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम कोक तैयार न हो तो केलसाइन पेट्रोलियम कोक तैयार नहीं हो सकता और तब अलूमीनियम के कारखाने नहीं चल सकते । अतः ऐसे उद्योगों की सहायता करनी चाहिये । २११ उद्योगों को रद्द किये गये उद्योगों की सूची में रखा गया है । इस पर पुनर्विचार करना चाहिये ।

कुछ बातों के सम्बंध में तेजी से निर्माण करना आवश्यक होता है । कपास की कमी के कारण धागे के आयात की अनुमति दी जाती थी किन्तु अब कपास की उपज बढ़ गई है और फिर धागे के आयात की अनुमति कायम है जिस पर अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती है ।

श्री मुरारका ने इधर संकेत किया था कि संसार की मंडियों में हमें जापान और चीन के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है अतः हमें सस्ते दामों पर अच्छा माल तैयार करना चाहिये । आशा है माननीय मंत्री इन बातों पर ध्यान देंगे ।

†**श्री म० प० स्वामी** (टेकासी): मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस मंत्रालय ने सराहनीय कार्य किया है और देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है । भारत जो बिल्कुल कृषि प्रधान देश था अब कृषि उद्योग प्रधान देश बनने का प्रयत्न कर रहा है । उत्पादकता परिषद् ने उद्योग के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सहायता से उत्पादन बढ़ाने की भावना जगा दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० प० स्वामी]

व्यापार बोर्ड का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण घटना है । इस वर्ष निर्यात व्यापार में गत वर्ष की अपेक्षा ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है । व्यापार बोर्ड सरकार को परामर्श देता है । निर्यात बढ़ाने के लिए १४ निर्यात संवर्धन परिषदें भी स्थापित की गई हैं । विदेशी मंडी सम्बंधी गवेषणा के लिए ३.८ करोड़ रुपया नियत करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ।

सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि हथकरघे और दस्तकारी का माल, तंजोर की प्लेटें और बीड़ियां ऐसी वस्तुएं हैं जिन का निर्यात बढ़ाया जा सकता है । श्री लंका ने भारत की बीड़ी का आयात बन्द कर दिया है माननीय मंत्री श्रीलंका से इस बारे में समझौता करें ताकि हमें ५० लाख रुपये के निर्यात व्यापार की हानि न हो । हमारे देश की कला-कौशल की वस्तुओं के लिए विदेश में बहुत ग्राहक मिल सकते हैं । मद्रास की चिथाई रानी एलेजबेथ को भेंट की गई थी । उस चिटाई से महिलाओं के बटुए भी तैयार किये जा सकते हैं ।

हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है । अतः कृषि पर से बोझ कम करने के हेतु गांवों का उद्योगीकरण करना आवश्यक है । योजना आयोग का यह सूझाव युक्ति संगत है । आशा है इस दिशा में अधिक प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के बारे में ६–७ बात सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि हमारा मैनेजमेंट पर ज्यादा खर्चा हो जाता है, उसकी वजह से जो हम चीजें बनाते हैं उन के दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि खर्चे का परसेंटेज चीजों पर लगाया जाता है । इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

दूसरी बात यह है कि सरकारी कारखानों में बनी चीजें प्राइवेट कारखानों की उसी प्रकार की चीजों से महंगी मिलती हैं, जब कि होना यह चाहिए कि सरकारी कारखानों की चीजें सस्ती होनी चाहिएं । अगर प्राइवेट कारखाने की चीज के दाम ५ रुपये हैं तो उसी चीज के जो सरकारी कारखाने में बनी है दाम साढ़े पांच रुपये देने पड़ते हैं और कह दिया जाता है कि फलां फलां टैक्स लगता है इस कारण दाम ज्यादा है । तो मेरा सूझाव है कि जो चीजें सरकारी कारखानों में बनती हैं उनको प्राइवेट कारखानों की चीजों से सस्ता मिलना चाहिए ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में प्राइवेट सेक्टर में जो कारखाने हैं उनको नेशनलाइज किया जाना चाहिए ।

चौथी बात यह है कि हमारे कारखानों में ऐसी मशीनें बनायी जायें जो कि छोटे उद्योगों में काम आ सकें ।

पांचवीं चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हम को चीजें बनाने में क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्वांटिटी पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए । चाहे हमारी क्वांटिटी कम हो लेकिन जो चीज हम बनायें वह अच्छी हों । अच्छी चीजों को विदेशी बाजारों में भी मान्यता मिलती है । चीज खराब होने से देश की बदनामी होती है । मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं । एक राइफिल बनायी गयी । वह एक सिपाही को दी गयी । दो चार रोज तो उसने ठीक काम दिया लेकिन चौथे या पांचवें रोज उसकी नाली फट गयी और सिपाही के हाथ के आर पार हो गयी । तो मेरा कहना है कि हम को चीज बनाते समय क्वालिटी पर खास ध्यान देना चाहिए ।

इसी तरह से उषा मशीन है या हिन्द साइकिल या इसी तरह की और चीजें हैं। ये हजारों की तादाद में बाजार में पड़ी रहती हैं। हिन्द साइकिल का यह हाल है कि अगर उस पर डबल सवारी बैठे और सड़क पर अगर कहीं गड्ढा आ जाये तो वह टूट जायेगी। यही हाल उषा पंखों का है, दो चार दिन तो ठीक चलते हैं फिर खर्राटा करने लगते हैं।

श्री हिम्मतसिंहका : गलत है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : हिन्द साइकिल का यह हाल है कि दो आदमी अगर उस पर बठे कर जायें और कोई गड्ढा पड़ जाये तो वह टूट जायेगी। स्पोक जो बनते हैं वे ऐसे हैं कि अगर साइकिल पर दो आदमी बैठें तो पीछे के पहिए के दो चार स्पोक खत्म हो जाऐंगे। यह हमारे कारखानों की चीजों की क्वालिटी है।

आप रेले साइकिल को देखें। कितनी अच्छी है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें ज्यादा बनाने पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना कि अच्छी चीज बनाने पर देना चाहिए। केवल क्वांटिटी को बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा। उसके साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए।

श्री कानूनगो : जिस चीज की आप मिसाल दे रहे हैं वह भी तो हिन्दुस्तान में ही बनती है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : लेकिन उस कम्पनी वाले क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। इसलिए वह ३०० में आती है लेकिन जन्म भर काम देती है जब कि हिन्द साइकिल चाहे १५० में आती है लेकिन दो तीन साल से ज्यादा काम नहीं देती।

†**श्री कानूनगो** : किसी विशेष फर्म या उत्पादन की आलोचना यहां नहीं होनी चाहिये क्योंकि सरकार न तो उनका पक्ष ले सकती है और न ही आलोचना का विरोध कर सेकती है।

श्री ओंकारलाल बेरवा: इसी तरह आप रेडियो के बाल्व लीजिये। थोड़े ही समय में खराब हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी चीजों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हम को केवल क्वांटिटी पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए।

इस के आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि शहरों के बनिस्बत गांवों में छोटे छोटे उद्योग धन्धे ज्यादा होने चाहिएं ताकि गांवों के किसानों और मजदूरों को फायदा हो सके और रोजगार डिल सेके।

अब मैं अपने एरिया की कुछ बात कहना चाहता हूं। मेरे यहां से बूंदी २२ मील पर है। वहां पर कांच की रेती होती है, जो कि ट्रकों में भर भर कर बाहर जाती है। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि वहीं इसका कारखाना बना दिया जाये। कांच की रेती हमारे बूंदी ऐरिया में बहुत निकलती है। सरकार बड़े बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी कम्पनियों को करोड़ों रुपये देती है लेकिन इधर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। अगर सरकार थोड़ा पैसा दे और वहां पर इसका एक कारखाना खोल दिया जाय जहां पर कि कांच व चीनी के बर्तन, पाइप व तश्तरियां वग़ैरह बन सकें तो इस से हजारों गरीब मजदूर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन सरकार का यह तरीका रहता है जिन बड़ी बड़ी कम्पनियों से सरकार को मोटी रकमें वक्त जरूरत पर मिलती हैं उन को उद्योग के लिए १०, १० और १५, १५ करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दे दी जाती है। अगर सरकार छोटे उद्योग धंधों की ओर ध्यान दे और उन को भी वह कुछ आर्थिक सहायता दे तो गांव में छोटे छोटे धंधे चल सकते हैं और हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओंकारलाल बेरवा]

उन गावों के इलाकों में जो कि अविकसित हैं इस तरह के सरकार छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करे और उस के लिए आर्थिक सहायता दे। वहां पर कोई दूसरा रोजगार नहीं है और इस तरह के छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित कर के लोगों की रोजी का प्रबन्ध करना चाहिए।

राजस्थान देवली में पहले तो अंग्रेजों की मिल्टिरी थी उस से उन को रोजगार मिलता था। उस के बाद में जर्मनी व जापान के कैदी रहने लगे और उन से वहां रोजगार मिलने लगा। अब चीनी कैदी रह रहे हैं तो उनसे रोजगार मिल रहा है। लेकिन इन सब के चले जाने के बाद वहां के लोग क्या करेंगे ? वहां पर उद्योग व धंधा व कारखाना नहीं चलता है। उस इलाके में कपास काफी पैदा होती है और वहां से बोरे के बोरे भर कर बाहर जाती है। अगर वहां पर कोई पेच या कपास का कारखाना स्थापित कर दिया जाये तो वहां के लोगों को अच्छा रोजगार सुलभ हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि जहां पर ऐसा कोई धंधा न हो वहां इस प्रकार के उपयोगी कुटीर व लघु उद्योग स्थापित करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मिलें खोलने के बजाय आज गांवों में छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलने की अधिक आवश्यकता है।

जैसा कि मैं ने पहले कहा मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में बनने वाले माल की क्वालिटी पर उचित ध्यान दिया जाय जो कि अभाग्यवश आज नहीं दिया जाता है। अगर यहां भी अच्छी क्वालिटी की चीजें तैयार होने लगेगीं तो बाहर से जो चीजें आज मंगाई जाती हैं उन का मंगाना बन्द हो जायगा और इस तरह से काफी विदेशी मुद्रा जो कि उन चीजों को बाहर से मंगाने में हमारी खर्च होती है, उस की बचत हो सकेगी।

जो चीजें बाहर से आती हैं और जो बहुत ही आवश्यक हैं और जिन का कि उत्पादन देश में नहीं होता है कम से कम उन के आयात की सुविधायें भी उपलब्ध होनी चाहियें। यह ठीक है कि आयात से फोरेन एक्चेंज पर प्रभाव पड़ता है। मगर यह भी अनिवार्य है कि जिन वस्तुओं की नितान्त आवश्यकता होती है जैसे ट्रैक्टर पार्टस् हैं, मशीनरी पार्टस्, दवाएं व बंदूकों और राइफलों की कारतूस वगैरह जिन का कि पर्याप्त मात्रा में देश में उत्पादन नहीं होता है और उन के आयात पर भी रोक लगा दी गई है जिस से कि उन की कीमत बहुत अधिक हो गयी है और करीब ४००–५०० परसेन्ट तक बढ़ गयी है, अब ऐसी चीजें जिन को कि हमें बाहर से मंगाने की नितान्त आवश्यकता है वह चीजें इस कदर मंहगी नहीं होनी चाहियें।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मार्फत देश में बहुत सी वस्तुओं का व्यापार होता है। उस का ठीक प्रकार से गठन किया जाये और कागजी कार्यवाही को खत्म कर के आयात के काम को हम आगे बढ़ायें। पिछले वर्षों में शक्कर के निर्यात का जब प्रश्न आया तो बहुत से देशों से जो हमारी शक्कर लेने के इच्छुक थे उन से समझौता करने में देरी कर दी गई जिस के कि परिणामस्वरूप हम से शक्कर न ले कर दूसरे देशों से ली गई जिस से देश के व्यापार को काफी नुकसान हुआ। अपनी शक्कर को बाहर भेजने के लिए अधिक जोर दिया जाये ताकि हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा प्राप्त हो।

कई देशों में हमारी सिलाई की मशीनें वगैरह जाती हैं उन के व्यापार को भी बढ़ावा देना चाहिए।

दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के कुछ देशों को मिला कर हम एक कौमेन मार्केट की स्थापना अगर कर सकें तो व्यापार के दृष्टिकोण से यह एक अच्छा कदम होगा।

कांडला पोर्ट जिस प्रकार एक फ्री पोर्ट करार दिया गया है उसी प्रकार से समुद्र के पूर्वी किनारे पर भी एक फ्री पोर्ट बनाया जाए।

जो भी उद्योग खुलते हैं वे शहरी ऐरिया में खुलते हैं। शहरों की बनिस्बत गांवों में उद्योग धंधे ज्यादा से ज्यादा खलने चाहियें। इस प्रकार गांवों के उद्योगीकरण की ओर सरकार को आवश्यक ध्यान देना चाहिए ।

जितने भी छोटे छोटे धंधे हैं उन का सरकार द्वारा एक बार सर्वेक्षण किया जाना चाहिये ताकि सरकार को पता चल सके कि किस उद्योग को कितनी कितनी मात्रा में कोयला व दूसरा सामान चाहिए। अक्सर इन चीजों के अभाव से यह छोटे उद्योग ठप्प हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि उद्योग व्यापार मंत्रालय के अन्तर्गत एक ऐसे निगम की स्थापना की जावे जो मध्यम व छोटे उद्योगों की अवश्यकताओं को देखते हुए जरूरी सामान सप्लाई करता रहे और उन की जरूरतों को पूरा करता रहे। मैं बस और अधिक निवेदन न कर के अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय के इस्टैबलिशमेंट को जब मैं देखता हूं, देश में आजकल इमरजेंसी की बहुत धूम है, लेकिन इस मंत्रालय के इस्टैबलिशमेंट को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्रालय पर देश की विपत्ति का कोई असर शायद नहीं है। गृह-मंत्रालय जिस से कि कंट्री की पीस इनवौलव्ड है उस मंत्रालय के इस्टैबलिशमेंट में कुछ कमी या कटौती की गई है लेकिन इस मंत्रालय में देखने से मालूम होता है कि उस पर इस्टैबलिशमेंट में बजाय कुछ कमी होने के वृद्धि हुई है। इस मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से मालूम पड़ता है कि जहां पहले ५ ऐडीशनल आफिसर्स होते थे वहां अब आप १६ ऐडीशनल आफिसर्स करने जा रहे हैं। ५ के बजाय १६ कर रहे हैं। अब तक आप ९०,३०० रुपया खर्च कर रहे थे जब कि अब आप १६३,००० रुपया ऐडीशनल अफसरों पर खर्च करने जा रहे हैं। मगर कुल टोटल अमाउन्ट में १०,००० रुपये की सेविंग की है। मेरा कहना यह है कि यह कुछ शोभा नहीं देता कि इस समय जब हम चारों तरफ से पैसा इकट्ठा कर के निर्माण काम में लगा रहे हैं तो ५ के बजाय यह १६ ऐडीशनल आफिसर्स किये जायें। मेरा मतलब यह है कि इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये कि यह ५ से एकदम बढ़ा कर १६ कर देना आज की स्थिति में कहां तक उचित होगा ? आज जब कि देश में इमरजेंसी चल रही है और होम मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज अपने स्टाफ व खर्च में कट कर सकती हैं तो आप को भी कुछ कट करने की तरफ ध्यान देना चाहिये ।

एक दूसरी तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की प्रगति काफी हुई और काफी हम आगे चले लेकिन अभी हम ने जो आंकड़े दिये हैं १९६२ तक के लेकिन इस के अन्दर १९६१ तक के ही हैं, आगे के नहीं हैं, उन को देखने से मालूम हुआ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को फाइनेन्स कारपोरेशन से करीब १ अरब ९१ करोड़ और ९५ लाख की स्वीकृति आप ने दी है। और बांटा गया है करीब ४६ करोड़ और ६० लाख रुपया और उन के प्राफिट भी कुछ बड़े स्टैगरिंग हैं। एक प्राफिट में मैं ने देखा, जूट का प्राफिट जहां आप ने १०० रक्खा था १९५५ में, १९५९ में केवल ४ वर्ष के अन्दर उस का प्राफिट ६८४ हो गया है यानी ७ गुना प्राफिट उन का बढ़ गया है। वैसे ही शुगर का प्राफिट भी डेढ़ गुना बढ़ा है। इस पर कुछ टैक्स लगा तो उस को ले कर मिल मालिकों की तरफ से बड़ा शोर व हो हल्ला मचाया गया कि उन पर सुपर प्राफिट टैक्स न लगे। टैक्स का बोझ किधर जाय। वह जाय देहात के लोगों पर और मुनाफा ये लें। यह अच्छी दलील और मांग है कि टैक्स देहातों पर लगे और मुनाफा ये लें। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि आप कंसर्नड मिनिस्टर हैं क्योंकि आज उन की तरफ से बड़ा शोर हो रहा है कि यह सुपर प्राफिट टैक्स उन पर न लगाया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि उन से ऐसा कहने के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जब कि हम देखते हैं कि सन् १९५५ में जहां उन का मुनाफा १०० रुपये था आज उन का मुनाफा ७०० रुपये हो गया है। इसलिए इस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन पर यह सुपर टैक्स न लगे और

[श्री सिंहासन सिंह]

उन्होंने जो भारी मुनाफा कमाया है उस को वह कंट्री के इंटरेस्ट में पार्ट न करें। जैसा कि अभी फाइनेन्स मिनिस्टर ने उन पर सुपर प्राफिट टैक्स का प्रस्ताव रक्खा है अगर उस में कोई कमी की जाती है तो ऐसा कर के देश के साथ बहुत भला नहीं करेंगे।

बहुत ज्यादा रुपया मुल्क का इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए दिया गया। उस में हमें यह भी देख कर बड़ी हैरत हुई कि जहां देश में इतनी इंडस्ट्रीज बढ़ती गई वहां दिवाले भी काफी बोलती गई। सन् १९६० में करीब २००० इंडस्ट्रीज ने दिवाला बोला। इसलिये जहां इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं वहां दिवाले भी खूब निकले हैं। दिवाला किस के रुपये से है। गवर्नमेंट का रुपया और गवर्नमेंट का दिवाला।

अभी एल० आई० सी० का जिक्र कुछ अखबारों में निकला कि किसी महाजन को एल० आई० सी० ने १७ लाख या कितना रुपया दिया। उस की रिक्वरी का उन के पास सामान नहीं है। उस महानुभाव के पास शायद अपने नाम से नहीं है। यह रुपया आप देते जाते हैं और यह आप के ही आंकड़े हैं कि वह दिवाले खिसकते जाते हैं। इसलिये कम से कम गवर्नमेंट को इस की तो सावधानी बर्तनी चाहिये कि जो रुपया वह इस तरह से देती है उस की कोई सिक्युरिटी ले लेंवें। आखिर किस आधार पर यह रुपया गवर्नमेंट देती है ? जितनी भी बड़ी बड़ी ज्वाएंट स्टाक होल्डिग्स कम्पनीज हैं वे अपने नाम से बहुत कम रखती हैं और दूसरों के नाम से ही चलती हैं। गाड़ी इन की। रुपया लेते हैं अपने नाम पर और काम होता है दूसरे के नाम पर और जब डिग्री हो गई तो बेसूद होगी, रिएलाइज होगी नहीं। जहां गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के नाम पर पानी की तरह रुपया बहा रही है, वहां इस बात का भी ख्याल रखा जाये।

हमारे देश में मिक्स्ड इकानामी है। हम ने देखना है कि मिक्स्ड इकानोमी में प्राइवेट सैक्टर के मुकाबले में पब्लिक सैक्टर की कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर पानी और दूध का मिलाव किया जाये, तो पानी ज्यादा चला जाता है और दूध कम रह जाता है। इसी तरह मिक्स्ड इकानामी में भी हम ने यह देखा है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट सैक्टर में बढ़ी हैं और पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज नहीं के बराबर बढ़ी हैं। इस स्टटिस्टिकल बुक के पेज ३९ पर "कम्पनीज एक्ट वर्क, लिक्विडेशन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन" के शीर्षक के नीचे लिखा है, जिस को देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ—कि १९६०-६१ में जहां गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई केवल १७ कम्पनीज रजिस्टर्ट हुई, वहां प्राइवेट क्षेत्र में १६८३ रजिस्टर्ड हुई। इस में एक तरफ पब्लिक सैक्टर की बढ़ोतरी दी गई है और एक तरफ प्राइवेट सैक्टर की। प्राइवेट सैक्टर में सरकार दो अरब रुपया दे चुकी है। वह सरकार का ही रुपया है। वह रुपया पब्लिक सैक्टर में न जा कर, जहां गवर्नमेंट के नाम पर, पब्लिक सैक्टर के नाम पर प्राइवेट कर के (वहां पर नाम प्राइवेट है) केवल १७ कम्पनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, प्राइवेट सैक्टर में क्यों चला जाता है, जहां १६८३ कम्पनीज रजिस्टर्ड हुई हैं ?

माननीय सदस्य ने रुपये के बारे पूछा है। पब्लिक सैक्टर में, गवर्नमेंट का, शेयर-कैपिटल केवल ३१ करोड़ रुपया है, जब कि प्राइवेट सैक्टर में २८८ करोड़ रुपया है।

श्री कानूनगो : अथाराइज्ड कैपिटल। कितना कैपिटल होगा, भगवान् जाने।

श्री सिंहासन सिंह: सरकार की किताब में पेड-अप कैपिटल लिखा है। यह मेरी अपनी सूचना नहीं है। इसमें लिखा है कि २८८ करोड़ रुपए प्राईवेट कम्पनियों का है और ३१ करोड़ रुपए गवर्नमेंट का है।

इस मिक्स्ड इकानोमी में सोशलिस्टिक पैटर्न और समाजवादी ढांचे की तरफ हमारे देश की कितनी प्रगति होती है, यह बात इन आंकड़ों से प्रकट हो जाती है। इन आंकड़ों को देख कर मुझे दुख होता है। हम रोज सोशलिस्टिक पैटर्न का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वह हमारा उद्देश्य है और उसकी तरफ हम चलते रहेंगे, लेकिन जब हम वर्किन्ग में देखते हैं, तो कुछ कैपिटलिस्ट पैटर्न ही मालूम होता है। गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ ध्यान देना होगा कि आगे पब्लिक सैक्टर में ज्यादा बढ़ोतरी हो। जब फाइनेंस कार्पोरेशन रीफाइनेंस कार्पोरेशन और दूसरी कार्पोरेशन में गवर्नमेंट का रुपया लगा हुआ है और वे सब गवर्नमेंट के रुपए से काम कर रही हैं, तो वह काम गवर्नमेंट के जरिये ही क्यों न हो?

जहां तक एक्सपोर्ट का सम्बन्ध है, एक आइटम को देख कर मुझे हैरत हुई। एक्सपोर्ट के आइटम्स में आयल-कैक का नम्बर तीसरा है, जब कि पहला नम्बर जूट का और दूसरा क्लाथ के पीस गुड्ज का है। १९६२ में एक्सपोर्ट में १२०७ लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है और उस १२०७ लाख रुपये में से ८५२ लाख रुपये अर्थात् दो तिहाई रकम केवल आयल-केक से सरकार को प्राप्त होती है। आयल-केक हमारी कृषि के लिए, खाद के लिए और मवेशियों के लिए बहुत जरूरी है। इस लिए मेरा अनुरोध है कि आयल केक को बाहर भेजने के बजाये और चीजें बाहर भेजी जायें, क्योंकि हम ७८ करोड़ रुपये का फर्टलाइजर प्रति-वर्ष बाहर से मंगाते हैं। इसलिए इस फर्टीलाइजर को, आयल-केक को, हम अपने यहां रखें। इसको भेज कर हम कितनी फारेन एक्सचेंज पाते हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। अगर आयल-केक यहां पर उपलब्ध हो, तो मवेशियों के लिए चारा भी हो और खेती की उपज को बढ़ाने के लिए आर्गेनिक मैन्युर भी मिल जाये। आर्गेनिक मैन्यर एमोनियम सल्फेट से कई गुना बेहतर है। आज-कल प्योर फर्टलाइजर, एमोनियम सल्फेट, न दे कर मिक्स्टर दिया जाता है। इसलिए अगर आयल-केक को बाहर न भेज कर देश में ही उसकी खपत की जाये, तो फर्टलाइजर पर खर्च किया जाने वाला रुपया बच सकता है, अन्न की पैदावार बढ़ सकती है और मवेशियों की हालत सुधर सकती है।

मैं समझता हूं कि स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज और बड़ी इंडस्ट्रीज में समन्वय की तरफ भी शायद मंत्री महोदय का ध्यान है। खादी बोर्ड बना, लेकिन उधर सरकार की ओर से दी जाने वाली रुपये की सहायता उतनी नहीं है, जितनी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में है। ज्यादा एम्पलायमेंट पोटेंशिएलिटी, अधिक से अधिक लोगों को काम देने की सामर्थ्य, स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज में है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और मशीनों में नहीं है। इस सदन में एक बार अम्बर चर्खे के बारे में जोरों से बहस हुई। कांग्रेस पार्टी में भी हुई। हमारे एक तात्कालिक मिनिस्टर ने कहा कि अपने घर में अम्बर चर्खे को देख कर मैं सोचता हूं कि यह कितनी रीएक्शनरी चीज है। दूसरे मंत्री ने कहा कि इसकी प्रगति होनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले २५ लाख अम्बर चर्खे देश में बनाने का आयोजन हुआ था। लेकिन क्या आज तक वे बनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बारे में प्रगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर अम्बर चर्खे और चर्खे देहातों में फैल जायें, तो अधिक से अधिक लोगों को काम मिलेगा और साथ ही कपड़े की दिक्कत दूर हो जायगी। अम्बर चर्खा फाइन काउंट का सूत भी पैदा करता है, लेकिन उस तरफ रुझान कुछ कम रहा, चाहे किसी भी कारण से ऐसा हुआ हो, खादी बोर्ड वालों की कमी रही या मंत्रालय की कमी रही। देहातों में उसकी मांग है। जिन गांवों में वह चलता था, वहां वह बन्द हो गया। मेरे गांव में वह चलता था और बैस्ट काउंट पैदा करता था, लेकिन वह बन्द हो गया। बन्द इसलिए हो गया कि

[श्री सिंहासन सिंह]

गांधी आश्रम ने कहा कि हमारे कपड़े की बिक्री नहीं है और चूंकि कपड़े की बिक्री नह है, इसलिए वे बनाते नहीं हैं। कोई भी कारण हो, लेकिन जो काम देहात के लोगों को आठ आने, एक रुपया, दो रुपये रोज की आय देता था, जो उनका सप्लीमेंटरी काम था, वह बन्द हो गया।

अन्त में श्री मनुभाई शाह से एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। वह गोरखपुर गए थे और वहां पर पेपर मिल की पोटेंशिएलिटी देख कर आए थे। वहां पंर पेपर मिल के बारे में उन्होंने बड़ी चर्चा की। गोरखपुर में एक छोटी पेपर मिल थी, लेकिन वह बन्द हो गई। उस पेपरमिल पर भी गवर्नमेंट का आठ लाख रुपया है। इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट में अगर उस को भी ले लिया जाता, तो जितनी बगास और खडिया वगैरह चीजें आज जलाने के काम में आ रही हैं, उनसे काफी पेपर मिल्ज खड़ी हो सकती हैं। गोरखपुर और देवरिया आदि किसी भी क्षेत्र में, जहां पर इतनी शूगर मिलें हैं, पेपर मिल खड़ी की जा सकती हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए मैटीरियल काफी है। श्री मनुभाई शाह स्वयं देख कर आए हैं। देख कर उन्होंने कहा भी था कि हम इसको करेंगे, लेकिन तीन चार बरस के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वहां पर जो छोटी सी प्राईवेट मिल थी, वह बन्द हो गई। आठ लाख रुपया अब भी उस पर चढ़ा हुआ है और शायद उसकी मशीनरी विक रही है। अगर उसको लिया जाये, तो हमारी तरफ पेपर मिल बन जाये, जिसमें बहुत से आदमियों को काम तो मिलेगा ही, बगास और खडिया से, जो कि आजकल जलाने के काम आते हैं, अच्छा पेपर बन सकता है। वहां पर रा मैटीरियरल की कमी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज और पेपर मिल की तरफ ध्यान दें।

श्री द्वारकादास मंत्री (भीर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मंत्रालय ने जो प्रगति की है, उसके फलस्वरूप पहले वर्ष से करीब आठ टके ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। खास कर ज्यूट का, वूलंज का, रेलवे वैगंज का और बिजली के कुछ खास किस्म के सामान का उत्पादन बढ़ा है। उसके लिए मैं इस मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं।

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए]

इसके साथ ही साथ इस मंत्रालय ने उत्पादन बढ़ाने के लिए जो संरक्षण विभिन्न उद्योगों को दिये हैं और उस दिशा में जो कदम उठाया है, उसके लिए भी मैं इस मंत्रालय को बधाई दिए वगैर नहीं रह सकता हूं।

हमारे मुल्क का जो सब से अहम मसला है, वह बेकारी दूर करने का है। साथ ही साथ जो विभागीय असमानता है, आर्थिक दृष्टि से कुछ भाग पिछड़ हुए हैं, उनको आगे लाने का है। इस काम में सफलता पाने के लिए जो लघु उद्योग हैं वे ही हमारे सहायक हो सकते हैं यही उद्योग हमारी जो बुनियादी समस्यायें हैं, उनको हल करने में समर्थ हो सकते हैं। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि लघु उद्योग जिस तेजी से ग्रामों तक पहुंचने थें, उस तेजी से वे देहातों तक अभी नहीं पहुंचे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां पर बिजली है, पानी की सहूलियतें हैं, जगह लोग देने के लिए तैयार हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छायें व्यक्त भी की हैं। लघ उद्योग कायम करने के सम्बन्ध में जितना ध्यान सरकार को उधर देना चाहिये था, उसने नहीं दिया है। इतना ही नहीं...

श्री कानूनगो : आपका कौन सा जिला है ?

श्री द्वारका दास मंत्री : भीर।

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल प्राजैक्ट्स की घोषणा कुछ महीने पूर्व की गई थी और यह कहा गया था कि ४६ नई प्राजैक्ट्स हम खोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो प्राजैक्ट्स हैं, इन्हें ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक दिया जाना चाहिये जहां पर खेती पर लोग निर्भर करते हैं, जहां पर वे खेती से होने वाले उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते हैं या जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं हैं, और केवल निसर्ग पर भरोसा करके ही वे खेती का उत्पादन करते हैं। हमने और वहां की अन्य इंस्टीट्यूशंज ने प्लानिंग मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया था कि एसे प्राजैक्टस जल्दी से जल्दी हमारे इस विभाग को दिये जायें ताकि लोगों को कुछ न कुछ काम धंधे मिल सकें। ४६ प्राजैक्ट्स में नम्बर ही नहीं आ सका है। शायद जब दूसरा दौर शरू हो तो उनका नम्बर आ जाए। मैं आशा करता हूं कि इस ओर आप तुरन्त ध्यान देंगे ।

इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की बहुत चर्चा सुनने में आती है। रिपोर्ट के पेज ४८ पर कहा गया है कि नवम्बर, १९६२ के अन्त में ९२ में से १२१ उद्योगों का निर्माण कार्य विभिन्न दौरों में था। मेरी समझ में नहीं आया है कि ९२ एस्टेट्स में से १२१ का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। मेरे विभाग में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स पांच वर्ष पूर्व मंजूर की गई थी। किन्तु इस काम में अभी तक भी प्रगति कुछ हुई दिखाई नहीं देती है। गत वर्ष मैंने इस मंत्रालय के खर्च की मांगों पर बहस के समय कहा था कि ये एस्टेट्स नांदेड़ परली में मंजूर की गई थीं। अब एक नई जालना में मंजूर की गई है। लेकिन अगर आप इन एस्टेट्स को देखें तो वे जहां की तहां हैं। हालत यह है कि जिन लोगों ने उन में शेयर्ज़ लिए हैं, उन के शेयर्ज़ की कीमत कहीं इन एस्टेट्स के खर्च में ही खत्म न हो जाए, ऐसा लोगों को डर लग रहा है । अगर एक दो साल इसी तरह से और गुज़र गए तो जो शेयर कैपीटल है वह खर्चे में ही खत्म हो जाएगा, इसकी बहुत बड़ी सम्भावना है। इस ओर मैं चाहता हूं आप ध्यान दें ।

इसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ की जो हालत है, उसका भी जिक्र मैं करना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल कोओपरेटिव सोसाइटीज जो छोटे छोटे गांवों में हैं, उन में अक्सर चमड़े का काम करने वाले लोग, रस्सी बनाने वाले लोग, रस्सी बनाने वाले लोग या हैंडलूम में काम करने वाले लोग हैं । इन लोगों के पास पूंजी इतनी नहीं रहती है कि वे जब अपना माल मार्किट में बिकने के लिए भेज दें तो जब तक उनको उसका पैसा वापिस आ जाए उस बीच में वे अपने आप काम को जारी रख सकें। सरकार की ओर से इतनी उनको ग्रांट नहीं दी जाती है या इतनी मदद नहीं दी जाती है या इतना लोन नहीं दिया जाता है कि इस क्षेत्र में वे अपना व्यापार बढ़ा सकें। मार्किटिंग की फैसिलिटीज़ उनको बहुत कम मिली हुई हैं। उनके लिए सेल्ज़ डिपो या कोई और इस तरह का इंतजाम जगह जगह अगर कर दिया जाए ताकि बिक्री में जो कठिनाइयां उनको अनुभव होती हैं, वे न हों, तो बहुत अच्छा होगा। जब उनके पास मार्किटिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि जो लोन उन्होंने बैंकों वगैरह से लिया होता है, वह लोन भी एक दो वर्ष के बाद ही वे वापिस करने में असमर्थ हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज़ किस प्रकार से और किस ढंग से अपने पैरों पर खड़ी रह सकती हैं और किस तरह के सेल्ज़ डिपो उनके माल के लिए कायम किये जा सकते हैं, कैसे उनको कच्चा माल सप्लाई किया जा सकता है, इन सब चीज़ों की तरफ भी आपका ध्यान जाना आवश्यक है ।

खादी के सम्बन्ध में भी काफी कुछ कहा जाता है। खादी कमिशन के नए अध्यक्ष बनाये गये हैं। ढेबर भाई ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है । खादी को और भी अधिक तेजी

[श्री द्वारकादास मंत्री]

से बढ़ावा मिलेगा, इसका उत्पादन तथा उसकी बिक्री और भी अधिक बढ़ेगी, ऐसी उन से अपेक्षा की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गत वर्ष खादी का जो काम है, वह पिछले सात आठ वर्षों के मुकाबले में काफी आगे बढ़ा है। हर वर्ष यह बढ़ता ही जा रहा है। गुजश्ता साल १७·४६ लाख लोगों को इस ने काम दिया है। पिछले सात आठ वर्ष में जिन लोगों को इस काम धंधे में काम मिलता था, उनकी संख्या चौदह गुना हो गई है। उत्पादन भी कम नहीं बढ़ा है, कम से कम छः गुना उत्पादन में इन पिछले सात आठ वर्षों में वृद्धि हुई है। आज जो परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस पर ऐतराज़ किया जा सकता है कि खादी में जो लोग काम करते हैं, उनको उतनी प्राप्ति नहीं होती है जितनी और जगह काम करने वालों को होती है। लेकिन यह बात सही है और इसको आप डिसप्यूट नहीं कर सकते हैं कि यह बेकारी दूर करने में सहायक हो सकता है और इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिये। यह भी कहा गया है कि इस में नान-पालिटिशियन रहने चाहियें, जिन का किसी पार्टी से कोई सम्बन्ध न हो, वे लोग रहने चाहियें। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी की दृष्टि से इस काम को आज भी देखा नहीं जाता है। मेरे क्षेत्र में खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज़ का जो काम है, वे विरोधी दलों के लोग करते हैं और पार्टी विशेष पर कोई शिकायत की गई हो, ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। वैसे तो आज कोई भी आदमी बगैर पार्टी के नहीं है और ऐसे आदमी को ढूंढना मुश्किल होगा लेकिन यह काम पार्टी के आधार पर नहीं हो रहा है, यह मेरा कहना है।

अब मैं फारेन एक्सचेंज पर आता हूं। हमारा जो प्लान है, वह जो फारेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं, उस पर काफी हद तक निर्भर करता है। अगर फारेन एक्सचेंज हम न कमायें तो हमारा प्लान आगे नहीं बढ़ सकता है। जो हमारे बैलेंसिस हैं, अगर हम प्लान को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो इनको बढ़ाना होगा। इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुमालिक साढ़े चार परसेंट अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे देश का एक्सपोर्ट १३ परसेंट घट गया है। हमारे एक्सपोर्ट की मात्रा घटती ही जा रही है। इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं, जो मैं आपके सामने रखता हूं। हमारी जो फिनिश्ड प्राडक्ट्स हैं, जो कामन मार्किट में अच्छी तरह से चलने लायक है, उस कामन मार्किट में अपने ब्यापार को हम बढ़ायें और ज्यादा से ज्यादा माल उधर भेजें।

हमारे जो रिसोर्सिस हैं, उनका उपयोग एफिशेंटली किया जाना चाहिये। बाहर भेजने वाले हमारे माल की जो कीमतें हैं, तथा दूसरे देशों से जो माल आता है, उसकी जो कीमतें हैं, उन में पैरिटी हो। कीमतें भी कुछ घटाई जानी चाहियें। जो हमारी मशीनरी है वह कुछ पुरानी हो चुकी है। उस मशीनरी में आज के ढंग से नई तब्दीली करनी चाहिये और दुनिया में जो अच्छी मशीनरी काम में लाई जा रही है उस को हमें अपने यहां लाना चाहिये।

हमारा जो माल होता है वह अच्छे स्टैण्डर्ड का होना चाहिये ताकि बाहर के लोगों में उसके प्रति विश्वास पैदा हो। साथ ही जो स्टैण्डर्ड का माल हम बेचें उस की पब्लिसिटी भी हम को अच्छी तरह से करनी चाहिये।

आजकल हम जो माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस को हमें और भी बढ़ाना चाहिये और जो माल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, उन को एनकरेजमेंट देना चाहिये नई नई फेसिलिटीज़ दे कर। जैसा श्री मोरारका ने कहा, आज हम टाइड लोन्स की पालिसी पर चल रहे हैं। इस की

वजह से हमारी प्लैनिंग कुछ असफल हो रही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम को उसे खत्म करना चाहिये। साथ ही जो हमारे दूसरे तरीके हैं, जैसे कि आई० डी० ए० से लोन लेना और इंटरनेशनल मानिटरी फंड का उपयोग करना, उनका उपयोग ज्यादा करना चाहिये क्योंकि उसके लिये हमें सूद कम देना पड़ता है और उन के इन्स्टालमेंट्स देर देर के होते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम फारेन कोलैबोरेशन के ज्यादा से ज्यादा ऐग्रीमेन्ट्स करते जा रहे हैं। नतीजा यह होगा कि कुछ दिनों बाद फारेन एक्सचेंज के हमारे इन्स्टालमेंट्स बहुत बढ़ते जायेंगे, उन का अमाउंट बढ़ता जायेगा। कहीं ऐसा न हो कि हम इतने अधिक ले लें कि हम खुद उस में डूब जायें। इसलिये अपनी कैपेसिटी के लिहाज से ही उन को लेना चाहिये।

†**श्री प्र० कु० घोष** (रांची पूर्व) : ऐसे समय जब कि हमें एक देश का मुकाबला करना पड़ रहा है उद्योगों का महत्व बढ़ गया है किन्तु हम इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं जिसका कारण यह है कि सरकार की नीति गलत है।

पहले तो सरकार ने ऐसे क्षेत्र में सरकारी उद्योगों का आरम्भ किया है जिन्हें गैर-सरकारी उद्योगपति आरम्भ करने के लिए तैयार थे। सरकारी उद्योगों से सरकार को उतना भी लाभ नहीं हो रहा जितना उतनी पूंजी से ब्याज मिल सकता था। यदि गैर-सरकारी लोगों को उद्योग आरम्भ करने की अनुमति दी जाती तो सरकार को ५० प्रतिशत लाभ तो करों के रूप में प्राप्त हो जाता और वह अपनी पूंजी को बिजली संभरण, परिवहन, नई लाइनें निर्माण करने में लगा सकती थी।

दूसरे उद्योगों के लाइसेंस देने में सरकार ने बहुत प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। यह समझ में नहीं आता कि जो उद्योग बिना विदेशी मुद्रा के स्थापित हो सकते हैं अथवा जिन उद्योगों से विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है उनके लिए भी लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता। इस का कारण कुछ विहित स्वार्थ ही हैं।

एक विदेशी फर्म छोटी कारों का उद्योग स्थापित करना चाहती थी। यदि पहले कुछ वर्ष में कारें निर्यात की जातीं तो हम ऋण लौटाने के लिये विदेशी मुद्रा कमा सकते थे किन्तु कुछ निहित स्वार्थों के कारण सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी।

यदि उद्योगों की अनुज्ञप्तियां उदारतापूर्वक दी जातीं तो उत्पादन बढ़ता जिससे मूल्य कम हो जाते और हम विदेशी मंडियों में प्रतियोगिता कर सकते।

बिलों को बढ़ा कर या घटा कर दिखाने से हर वर्ष व्यापारी लोग १५० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचा लेते हैं जो विदेशी बैंकों में जमा हो जाती है। इससे सरकार को हानि हो रही है। इन व्यापारियों को अनुमति दे देनी चाहिये कि वे विदेशी मुद्रा ले आयें और उनसे यह न पूछा जाये कि उन्होंने इसे कैसे कमाया। तत्पश्चात् आयात निर्यात व्यापार की सख्त निगरानी करनी चाहिये। इससे सरकार को कुछ पैसा आय कर के रूप में मिल जायगा और अन्यथा भी लाभ होगा।

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में बहुत भ्रष्टाचार है। आयात पर अधिक प्रतिबन्ध होने के कारण आयात माल का मूल्य ४००–५०० प्रतिशत बढ़ गया है। सरकार ने इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० कु घोष]

वस्तुओं के विक्रय पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जिससे आयातकर्ता बहुत लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है उस कार्यालय में बहुत भ्रष्टाचार है।

ईरान के साथ हाल में ही हुए समझौते के अनुसार भारत ने सूखा मेवा रुपये की अदायगी के आधार पर ईरान से मंगवाना है। इसके लाइसेंस के लिए कई आवेदन पत्र मंगवाये गये किन्तु १४ लाख रुपये का लाइसेंस राष्ट्रीय कृषि सहकार समिति को दे दिया गया है। इसी प्रकार जिस फर्म को गत वर्ष १६,००० रुपये का लाइसेंस रेडियो आयात के लिए दिया गया था उसे अब ६०,००० रुपये का लाइसेंस दिया गया है।

छोटे पैमाने के उद्योगों में लोगों को रोजगार दिलाने की बहुत क्षमता है किन्तु इस क्षेत्र की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकारी दफ्तरों में इस सम्बन्ध में इतनी औपचारिकताएं हैं कि अधिकांश लोग इन ऋणों का लाभ नहीं उठा सकते।

अन्त में मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग सेवा संस्था, राज्य वित्त निगम आदि अनेक अधिकरणों की बजाय यह कार्य राज्यों के निदेशालयों को सौंप देना चाहिये।

†**श्री ब० बा० गांधी** (बम्बई नगर-मध्य-दक्षिण) : हम में से अधिकांश लोग यह अनुभव करते हैं कि विदेशी व्यापार में हमारी प्रतियोगिता की क्षमता कम हो गई है और हमारी अर्थ-व्यवस्था अधिक व्यय की व्यवस्था बन गई है।

व्यापार बोर्ड का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस का काम विदेशी व्यापार के बारे में परामर्श देने का है और आशा है कि इस से बहुत लाभ होगा।

राज्य व्यापार निगम का काम सराहनीय है। इसलिए नहीं कि इसने १० प्रतिशत लाभांश घोषित किया है बल्कि इसलिए कि इस के द्वारा देशी और विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो गया है और हम फेरो मैंगेनीज़ और मैंगेनीज ओर तथा नारियल का तेल निर्यात करने में सफल हुए हैं।

राज्य उपक्रमों के संबंध में संसद की संयुक्त समिति नियुक्त करने के बारे में सरकार का पुराना वचन पूरा होना चाहिये। तीसरी योजना में सरकारी उद्योग क्षेत्र में १५०० करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जायेगी और चौथी योजना में २५०० करोड़ रुपया अतः उच्च संयुक्त समिति की स्थापना आवश्यक हो गई है।

†**श्रीमती अक्कम्मा देवी** (नीलगिरि) मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हूं। किन्तु मुझे कुछ सुझाव पेश करने हैं।

चाय उद्योग में भारत को अभी तक विदेशी मुद्रा कितनी मिलती है किन्तु दक्षिण के नीलगिरी प्रदेश में ६००० चाय उत्पादकों की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें कीट-मुक्त बीज और कीटाणुनाशक औषधियां नहीं दी जातीं।

आजकल वहां बड़े बड़े जमींदारों को ४००० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से चाय बोर्ड द्वारा ऋण दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि विकास ऋण का काम नीलगिरि सहकार भूमि रहित बक को सौंप दिया जाय। इस से चाय उत्पादकों को वित्तीय सहायता के क्षेत्र में सहकारिता के विकास को बहुत सहायता मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे उत्पादक वित्त की कमी के कारण आधुनिकतम उपायों को उपयोग में नहीं ला सकते जिन से उत्पादन में छै गुना वृद्धि हो सकती है अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे छोटे उत्पादकों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करें ।

कुंदा के सहकारी चाय कारखाने का छोटे उत्पादकों को बहुत लाभ है क्योंकि इस से उन्हें १ पौंड हरी पत्ती पर १ रुपया मिल जाता है । सरकार की नीति सहकारी समितियों को सुविधाएं देने की है । तीसरी योजना में यदि ऐसे और कारखाने खोले जायें तो ये बहुत सफल हो सकते हैं ।

चाय बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त कर के छोटे उत्पादकों को बहुत लाभ पहुंचाया है । गत बार कुन्नूर की नीलामी में उत्पादकों को ५ रुपये प्रति किलोग्राम मिले जब कि उन्हें ४ रुपये मुश्किल से मिलते थे ।

नीलगिरि में २०,००० एकड़ भूमि बंजर पड़ी है और चाय की कृषि आरम्भ करने के लिए अनुमति प्राप्त करना बहुत कठिन है । मेरा सुझाव है कि ५ एकड़ से कम भूमि में कृषि आरम्भ करने के लिए अनुमति माँगने का प्रतिबंध नहीं होना चाहिये ।

चाय बोर्ड में छोटे उत्पादकों का भी प्रतिनिधि होना चाहिये ताकि वे अपनी कठिनाइयाँ बता सकें । इस सम्बन्ध में छोटे उत्पादकों की संस्था ने एक संकल्प भी पारित किया है ।

सरकार ने असम में चाय सम्बन्धी जो स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ किया है वैसा मद्रास में भी आरम्भ करना चाहिये जिस से छोटे उत्पादकों को लाभ पहुंच सके ।

†**सभापति महोदय** : श्री कोया ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : मेरे मित्र श्री श्यामलाल सर्राफ ने मुझे बताया है कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं अनुपस्थित था तो सभापति महोदय ने मेरा नाम पुकारा था ।

†**सभापति महोदय** : नाम मैं ने नहीं पुकारा था और अध्यक्षपद पर बैठे व्यक्ति के समक्ष यह समस्या होती है कि सभी राज्यों के लोगों को अपनी अपनी कठिनाइयाँ बताने का अवसर मिले ।

†**श्री कोया** (कोजीकोड): मैं समयाभाव के कारण वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बड़ी नीतियों के बारे में नहीं बल्कि कुछ समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं ।

सरकार को उद्योगों के लिए स्थान निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि जिन राज्यों में उद्योग कम हैं और जनसंख्या अधिक है वहाँ उद्योग स्थापित किये जायें । मेरा राज्य इस दृष्टि से उपेक्षित है ।

काजू के उद्योग से काफी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जाता है। यह उद्योग अमरीका से आयात पर निर्भर करता है । इस की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

नारियल जटा की चटाइयों का उद्योग इसलिए विफल होता जा रहा है कि इसके यंत्रीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता ।

केरल में मसालों का भी उद्योग है जिसकी रक्षा उसके निर्यात का संवर्द्धन करने से हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोया]

रूस में केलों की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है और केरल में मत्स्य उद्योग के संवर्द्धन के लिए भी काफी गुंजाइश है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि केरल में इलेमेनाइट से टिटेनियम डाइफेक्साइट और लोहा अलग करने का उद्योग पुनः आरम्भ किया जाये।

हथकरघा उद्योग के बारे में एक सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि बार्डर वाली साड़ियों का निर्माण केवल हथकरघे के लिए रक्षित किया जाये। कच्चे लोहे का वितरण समान और न्याय-संगत होना चाहिये।

कपड़े की कितनी मिलों को लाइसेंस दिये गये और कितनी मिलें काम कर रही हैं। मछली पकड़ने के जाल बनाने का उद्योग भी खादी उद्योग में शामिल करना चाहिये।

नेपा मिल का अखबारी कागज बहुत घटिया किस्म का है। विनिमय के आधार पर पाकिस्तान से कागज मंगाने के सुझाव पर विचार करना चाहिये। आशा है सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमारे देश के आर्थिक विकास के क्षेत्र में इस मंत्रालय का बड़ा अधिक महत्व है। परन्तु खेद है कि हम इसकी बड़ी उपेक्षा करते रहे हैं। सब जानते हैं कि देश की प्रगति का रहस्य ही औद्योगीकरण में है। और इस देश में जो हमें हरेक देहाती के घर तक उद्योग पहुंचाने का काम करना होगा। इस मंत्रालय के कुछ महत्वपूर्ण विभागों को समाप्त कर दिया गया है। और यह एक विखंडित ढांचा मात्र रह गया है। वैसे बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति इस मंत्रालय के प्रभारी (इन्चार्ज) रहे हैं।

मेरे विचार में अब इस मंत्रालय के महत्व को महसूस किया जा रहा है। परन्तु मेरा निवेदन है कि यदि इस मंत्रालय ने कुछ काम करना है तो हमें इसका पुनः समुचित संगठन करना होगा। प्रधान मंत्री को इसके पुनर्गठन पर विचार करना होगा। कई बार मैं सोचता हूं कि मंत्रालय की स्थिति कितनी मनोरंजक है, प्रमुख उद्योगपति भी असन्तुष्ट हैं और छोटा व्यापारी भी असन्तुष्ट है। देरी हो जाने की तथा प्रशासनिक कठिनाइयों की दोनों शिकायत करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्रालय के कार्य की विस्तार से जाँच पड़ताल की जानी चाहिए। सारे मामले की जाँच एक सरकारी तथा एक गैर-सरकारी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। और उन्हें कहा जाये कि वे मंत्रालय के कार्य के सुधार के लिए सुझाव दें। यह दुःख की ही बात कही जायेगी कि गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन ६ प्रतिशत से भी कम रहा है। इस वर्ष शायद ८ प्रतिशत होगा। परन्तु इससे पहिले यह उत्पादन काफी अधिक होता रहा है। उत्पादन को आपातकालीन अवस्था में तो बहुत अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात पर विचार किया जाना चाहिए।

यह बात तो अब स्पष्ट हो गयी है कि गैरसरकारी और सरकारी क्षेत्र का विवाद तो अब समाप्त ही हैं। सरकारी क्षेत्र अब स्थायी रूप धारण करके सामने आ गया है और यह उत्तरोत्तर बढ़ेगा। स्थिति को देखते हुए मेरा सुझाव यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक स्थायी समिति की नियुक्ति तत्काल की जानी चाहिए। मंत्रीमंडल में इस बारे में निर्णय हो चुका है परन्तु इसे कार्यान्वित नहीं किया गया। मेरा विचार है कि यदि यह समिति नियुक्त हो जाती तो कई बातें अपने आप ही समय पर ठीक ढंग से निपट जातीं। सरकारी कोष से इस मतलब के लिए धन व्यय करने की आवश्यकता ही न होती।

उद्योगों के प्रसार के बारे में सरकार की नीति भी स्पष्ट है और इस बारे में सरकार ने कई बार निर्णय भी किया है। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस बारे में कुछ भी कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त प्रश्न कुछ क्षेत्रीय असन्तुलन का है। मेरा निवेदन है कि प्रादेशिक विकास के मामले में असमानता को दूर किया जाना बड़ा आवश्यक है। इसी प्रकार ग्रामोद्योग के मामले

†मूल अंग्रेजी में

में भी हम कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाये हैं। देहाती क्षेत्रों में औद्योगिक सम्पदायें स्थापित नहीं हो सकीं ।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यद्यपि लघु उद्योगों में काफी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परन्तु उनकी सहायता के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं। उनके लिए विदेशी विनियम कर्ज अथवा कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं की गई है। यदि सरकार द्वारा लघु उद्योगों की सहायता के लिए कोई पग न उठाये गये तो इन उद्योगों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ेगा। छः आठ मास के अन्दर अन्दर कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

†**श्री अ० चं० गुह (बारसाट) :** यह मंत्रालय बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसकी रूप रेखा के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सारी स्थिति देखने पर पता चलता है कि सरकार मंत्रालय के काम के बारे में गम्भीर नहीं है। इस बात की ओर भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जा रहा कि इस मंत्रालय से यदि विकास शाखा को निकाल दिया गया तो मंत्रालय का काम ही कैसे चलेगा ।

सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा कर रखी है। परन्तु इस नीति के बावजूद कुछ ही हाथों में अर्थ शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है। पहला नोविक समिति के प्रतिवेदन का जो सार प्रकाशित हुआ है उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि यह केन्द्रीकरण किस प्रकार चल रहा है। इस पर भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें १०–१५ वर्षों से संरक्षण प्राप्त होता रहता है। परन्तु इससे भी सामान की और अथवा लागत कम करने की दिशा में कोई सुधार हुआ दिखाई नहीं देता। संरक्षण का लाभ गैर सरकारी क्षेत्र खूब उठा रहा है ।

प्रशुल्क आयोग की कोई बात नहीं करता। मैं तो कहूंगा कि प्रशुल्क आयोग को यह पता लगाने का उचित अधिकार दिया जाय ताकि वह देखें कि उत्पादन लागत कैसे कम हो सकती है। यह समझना तो सरासर अन्याय है कि संरक्षण का अर्थ यह है कि उपभोक्ताओं का शोषण किया जाय ।

मैं कुछ अपने राज्य की बात करता हूं। पटसन के उत्पादकों के हितों का बलिदान किया गया है। निर्माताओं के हितों को प्राथमिकता दी गयी है। कच्चे पटसन के लिए मूल्य-निर्धारण नीति को बहुत ही गलत ढंग से कार्यान्वित किया गया है उसका कुछ भी प्रभाव नहीं रहा। फालतू स्टाक संघ ने १९६१–६२ में केवल ११ लाख गांठ पटसन खरीदी जब कि उत्पादन ८० लाख गांठों का था। मतलब यह कि उत्पादन ४ करोड़ मन का था। मेरे विचार में तो यह अच्छा होता कि राज्य व्यापार निगम को कच्चे पटसन की खरीद और मिलों को सम्भरण करने और निर्मित पटसन का सामान निर्यात करने का एक मात्र अधिकार दे दिया जाता ।

बीजों के निर्यात का भी एक प्रश्न है। बीजों के निर्यात का काम भी केवल एक दो समवायों तक ही सीमित है। बाजार दाम बढ़ रहा है परन्तु किसानों को बहुत ही कम दाम दिये जा रहे हैं। बीज की खरीद और निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम को सौंपा जाय तो अच्छा है। निर्यात करने से पूर्व बीजों का रसायनिक परीक्षण भी होना चाहिए। पुनर्वास उद्योग को इस मतलब के लिए बनाया गया था कि कुछ लोगों को रोजगार दिया जाय और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० च० गुह]

कुछ लोग का आर्थिक पुनर्वास हो जाय । परन्तु इस दिशा में इसकी सफलता बहुत अधिक नहीं रही है । अतः मेरा कहना है कि निगम को स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारी समितियां बनानी चाहिए । वहां विस्थापित भी काफी मात्रा में बसे हुए हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : सभापति महोदय, उद्योग और व्यापार मंत्रालय हमारे देश के जीवन के हर एक क्षेत्र से ताल्लुक रखता है और इस का मुख्य आदर्श और लक्ष्य मुल्क की आर्थिक व्यवस्था को समाजवाद की तरफ़ ले जाना है । उस आदर्श को देखने से हम को बहुत आनन्द होता है, लेकिन जहां तक अमल का सम्बन्ध है, इस मंत्रालय को नीति का असर यह हो रहा है कि जो ग़रीब है, वह और ग़रीब होता जा रहा है और जो अमीर है, वह और अमीर होता जा रहा है । **रूरल इंडिया** के एडिटोरियल में लिखा गया है जिसमें लिखा है कि सरकारी नीति के कारण गरीब और गरीब अमीर और अमीर होता जा रहा है । जिसमें लोगों में काफी निराशा और असन्तोष है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

देश में समाजवाद स्थापित करने की दृष्टि से छोटे उद्योगों को जो मदद और सहायता मिलनी चाहिए, वह बिल्कुल नहीं मिल रही है । बड़े बड़े उद्योगों को छोड़ कर मैं मंत्री महोदय का ध्यान सिर्फ़ हैंडलूम इंडस्ट्री की तरफ़ दिलाना चाहता हूं ।

हमारे देश में कृषि के बाद हैंडलूम इंडस्ट्री का दूसरा स्थान था, लेकिन अब उस में बहुत कुछ कमी आ रही है । जब तक हम इस उद्योग को प्रोत्साहित नहीं करते और उस को रिज़र्वेशन नहीं देते, तब तक इस देश में वह फैलने वाला नहीं हैं । मैं वर्किंग स्टडी ग्रूप फ़ार दि हैंडलूम इंडस्ट्री, १९५९ की फ़ाइंडिंग्ज़ को आप के सामने पढ़ना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि :

धोतियों और साड़ियों का उत्पादन कुल कपड़े के उत्पादन का २० प्रतिशत है । इसे हथकरघा में लिया जा सकता है । इसके लिए हाथ करघा उद्योग को संरक्षण मिलना चाहिए यदि ऐसा न किया गया तो इसके आगे रुकावटें आती रहगी । इस तत्वको हम बहुत दिनों से गौरव प्रदान करते आए हैं और उस का आदर करते आए हैं । कांग्रेस के ध्वज में जो चर्खा है, अगर हम उस को आनर करना चाहते हैं, उस को गौरव देना चाहते हैं, तो फिर हैंडलूम इंडस्ट्री की मदद के लिए आगे जाना ज़रूरी है । जब तक एक निश्चित स्वरूप से उस की सहायता नहीं की जायगी, छः या दस पैसों के रीबेट से यह सनअत या उद्योग ज़िन्दा रहने वाला नहीं है । यह उद्योग इस वक्त मर रहा है और अब वक्त आ गया है कि इस को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जायें । इस को बचाने के लिए एक पैसा भी कर्ज़ या सहायता या रीबेट देने की ज़रूरत नहीं है । हम एक पैसा भी नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं कि धोती और साड़ीज़ को और कम से कम कलर्ड साड़ीज को हैंडलूम के लिए रिज़र्वेशन दिया जाये । तभी यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ।

सरकार की ओर से कई मर्तबा बड़े फ़ख़्र के साथ इस हाउस में स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज़ की एस्टेट्स बनाने का ज़िक्र किय गया है । उस के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है : कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है । दूसरी योजा के अन्त तक ६७ औद्योगिक सम्पादायों का निर्माण किया गया है और ३०००० लोगों को रोजगार दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की आबादी चालीस करोड़ है और सैकंड प्लान के अन्त तक सरकार केवल तीस हज़ार लोगों को एम्पलायमेंट दे सकी है । इस प्रकार कम से कम एक करोड़ लोगों का, जो कि

इस उद्योग में हैं, एम्पलायमेंट देने के लिए कितना समय लगेगा, यह बात इस रिपोर्ट से आईने की तरह साफ़ हो जाती है । अगर यही अवस्था रही, तो इंडस्ट्रियल एस्टेट की यह योजना बिल्कुल फ़िजूल और नाकाम साबित होगी ।

हमारे बहुत से उद्योगों में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, उन के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है । पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की ४२वीं रिपोर्ट (सैकंड लोक सभा) में कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री से सम्बन्धित पैराग्राफ्स १६ से ले कर ३२ तक की जो सम्मरी पेज ३४७ पर दी हुई है, वह मैं आप के सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । इसमें ४५,०१२ रुपये की हानि का उल्लेख है । आडिट रिपोर्ट ने बार बार इस तरह की चीजों का ज़िक्र किया है, इस तरह की इंस्टीट्यूशंज़ के खिलाफ जो एक्शन नहीं लिया गया है, उसका ज़िक्र किया है फिर भी आपका ध्यान उधर नहीं गया है । मैंने आपके सामने एक ही उदाहरण पेश किया है । १६ से ३२ तक आपके मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाली जो इंस्टीट्यूशंज़ हैं, उनके बारे में जो पी० ए० सी० की रिपोर्ट हैं, उन में बार बार डिसिप्लनरी एक्शन लेने की बात कही गई है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है । क्यों नहीं लिया गया है, मैं चाहता हूं यह हमें आप बतायें । दस रुपये की अगर कोई चोरी करता है उसको तो साल भर की सज़ा हो जाता है, लेकिन जो इस तरह की बड़ी बड़ी इरेगुलैरिटीज़ करते हैं इतनी सीरियस इरेगुलरिटीज़ करते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता और जो रिकोमेंडेशन की जाती है, उस पर आप अमल ही नहीं करते हैं । इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहियें और इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

जापान को जो डैलीगेशन आया था, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । उसने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर कहा है कि :

> "औद्योगिक सहकारी समितियों का उत्पादन लगभग २९,००० रुपये का है । हथकरघा बुनकरों का उत्पादन २६०० है । इस तरह प्रति व्यक्ति यह बिक्री २५० रुपये फैलती है । सामूहिक दृष्टि से सहकारी समितियों के उत्पादन की बिक्री कम ही है ।"

अगर फी मैम्बर २५० रुपये का ही एक साल में व्यापार हो सकता है तो क्या कुछ एक आदमी को इस से मिल सकता है, इस को आप देखें । हैंडलूम के लिए, कोओप्रटिव्ज़ के लिए आपने इतना पैसा लोगों को दिया है, इतना फाइनेंस दिया है और सेल का एक बड़ा जाल बिछाया है, बड़ा इंतज़ाम किया है, लेकिन इतना कुछ होने पर भी २५० रुपये फी मम्बर का व्यापार ही हो रहा है । रा मटीरियल वगैरह के खर्चे को छोड़ कर अगर दस परसेंट ही उस को आप नफा दें तो इस का मतलब यह हुआ कि उन को २५ रुपये या ४० रुपये या ५० रुपये ही ज्यादा से ज्यादा साल में मिलते हैं । इतनी सी कमाई पर वह कैसे ज़िन्दा रह सकता है, इस का अंदाज़ा आप लगायें । मैं २८ लाख भाइयों के नाम पर जोकि हैंडलूम के काम में लग हुए हैं, आप से पुरजोर अपील करता हूं कि हैंडलूम बोर्ड का चेयरमन जोकि टैक्सटाइल का चेयरमन भी है, इन दोनों पदों को आप अलग कर दें, हैंडलूम का जो चेयरमन हो, वह अलग से हो । जो आदमी हैंडलूम में इंटिरेस्ट रखता है, जो घरेलू उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को आप इस का चेयरमैन नियुक्त करें । अगर आप इन दोनों को मिला कर रखते हैं, तो काम ठीक तरह से नहीं चल सकता है । आज हैंडलूम और टैक्सटाइल्ज़ में एक कम्पीटीशन सा चल रहा है । आप देखें कि अन्दरूनी तौर पर हैंडलूम के बारे में कैसी पालिसी चल रही है । यह ऐसी पालिसी है कि हैंडलूम पनप नहीं सकता है, इसकी तरक्की नहीं हो सकती है । मैं आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं । जो डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्य

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

यार्न है, उस को ही आप देखें, कैसा यार्न हैंडलूम्ज़ को दिया जाता है, इस को आप देखें। जो बिल्कुल खराब कपास होती है, जो अनस्टेपल कपास होती है, उस को ले कर जो धागा या यार्न बनाया जाता है, उस को हैंडलूम के लिए रिजर्व किया जाता है और जिस काउंट के यार्न की वीवर्ज़ को जरूरत होती है, जिस काउंट का यार्न वे डिमांड करते हैं, वह उन को नहीं मिलता है। इसी तरह से रा मैटीरियल जो इम्पोर्ट किया जाता है, उस में भी बहुत ज्यादा पक्षपात से काम लिया जाता है। यह तरीका नहीं है काम करने का। इस तरह से गरीब बच नहीं सकता है। रा सिल्क आज जो आप इम्पोर्ट करते हैं, उस में भी बहुत सी शिकायतें सुनने में आती हैं और बहुत सी गलतियां की जाती हैं। रा सिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन और यार्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वह पक्षपातपूर्ण होता है। इस से उद्योगों को बहुत धक्का लग रहा है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप रिबेट के तौर पर पैसा कम दे रहे हैं। आप बहुत पैसा दे रहे हैं, अधिक से अधिक पैसा आप खादी और हैंडलूम पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन इन पैसों से ही ये उद्योग जिन्दा नहीं रह सकते हैं। हम आप का पैसा भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मार्किट आप हमारे लिए हमेशा के लिए रिजर्व कर दें। कोई भी क्षेत्र हो, आप हमारे लिए हमेशा के लिए रिजर्व कर दें। जब तक ऐसा नहीं होता है, ये उद्योग जिन्दा नहीं रह सकते हैं। आप का पैसा बरबाद होता जायगा। जो एक्चुअल वर्कर है, जो काम करने वाला है, जो हैंडलूम पर बैठता है या जो चर्खा चलाता है, उस को फायदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर आप पैसा खर्च करते गये तो जी बीच की एजेंसीज़ हैं, खादी भंडार है जो बड़े बड़े चलाने वाले हैं, उन की परवरिश आप भले ही कर लें, गरीब का हित नहीं हो सकता है। २५० रुपये फी मेम्बर अगर आप सालाना बेचते हैं तो इस में कैसे उस गरीब आदमी का पेट भर सकता है। हैंडलूम या खादी बोर्ड को आप स्पून फीडिंग एजेंसीज़ न बनायें, खाना खिला कर इन को आप ज़िन्दा रखने की कोशिश न करें। खादी और हैंडलूम तभी ज़िन्दा रह सकते हैं जब आप इन के लिए एक क्षेत्र निश्चित कर दें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी और काउंट का यार्न दस परसेंट या बीस परसेंट या पच्चीस परसेंट हैंडलूम्ज़ के लिए रिजर्व कर दें। साथ ही साथ टैक्सटाइल का जो चेयरमैन है, उस को जरूर हैंडलूम से हटा दिया जाना चाहिए।

समाजवाद की स्थापना की दृष्टि से आप कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ हमारे देश में पनपें, इन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले। जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वहां पर चन्द इंडस्ट्रीज़ लगाने की जब आप से दरख्वास्त की जाती है, तो आप की तरफ से रिसपांस नहीं मिलता है। अगर कोई कोओप्रेटिव सोसाइटी बनाई जाती है और आप उस को लाइसेंस दे देते हैं तो भी देखा गया है कि उस को कैंसल कर के आप किसी इंडिविजुअल को, किसी बड़े पूंजीपति को लाइसेंस इशू कर देते हैं, या कम्पीटीशन में किसी और को खड़ा कर देते हैं। तुंगभद्रा का जो एरिया है, वह बहुत डिवेलेप्ड एरिया है और वहां पर गन्ना बहुत पैदा होता है। वहां पर एक सहकारी सोसाइटी, कोओप्रटिव शूगर फैक्ट्री बनाई गई और छः लाख उस के लिए इकटाठा भी कर लिया गया और खुशी की बात है कि आप ने उस के लिए लाइसेंस भी इशू कर दिया लेकिन छः महीने के बाद ही उस का लाइसेंस कैंसल कर के किसी दूसरे पूंजीपति को को लाइसेंस इशू कर दिया गया। वह पूंजीपति भी कुछ अर्से के बाद ज़मीन इत्यादि बेच कर और प्राफ़िट ले कर चला गया। नतीजा यह है कि अब वहां कोई शूगर फैक्ट्री नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिये। आप को चाहिये कि आप कोओप्रटिव शूगर फैक्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कमलापुर और गंगावती दो ऐसी जगहें जहां पर गन्ना बहुत पैदा हो रहा है। वहां से आप के पास लाइसेंस की एप्लीकेशन्स आई हुई हैं लेकिन आप ने अभी तक मंजूरी

नहीं दी है। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस की मंजूरी दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। वहां का जो डिवेंलेपमेंट है, वह बिल्कुल रुक जायगा।*

एक आखिरी बात मैं आयरन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आयरन ओर आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इतनी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करने से बाद जब हमें उसकी जरूरत महसूस हो तो हमें कमी पड़। कैपिटल गुड्ज के लिए हमें उस की जरूरत पड़ सकती है। लोहा बनाने के लिए उस की बाद में जा कर हमें कमी महसूस हो सकती है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि जहां तक हो सके, आयरन ओर को आप लिमिटिड क्वांटिटी में ही एक्सपोर्ट करें।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : यह हर्ष की बात है कि मंत्रालय अपनी कार्य विधि में परिवर्तन लाने की सोच रहा है। हो सकता है कि सुधार हुआ तो मंत्रालय के विभिन्न अंगों में आगे से अधिक समन्वय हो जाय। मेरे विचार में सब से अधिक काम और सब से अधिक विभाग इस मंत्रालय के अन्तर्गत ही है। मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वह हमें समाजवाद के वास्तविक अर्थ समझायें। क्योंकि समाजवाद के बारे में विभिन्न दिशाओं से विभिन्न आवाजें निकलती रही हैं और इस से काफी भ्रांति फैली हुई है। जिम्मेदार लोग भी स्पष्ट बात नहीं कर रहे।

लेनिन ने एक बार कहा था कि सोवियट शक्ति में विद्युत् जमा कर देने से समाजबाद का निर्माण हो जायेगा। परन्तु इतिहास ने यह बात गलत सिद्ध की है। समाजवाद तो अपने परिमापों के सुधार से ही निर्माण हो पायेगा। हमें देश के उतादनका उचित वितरण करना होगा। हमें समाजवाद की बातें करते हुए अपनी परम्परा और संस्कृति का ध्यान रखना चाहिये, इस के बिना हमारे समाज में सुखदायी व्यवस्था नहीं लाई जा सकती। यही सुख हो तो मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य है।

आज के जीवन में कई निराशायें और भ्रांयिं चल रही हैं। हम वास्तविकता से बहुत दूर जा रहे हैं। हमें विभिन्न प्रकार की हवाई कल्पनाओं में नहीं उड़ना चाहिये। आज तो समाजवाद के नाम पर एक आदर्शहींन शोषण हो रहा है। आज की अनिश्चित स्थिति का लाभ उठाने के लिए लोग खूब समाजवाद का नाम लेते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यिपूर्ण है। सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र का एक अस्वस्थ विवाद चल रहा है। कई राजनीतिज्ञों का हित इसी में ही है कि यह विवाद चलता रहे परन्तु देश के हित में इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

ब्रिटेन की लोक सभा में कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व एक प्रार्थना की जाती है। जिस में प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि वह सदस्यों को विवेक और बुद्धि दे ताकि वे किसी प्रकार भी दलगत स्वार्थों से प्रभावित न हो। परन्तु हमारे यहां गैर सरकारी क्षत्रों पर आक्रमण हो रहे हैं। सरकार इस बारे में कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पा रही। इस से देश में एक निराशा की लहर पैदा हो गई है। आप जितने भी कर अथवा अधिलाभ कर लगायेंग उस से यह निराशा और बढ़ेगी और अन्ततोगत्वा इस का हमारी अर्थ व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव होगा।

देश के राजनीतिक वायुमंडल में भी एक प्रकार की अस्थिरता सी दिखाई देती है। प्रत्येक मंत्री भी अपनी ही बात करता दिखाई देता है। संसद् में हमें इस प्रकार विधि का निर्माण तथा नीति का निर्माण करना चाहिये ताकि देश में कोई अनुचित बात न होने पाये केवल पूंजीपतियों का नाम लेने से और उन्हें गाली देने से तो समाजवाद का निर्माण नहीं हो सकता। मेरा मत तो यह है कि देश की बहुत सी औद्योगिक क्षमता व्यर्थ में ही नष्ट हो रही है उस का कोई उपयोग नहीं हो रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

आज की आपातकालीन स्थिति में भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा । क्षेत्रीय असन्तुलित स्पष्ट चल रहा है । एक की ही थाली में सारा खाना डाल देने की प्रवृत्ति चल रही है । इस मामले में सुधार करने के लिए हमें अन्य देशों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिये । प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी एक ही क्षेत्र में उद्योगों का केन्द्रीकरण कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता ।

राज्य पुरस्कृत वित्त अभिकरणों के गुणीकरण को आम तौर पर पसन्द नहीं किया गया । प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रवृत्ति की निन्दा की है । अपनी १२२वें प्रतिवेदन में समिति ने इस बारे में सविस्तार लिखा भी है । उन्हों ने यह भी कहा है कि वर्तमान वित्त अभिकरणों के अतिरिक्त एन० आई० यू० सी० की स्थापना करना भी फालतू ही है । साथ ही मेरा यह भी कहना है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निर्माण में देरी नहीं की जानी चाहिये । सभा को यह भी बताया जाना चाहिए कि सरकारी उपक्रमों में २५ प्रतिशत तक सार्वजनिक सहयोग की अनुमति देने की सिफारिश को कार्यान्वित करना कैसे सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के संबंध में १९६१–६२ के प्रतिवेदन का मैं स्वागत करता हूं । इसमें उनके कार्यों का पूर्ण चित्र दिया गया है । जो कुछ है वह ठीक है परन्तु उसमें अभी और सुधार की बहुत गुंजाइश है । प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि एक कर्मचारी आयोग की स्थापना की जाय ताकि सरकारी उपक्रमों में भर्ती के समय परिवार पोषण की प्रवृत्ति को रोका जाय, और किसी को शिकायत करने का अवसर न रहे । नमक उपक्रमों के बारे में मेरा निवेदन है कि वहां स्थानीय जनता के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिये । 'सोडा एश' संयंत्र का भी तुरन्त स्थापन हो जाना चाहिये । इसमें देरी नहीं होनी चाहिये ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मेरा विचार था कि माननीय सदस्य बहुत कड़ी आलोचना करेंगे परन्तु सामान्यतः लोग मेरे मंत्रालय के कार्य से सन्तुष्ट रहे, यह बहुत सन्तोष की बात है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रथम योजना के अन्तर्गत ६१३ करोड़ रुपये का विदेशी व्यापार हुआ । दूसरी योजना में यह राशि ६२२ करोड़ की हो गयी । इन १० वर्षों में निर्यात व्यापार की स्थिति प्रवाह रुका हा रहा है । इसे देखते हुये हो योजना आयोग और भारत सरकार ने अपना दृष्टिकोण बदला और तीसरी योजना में विदेशी व्यापार और निर्यात व्यापार में वृद्धि करने का निर्णय किया । तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में विदेशी व्यापार के संबंध में काफी प्रगति हुई है । ७४० करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष विदेशी व्यापार हुआ हैं । इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि हमारे सामने तो बड़ा व्यापक अर्थ व्यवस्था के विस्तार का है । गत वर्ष ३० से ४० करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यापार भी हो गया । इस वर्ष भी किसी प्रकार की निराशा का कोई प्रश्न नहीं है । हम चाहते हैं कि प्रतिवर्ष ७४० करोड़ का निर्यात हो तो ४० करोड़ रुपये का और अधिक निर्यात करना ही होगा । हम १४००० करोड़ रुपये का देश में उत्पादन करते हैं । उसमें से यदि ७४० अथवा ७५० करोड़ रुपये का निर्यात हो भी जायेगा तो यह ५ से ५॥ प्रतिशत तक चलेगा । यह कोई असम्भव बात नहीं है । मैं सेदन के सहयोग और आशीर्वाद में विश्वास रखता हुं और मुझे पूर्ण आशा है कि इस दिशा में ये निर्धारित लक्ष्य अवश्य पूरे हो जायेंगे । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जो रचनात्मक पग उठाये गये हैं वे मैं सेदन के सामने रखता हूं । अब हमारा प्रयत्न यह है कि विदेशी व्यापार को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर रखा जाये । इसके लिये हमने विभाग को तीन उपविभागों में बांट दिया है : पदार्थ उपविभाग,

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक उपविभाग और सेवा उपविभाग। जो पदाधिकारी पदार्थ उपविभाग में काम करेंगे, वे तीन या पांच वर्ष तक उस विषय का ही काम करेंगे। उन्हें प्रदेशों और सेवाओं के बारे में कुछ नहीं करना पड़ेगा।

अब मैं प्रादेशिक उपविभाग को लेता हूं। अब तक बहुत से पदाधिकारी बहु से देशों के बारे में काम करते थे। अब हमने विश्व के पांच उपविभाग बना दये हैं। विदेशी व्यापार का एक निदेशक लेटिन अमेरिका और अमेरिका के लिये, दूसरा ब्रिटेन, युरोपीय समुदाय और पश्चिमी युरोप के लिये, तीसरा साम्यवादी देशों के लिये, चौथा अफ्रीका और पश्चिम एशिया के लिये और पांचवा ऐशिया और ऐक्षिण पूर्व एशिया के लिये। जब ये पदाधिकारी सारी दुनिया की बजाय विशेष देशों का काम करते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता है।

इन पांच निदेशकों का न केवल सम्मेलन होता रहेगा बल्कि वे उन क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे और व्यापार आयुक्तों से मुलाकात भी करेंगे और देखेंगे कि वे किसे तरह काम कर रहे हैं और उनकी त्रुटियां क्या हैं। मुझे विश्वास है कि व्यापार आयुक्त इतने बुरे नहीं हैं, जितना कि उन्हें बताया गया है, उन के काम का समन्वय किया जाना है और उन्हें भारत में लाकर यह बताया जाना है कि यहां कौन कौन सी वस्तुएं उपलब्ध हैं और उचित बाजार अनुसंधान के लिये क्या क्या आवश्यकतायें हैं। अतः प्रादेशिक उपविभाग का काम भी विशेष रुप से होगा।

इसके बाद सेवा उपविभाग है। यह सच है कि हमारे बहुत से निर्यात औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं के कारण रुक जाते हैं। इसलिये यह परिवहन निदेशक, प्रेरणा निदेशक, किस्म नियंत्रण निदेशक, वाणिज्य प्रचार निदेशक और प्रदर्शनी निदेशक का काम होगा कि वे इन पांच विशेष विषयों का ध्यान रखें और यह देखें कि प्रत्येक निर्यातक की उचित सेवायें प्राप्त हों।

भारत एक ऐसा देश है जिस में निर्यातकों की संख्या सब से अधिक है परन्तु विदेशी व्यापार सब से कम है। पुरानी सामन्तवादी अर्थ व्यवस्था के कारण, व्यापारी लोगों का विदेशी व्यापार और औद्योगिक विकास के मामले में वैज्ञानिक और प्रगतिवादी दृष्टिकोण नहीं था।

इसलिये हमारे निर्यातक अधिक सक्षम होने चाहियें। विश्व में प्रतिस्पर्धा बहुत है। जब तक हम ठीक किस्म की चाय पैदा नहीं करते, आइसे अच्छी तरह पक नहीं करते और इस के लिये निर्यात मंडी नहीं ढूंढते या बढ़ाते हम उन मंडियों को बढ़ा नहीं सेकेंगे। पटसन के मामले में, आप विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना सकते हैं और आप को २५ से १०० प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इसलिये व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है जबकि देश के विदेशी व्यापार और निर्यात को अधिक वैज्ञानिक आधार पर रखा जाये, निर्यात गृह या विभाग या एकक खोल कर, जिसे भी वे पसन्द कर। यदि २०० या ५०० औद्योगिक संगठन विदेशी व्यापार को अपने ध्येय बना लें, तो भारतीय व्यापारी जापान या अमेरिका या ब्रिटेन का मुकाबला कर सकते हैं।

अब मैं वस्तुओं को लेता हूं। इस वर्ष के ७०० करोड़ रुपये की रकम में से २० वस्तुओं के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है। वे ये हैं : पटसन, चाय, चीनी, तिलहन, बनस्पती तेल, दाल, तम्बाकू, कच्ची खाल और चमड़ा, नारियल की जटा और उससे बनी वस्तुए, लोहा अयस्क, खादी जिसमें रेशम और ऊन भी सम्मिलित है, रेशम के कपड़े, इंजीनियरिंग का सामान, रसायन और प्लास्टिक, अभ्रक, बाक्साइट तयार किये हुये, जुड़े हुये तथा न जड़े हुये हीरे मोती और गहने, गलीचे और हाथ का बना हुआ सामान। इन २० वस्तुओं का बहुत महत्व है, इनमें से कुछ परम्परागत हैं, कुछ नई हैं और कुछ तैयार की हुई हैं।

[श्री मनुभाई शाह]

अब मैं इन २० वस्तुओं को एक एक करके लेता हूं। पश्चिम बंगाल के सदस्य ने कहा है कि पटसन उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। वास्तव में पटसन के उत्पादन और निर्यात के चालू वर्ष में सब से अधिक वृद्धि हुई है। पटसन की मिलों का आधुनिकीकरण हो चुका है। कताई संयंत्रों का आधुनिकीकरण भी हो चुका है। बुनाई और अनेकता लाने के क्षेत्र में ५० प्रतिशत आधुनिकीकरण हो चुका है। मैं अपने पटसन मिल मालिक मित्रों से कहूंगा कि वे अनेकता लाने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न करें और बोरियों के स्थान पर टाट और गालीचे के कपड़ों की ओर ध्यान दें।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कतारा) : वित्त निगम द्वारा पटसन मिलों को बहुत ऋण दिये गये थे, क्या उसेके बाद आधुनिकरण हुआ है?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। १७ या १८ करोड़ रुपये के वितरण के बाद कताई विभाग का १०० प्रतिशत आधुनिकीकरण हुआ है और बुनाई विभाग का ५० प्रतिशत। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पटसन उद्योग के विस्तार के लिये हमने ६ करोड़ रु० के ऋण की मंजूरी दी है जिसमें से पहले २ करोड़ रुपये विभिन्न प्रकार की मशीनरी के आयात के लिये आवंटित की गई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस उद्योग का निर्यात सब से अधिक है और इससे कई सालों तक हमें सहायता मिलती रहेगी।

पटसन के मूल्यों के बारे में, मैं एक घोषणा करना चाहूंगा। मूल्यों में सहायता देने के कार्य के फलस्वरूप, हमने ५० लाख गांठों के साधारण स्कन्ध के अतिरिक्त, जो कि उद्योग ने खरीदा था, ७,५०,००० गांठों का आपातकालीन स्कन्ध भी बना लिया है। चूंकि विदेशों में पटसन की वस्तुओं की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिये पटसन उद्योग का उत्पादन भी बहुत बढ़ा है। हमारी आवश्यकताइयें इतनी हैं कि उत्पादन और भी बढ़ाया जा सेकता है।

स्थिति का पुनर्विलोकन करते हुये भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य व्यापार निगम और कृषि सहकार संघ द्वारा किये जाने वाले आपातकालीन संग्रह और क्रय कार्य को जारी रखा जाये और आसाम के पटसन का मूल्य कलकत्ता में १९६२-६४ में उस स्तर पर जो १९६२-६३ के चालू मौसम में था, अर्थात् ३० रुपये प्रति मन पर बनाये रखा जाये। पटसन की घटिया किस्मों के अस्थायी अन्तर भी जारी रहेंगे। पटसन उद्योग गालीचों में लगाये जाने वाले कपड़े का और टाट का अधिक उत्पादन कर रहा है, किन्तु कपड़े की बोरियों के मामल मे हमें पाकिस्तान से मुकाबला करना पड़ रहा है जिसकी मिलों को कम मूल्यों पर कच्चा पटसन मिल सकता है। इस लिये अधिक अच्छा माल बनाने के लिये उद्योग को अच्छी किस्म का अधिक पटसन चाहिये। इसलिये मैं पटसन उत्पादकों से कहूंगा कि वे अच्छी किसम के और बढ़िया प्रकार का पटसन अधिकाधिक उगाय और निम्न श्रेणियों का पटसन कम से कम उगाय, क्योंकि ऐसा करने से ही हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सेकते हैं और मूल्यों में हम उन्हें हर प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं। यह भी आवश्यक है कि घटिया किस्म के पटसन को बढ़िया बना कर न बेचा जाय और इसके लिये वर्गीकरण प्रबन्ध सन्तोषजनक होने चाहियें। इस विषय में खाद्य और कृषि मंत्रालय का कृषि विपणन सलाहकार उत्पादकों को वर्गीकरण के मामले में सहायता देगा।

यहां मैं यह भी कहूंगा कि अधिक अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिये, पटसन उत्पादक अधिक अच्छी किस्म का पटसन उगायें ताकि हम उन्हें पूरा लाभ दे सकें। अधिक लम्बे समय के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

हम कृषकों को बढ़िया किस्म का बीज दे सकेंगे। इसके लिये खाद्य और कृषि मंत्रालय नये पग उठा रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम): क्या सरकार को मालूम है कि पटसन की मिलों के मालिकों ने यह शंका प्रकट की है कि पटसन के उत्पादन और निर्यात का उत्तम समय बीत चुका है और अब शीघ्र मन्दा आने वाला है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: हमें यह निराशा नहीं है। पटसन मिलों के लोगों को अधिक आशावादी बनने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने चालू वर्ष में उन के कार्य की सहारना की है। किन्तु हमें उत्पादकों का भी ख्याल रखना है। जब तक उन की सहायता न की जाये, बढ़िया किस्म का पटसन मिलों को नहीं मिल सकेगा।

†**श्री सिंहासन सिंह** : उत्पादक को कितना मूल्य दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रेलवे भाड़े के अनुसार यह मूल्य ३० रुपये होगा।

अब मैं चाय को लूंगा। चाय उद्योग का काम १९६२–६३ में बहुत अच्छा रहा है। हम ने अधिक अच्छी चाय पैदा करने, सिंचाई सुविधा देने, मशीनरी के लिए ऋण देने, और उत्पादकों को वित्त देने के लिये ९ करोड़ रुपये विभिन्न तरीकों से दिये हैं। मैं श्रीमती अकम्मा देवी को आश्वासन देता हूं कि नीलगिरी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, और केरल के छोटे उत्पादकों के बारे में अब उन के सुझावों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें सब लाभ पहुंचाये जायेंगे। उन्होंने नीलगिरी के सहकारी कारखाने की सराहना की है मैं इस के लिये उनका आभारी हूं। इसी प्रकार का एक और कारखाना पंजाब में कुलु घाटी में खोला जायेगा।

चाय के निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं चाय उत्पादकों को आश्वासन देना चाहता हूं कि चाय के निर्यात के हितों का हमें बहुत खयाल है और चाय के उत्पादन व्यय के बारे में दिये गये रचनात्मक सुझावों पर तुरन्त विचार किया जायेगा। यह उद्योग देश के लिए बहुत महत्व-पूर्ण है और इस को उर्वरक, कीटाणुनाशक आदि की सुविधायें दी जाती रहेंगी।

चीनी के मामले में हम एक समय इसे घाटे पर बेच रहे थे। अब चालू वर्ष में, विश्व स्थिति के कारण, यह निर्यात लाभप्रद हो गया है। और इस वर्ष किसी साहाय्य की आवश्यकता नहीं होगी। चीनी उद्योग को स्थायी दीर्घकालीन आधार पर रखने के लिये अब हम कदम उठा रहे हैं। चालू वर्ष में हम ने ४½ लाख टन का सौदा किया है और यह पांच लाख टन तक बढ़ सकता है। अगले ३ या ४ वर्षों में ५ से ७½ लाख टन तक या १० लाख टन तक उत्पादन बढ़ सकता है और जब उत्पादन इतना बढ़ जायेगा, तो हमें विश्व की मंडियों भी मिल सकेंगी।

एक सदस्य ने पूछा है कि खली का निर्यात क्यों किया जाये। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि चालू वर्ष में हमने खली से ३० करोड़ रुपया कमाया है। हम ने अपने देश की आवश्यकता पूरी करने के बाद इसका निर्यात किया है और इस के लिये विश्व में मंडियां मिल सकती हैं। अन्य देशों में जिन में इसका आधिक्य है, हमारे साथ मुका-बला कर रहे है। इस को सदन का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह पशुधन या कृषि धन को हानि पहुंचा कर नहीं किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

वनस्पति तेलों के सम्बन्ध में, हम ने समझा था कि हम विश्व की मंडी खो चुके हैं, किन्तु अब पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इस वर्ष इस विषय में अच्छा काम हुआ है और अगले साल और भी अच्छा होगा ।

दालों से भी हमें बहुत लाभ पहुंचा है और पहुंचता रहेगा ।

तम्बाकू से भी अच्छे परिणाम निकले हैं। इस वर्ष हम ने नई नीति की घोषणा की है। हम ने विभिन्न प्रकार के साफ़ किये हुए तथा वर्जिनिया तम्बाकू के निम्नतम मूल्य अधिसूचित कर दिये हैं; जिस से आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जहां वर्जिनिया तम्बाकू पैदा होता है, काफ़ी संतोष हुआ है। अगले वर्ष इस से और भी लाभ होगा ।

यद्यपि कच्ची खालों और चाम का निर्यात अधिक हुआ है, तथापि तैयार चमड़े के निर्यातों में, प्रतिरक्षा और आपात कालीन आवश्यकताओं के कारण, कुछ कमी हुई है।

नारियल की जटा और उस से बनाई गई चीज़ों के विषय में हम यन्त्रीकरण कर रहे हैं। चटाई और बुनाई के एक तिहाई क्षेत्र का यंत्रीकरण हो चुका है ।

लोहा अयस्क के सम्बन्ध में, हमने गोआ को मिलावट कर देश से १०५ लाख टन निर्यात किया है। अगले साल यह १२० लाख टन हो जायगा और १९७० के अन्त तक हमें आशा है कि यह २५० लाख टन या ३०० लाख टन हो सकता है। मैसूर के सदस्य ने पूछा था कि हम इसे निर्यात करते ही क्यों हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे पास १०,००,००० लाख टन लौह अयस्क है और यदि हम ने विश्व का सब से बड़ा इस्पात उद्योग भी स्थापित कर लिया, तो सैंकड़ों सालों तक पर्याप्त होने के बाद, हम इसे अन्य मंडियों में विदेशी मुद्रा के लिए बेच सकते हैं। यदि हम निर्यात न करें, तो और लोग करेंगे और विदेशों में इस्पात उद्योग हमारे लोह अयस्क पर निर्भर नहीं रहता।। इसलिये हम लोहा अयस्क के निर्यात के विकास के लिए सब पग उठ रहे हैं। मैं शीघ्र इस सत्र में या अगले सत्र में २५० लाख से ३०० लाख टन लोहा अयस्क निर्यात करने के काम में सहायता देने के लिए २०० से २५० करोड़ रुपये का विनियोग करेंगे, जो कि सड़कों, पत्तनों, रेलवे व्यवस्था के विकास पर और माल लादने की सुविधाओं पर खर्च किया जायेगा ।

हथकरघा वस्त्रों और खादी के उत्पादन में भी कमी काफी प्रगति हुई है । इस समय हम प्रतिवर्ष १५० लाख से २०० लाख गज वस्त्र का विदेशों को आयात किया जाता है । इससे प्रगति स्पष्ट है ।

रेयन के वस्त्रों में भी निर्यात में काफी प्रगति हुई । इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में भी २० परसेंट की वृद्धि हुई है । हमें आशा है कि निकट भविष्य में इंजीनियरिंग सामान का काफी निर्यात होगा ।

रसायन, प्लास्टिक्स, माइका तथा बाक्साइट के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है ।

तराशे हुए, बे तराशे हीरे, मोती, जवाहरात बहुत बहुमूल्य यह हैं। राजस्थान, जयपुर, खम्बात, मेटटपल्यम तथा उत्तर प्रदेश, में इन के कई अच्छे कारीगर हैं। इस मद से देश को ८ से ९ करोड़ तक आय होती है ।

इस मद में भी प्रगति का बहुत क्षेत्र है।

जहां तक सोने के जवाहरातों का सम्बन्ध है, मैं उस के सम्बन्ध में योजना सभा के समक्ष रखूंगा । हम ने एक ऐसी योजना समाप्त की है जिस के अधीन २२ कैरट, १४ कैरट या उस से कम की सोने के आभषणों के निर्यात के लिये कुछ सवर्द्धन सहायता दी जायेगी ।

गलीचों का निर्यात एक समय कम हो गया था तथापि पिछले ४—६ महीनों से स्थिति काफी अच्छी है। हम भदोई , मिरजापुर व काश्मीर में कुछ प्रशिक्षण स्कूल खोलेंगे जिस से गलीचा बुनकरों की संख्या में वृद्धि हो। इन स्कूलों में पुराने कारीगरों को प्रत्यास्चरण पाठ्यक्रम दिया जायेगा । इस प्रकार निर्यात के लिये अधिक गलीचे तैयार हो सकेंगे।

हस्तकला की वस्तुऐं, जिन में हाथो दांत का सामान तथा लकड़ी का सामान शामिल है, इन के निर्यात में काफी प्रगति हुई है ।

कई कारणों से वित्त में विश्व के बाजार की अवस्था, हमारी ओर से दुर्बलता, उत्पादन की कमी इत्यादि कारण हैं, काजू मसाले मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात स्थिर रहा है । इन के लिये हमें काफी प्रयत्न करना पड़ेगा ।

सूती कपड़े, मेंगनीज, फैरो मेंगनीज, लोहे का चूरा, कच्ची रूई, कच्चा ऊन , रूई की रद्दी, कहवा तथा तैयार चमड़ा के निर्यात में कमी हुई है । कई कारणों से सूती कपड़े के निर्यात में पिछले दस वर्ष से कमी होती जा रही है । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि तीसरी परियोजना में प्रस्तावित २० मिलें शीघ्र से शीघ्र खुलें। तथापि निर्यात की राशि के लिये हमें कुछ असाधारण प्रयत्न करने होंगे ।

हमें इस संबंध में दिशा परिवर्तन के लिये पर्याप्त कोशिश करनी होगी । आज कल बाजार में कई प्रकार के कृत्रिम वस्त्र आ गये हैं। अतः विश्व के उपभोक्ता केवल रूई के वस्त्र नहीं पहनते हैं। अतः इस उद्योग की प्रगति के संबंध में विचार करने के लिये हमें सभी प्रकार के वस्त्रों को शामिल करना होगा ।

जहां तक कपास की कीमतों का संबंध है, कीमतें अधिकतम रही हैं। मैं इसकी न्यूनतम कीमतों की घोषणा अगले सप्ताह में करूंगा। हम ने कपास उगाने वालों के अभ्यावेदनों पर विचार किया है तथा मैं उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि यदि वे अच्छी किस्म की कपास उगाने का प्रयत्न करेंगे तो अधिक अच्छा होगा । भारत में कपास की कीमतें काफी ऊंची हैं। इससे अधिक कीमतें रखने से भारतीय सूती कपड़ा विश्व के बाजार में नहीं टिक सकेगा।

मैं सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि केवल ऊंची कीमतें रखने से ही उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी बल्कि उसके लिए हमें अच्छी खाद, अच्छे बीज तथा उर्वरकों का व्यवहार करना चाहिये। वस्तुतः लागत का विकास कीमतों के सम्बन्ध में बहुत जागरूक रहता है तथा उसे पहिले से बहुत अच्छी कीमत मिलती है ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी आयी है । हमने अभी हाल में इस नीति की घोषणा की है कि इस्पात के बदले में मेंगनीज अयस्क का विनियम किया जा सके। हम इस आधार पर ९ करोड़ रुपये का मैंगनीज बेच चुके हैं। हम इस सम्बन्ध में सुझावों का स्वागत करते हैं। अब भारतीय मेंगनीज को कई बड़े देशों से मुकाबला करना होता है। गेबन, काँगो, ब्राजील तथा रूस समस्त मेंगनीज के ५० से ६० प्रतिशत का उत्पादन करते हैं। हमारी उत्पादन लागत १९ से २०

[श्री मनुभाई शाह]

डालर आती है जब कि गेबन में वह केवल १० से १२ डालर है। अतः यदि खान मालिक इस सम्बन्ध में सहयोग नहीं करेंगे तो बाजार में नहीं टिक सकेंगे। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि मेंगनीज का निर्यात १० से १२ लाख टन प्रतिवर्ष बना रहे।

लोह मेंगनीज में निर्यात की बहुत कमी हुई है। हमें ७ करोड़ के स्थान पर केवल ७० लाख डालर ही मिल सके हैं। हमारी लोह मेंगनीज की कीमत विश्व में सब से अधिक है। इस वर्ष हम सी० सी० सी० वस्तु विनियम के आधार पर अमेरिका को निर्यात कर सकेंगे इसके अतिरिक्त हम वस्तु विनिमय के आधार पर और अधिक लोह मेंगनीज देना चाहते हैं।

लोहे के कबाड़ का भी निर्यात घटा है। इसमें से अब कीमत नियंत्रण हटा दिया गया है तथा १०० प्रतिशत इस्पात के विनिमय की अनुमति दे दी गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि जापान जो इस्पात के चूरे का मुख्य खरीददार था वहाँ मंदी आ गई है।

कच्ची कपास के उत्पादन में कमी आ गई है। इस वर्ष ५२ लाख गाँठों के स्थान पर केवल ४२ लाख आँठों का उत्पादन हुआ है अतः हम अधिक रूई का निर्यात करने में असमर्थ रहे हैं।

प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के कारण कच्ची ऊन का निर्यात कम हुआ है इसके सम्बन्ध में असंतोष का कोई कारण नहीं होना चाहिये।

कहवा का उत्पादन पिछले वर्ष २५,००० टन कम हुआ है। इसका कारण यह था कि कुछ दक्षिण भारतीय बागानों में बाढ़ आ गई थी। कहवे में डाई बैक की एक बीमारी भी हो गई है उसके उपचार के लिये वनस्पति शास्त्री प्रयत्न कर रहे हैं। तथापि यह बीमारी इतनी व्यापक नहीं है जितना कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं। तथापि हम उस बीमारी पर गौर कर रहे हैं तथा जहाँ कहीं भी कृमिनाशकों की आवश्यकता होती है उनका संभरण किया जाता है।

उक्त ९ वस्तुओं में से ६ के बारे में मेरा विचार है कि उनसे इस वर्ष अच्छी आय हो सकेगी।

वित्त मंत्री ने कुछ आय कर की छूट देने की घोषणा की है। यह निगम (कारपोरेट) कर का १० प्रतिशत है। यह उस ५ प्रतिशत के अलावा है। तीसरी घोषणा वित्त मंत्री ने कल की थी। अतः अधिसूचना में उल्लिखित सारी वस्तुएं यह आय कर तथा निगम (कारपोरेटन) कर में से १५ प्रतिशत की छूट होगी। वित्त मंत्री ने ३.८० करोड़ रुपये की एक "बिक्री विकास निधि' की स्थापना की है। भारत संचित निधि के अनुदान से इस राशि की प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहेगी। इस निधि को कम करने के लिये आर्थिक कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है जो यह देखेगी कि राशि का उचित तरीके से तथा शीघ्रातिशीघ्र उपयोग किया जाये।

इस राशि में से ७५ लाख रुपये बाजार अनुसंधान, वस्तु अनुसंधान सर्वेक्षण को दिया जा सकेगा। १ करोड़ रुपये नौपरिवहन में भाड़े की सहायता के रूप म दिये जायेंगे। २.१० लाख निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा वस्तु बोर्डों को दियें जायेंगे। हम आशा करते हैं कि समिति शीघ्र ही अपना कार्य आरम्भ करेगी तथा उसके कार्य में सुधार किया जा सकेगा।

रेलवे मंत्रालय ने निर्यात के लिये जाने वाले माल पर भाड़े में रियायतों की घोषणा की है। जहाँ विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में बहुत विषमता है वहाँ ५० प्रतिशत रियायत दी

गई है अन्य स्थानों में यह रियायत २५ प्रतिशत होगी। इस वर्ष इस प्रकार २.५ करोड़ रुपये की रियायत दी गई है।

तथापि केवल प्रोत्साहनों से निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकती है। इसके लिये उन व्यापारियों को जिन्होंने निर्यात में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, देश में मुनाफे में इस प्रकार कटौती करनी होगी जिससे कि वह विदेशों के घाटे को पूरा कर सके। देश में संरक्षित बाजार को देखते हुए उनका यह कार्य देश के लिये हितकर समझा जायेगा। हमने कई सामाजिक और आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप उनके व्यापार को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण दिया है। अतः हमें इतना मुनाफाखोर नहीं होना चाहिये कि हम विदेशी मुद्रा कमाने की ओर ध्यान न देवें। इस से उन्हें कोई घाटा नहीं है। घाटा देश में प्राप्त होने वाले मुनाफे से पूरा हो जाता है। विदेशों में, सर्वाधिकार बन्दी राष्ट्रों में भी यही किया जाता है।

हमने इसे अनिवार्य बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया है। तथापि हम चाहते हैं कि यह स्वेच्छा से ही किया जायेगा तो अधिक अच्छा रहेगा। हमारे सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, विचारकों तथा समाचार पत्रों ने भी इस बात पर जोर डाला है कि वे इसे एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर दीर्घकालीन स्तर पर कार्य करें। यदि हम ऐसी फर्म से, जो २, ५, या १० करोड़ मुनाफा कमा रही है यदि निर्यात में २० या ४० लाख का घाटा उठा लेने को कहें तो यह बुरी बात नहीं है। यदि हमारे व्यापारी इस प्रकार का रुख अख्तियार करेंगे तो उससे देश में स्वस्थ्य नैतिकता तथा चेतना को प्रोत्साहन मिलेगा।

कुछ समय पूर्व मैंने निर्यात नीति के ऊपर एक लेख लिखा था। उसमें यह कहा गया था कि इस देश का व्यापार, व्यापारिक समुदाय और सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम, बाह्य बातों को जानने वाले तथा विदेशी व्यापार पर और निर्यात पर ध्यान देने वाले हो जायें और इस बात का यत्न करें कि उन में से प्रत्येक काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाकर देश के प्रति अपने राष्ट्रीय कर्त्तव्य का पालन करें, कम से कम अपने उपक्रमों की वित्त व्यवस्था तो कर ही लें। यह हमारे लिये संभव नहीं हो सकता कि हम काफी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिये सारी दुनिया में जायें। लोग आखिर कहाँ तक देंगे? और आगे जा कर हमारा आयात १००० करोड़, १५०० करोड़ और २००० करोड़ रुपये का होगा। इसके लिये वित्त का प्रबन्ध कैसे होगा? यह विदेशी ऋण अथवा शर्त सहित ऋण से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिये वित्त की व्यवस्था देश के निर्यात से प्राप्त आय से ही की जायेगी। इसलिये उनसे मेरी यही अपील है।

हम कुछ तरकीबों और नीतियों को लागू करना चाहते हैं। पहले ही हमने किस्म नियंत्रण आरम्भ कर दिया है। इसके विषय में देश में काफी बातें कही गई हैं। हमने कुछ वैधानिक उपाय भी अपनाये हैं। कुछ दिनों पूर्व मैंने आपकी आज्ञा से सभा के सम्मुख किस्म नियन्त्रण (निरीक्षण) विधेयक प्रस्तुत किया है। बहुत शीघ्र यह कानून बन जायेगा। १ जनवरी, १९६३ से हमने किस्म नियंत्रण आरम्भ कर दिया है और अब तक ३९ पदार्थ किस्म नियन्त्रण के अन्तर्गत आ चुके हैं। पहले व्यापारिक समुदाय इस विषय में कुछ भयभीत हुआ था किन्तु अब सब इसकी उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। श्रेणी एक अच्छी नीति ही नहीं, इससे हमें आय भी होती है। एक बार यदि विदेशी व्यापारी को यह विश्वास हो जाये कि भारत से भरोसे का माल खरीदा जा सकता है तो भारत के माल से विदेशियों की अनुरक्ति उतनी ही हो जायेगी जितनी हमारे पूर्वजों के समय में थी और फिर हम अपने माल के ऊंचे दाम वसूल कर सकते हैं। हमारे व्यापारी समुद्रपार अपना माल बेचा करते थे। आप छठी अथवा सातवीं

[श्री मनुभाई शाह]

शताब्दी का इतिहास पढ़ें। ह्यु आन त्साँग और रमेश चन्द्र दत्त ने क्या कहा है? भारतीय व्यापारी अपने वचन और वायदे के लिये प्रसिद्ध था। एक बार यदि कोई व्यापारी किसी प्रकार का माल बाहर भेज देता था तो इसके पुत्र और पौत्र उसी प्रकार का उसी श्रेणी का माल भेजते रहते थे। आजकल के वैज्ञानिक युग में किस्म नियंत्रण, प्रबन्ध-नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण लगा दिये गये हैं। उन्हें, समुदाय, प्रोद्योगिकियों और प्रबन्धकगण का सहयोग प्राप्त है। अब उन्हें किस्म के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इन नये उपायों के द्वारा लोग किस्म के विषय में अधिक सचेत हो जायेंगे।

हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि तीन अथवा चार वर्षों में उन सारे पदार्थों पर जिनकी किस्म पर नियंत्रण किया जा सकता है, नियंत्रण लागू किया जाये। मैं व्याख्या के रूप में कुछ कहना चाहूंगा। किस्म नियंत्रण का यह अर्थ नहीं कि मनमाने रूप से कोई मापदण्ड स्थिर कर दिया गया है। यह क्रेता और विक्रेता के बीच निर्यात का एक ठेका है। जहां तक नमूने का प्रश्न है, यदि खरीदने वाला कुछ निम्न कोटि का माल चाहे तो, विक्रेता को चाहिये कि उसे वही माल दे और आगे भी देता रहे।

मुझे इसका कुछ अनुभव है। कुछ वर्ष पूर्व मैं नीदरलैंड गया था वहां मैंने नारियल की जटा की बनी हुई एक चीज देखी। नमूने की चटाई में कई रंग थे और बुनाई भी अच्छी की गई थी। किन्तु गांठ खोलने पर पता चला कि सबका रंग बहुत हल्का और भद्दा था। लोग इस बात को पसंद नहीं करते। कुछ बुरे लोग होते हैं जिनके कारण सब लोगों को शर्मिन्दा होना पड़ता है। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि यहां का व्यापारी समुदाय किस्म के विषय में सचेत रहे और हमारे बनाये हुये विधानों द्वारा अपनी स्वयं की संहिता लागू करे।

दूसरी बात विपणन गवेषणा और पदार्थ गवेषणा की विधि है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं व्याख्या के रूप में कह सकता हूं कि चालू वर्ष में २३९ विपणन गवेषणा और पदार्थ गवेषणा संबंधी प्रतिवेदन तैयार किये जा चुके है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रतिवेदन तैयार किये ही नहीं। पिछले वर्षों में भी हमने ऐसा किया था। इस वर्ष इस संबंध में कई कार्यक्रम कार्यान्विति किये गये हैं। कुछ व्यापारिक संस्थाओं, पदार्थ बोर्ड और निर्यात वृद्धि परिषदों ने ऐसा किया है। सरकार ने स्वयं ने ऐसा किया है। बहुत से व्यापार आयुक्तों ने, जिस जिस देश का प्रभार उनके अधीन है, उसके संबंध में, प्रतिवेदन भेजे हैं। किन्तु विपणन गवेषणा को अब भी वास्तविक वैज्ञानिक रूप दिया जाता है। इसलिये हम विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था को गठित करने का विचार कर रहे हैं जो चालू वर्ष के जून या जुलाई माह से कार्य आरम्भ कर देगी। हमने पहले ही इसकी व्यवस्था कर दी है। यह "ब्रिटिश इन्स्टिट्यूट आफ एक्स्पोर्ट" और कुछ कुछ जापान के निर्यात व्यापार गवेषणा संगठन 'जेट्रो' के समान होगी। हमने इसे कुछ-कुछ विदेशी व्यापार की रूसी अकादमी और उनके "इंस्टिट्यूट आफ कंजंक्चर" नामक शीर्ष विदेशी व्यापार संस्था की शकल देने का प्रयत्न किया है। यह रूप में सब पदार्थों के नौवहन, विपणन गवेषणा और क्षेत्र सर्वेक्षण के संबंध में सबसे बड़ी संस्था है। अमरीका में इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत से विश्व विद्यालयों में विशेष गवेषणा विभाग हैं और विदेशी व्यापार के संबंध में बहुत सारी संस्थायें कार्य कर रही हैं।

हमारे देश में वाणिज्य स्नातकों को, जो कालेज की परीक्षा पास करते हैं, विदेशी व्यापार की विशेष शिक्षा दी जानी चाहिये। उसे यह नहीं सोचना चाहिये कि कोई पदार्थ स्वयं बिक जायेगा। कैसे उसे बेचा जायेगा, कैसे पैक किया जायेगा, कैसे उसे प्रस्तुत किया जायेगा, तालिका कैसे बनाई जायेगी, बीजक या बिल कैसे बनाया जायेगा, इन सब बातों से खरीदने वाले पर प्रभाव पड़ता है। इन सब क्रियायों की श्रेणी के विषय में सचेत इस प्रतियोगी दुनियां में यह बहुत आवश्यक है कि हम विदेशी व्यापार के विशेषज्ञ उत्पन्न करे और पदार्थ गवेषणा कार्यक्रम बनायें। विदेशी व्यापार की भारतीय संस्था एक प्रकार का केन्द्रबिन्दु होगी। हम विश्वविद्यालयों और देश के वाणिज्य और आर्थिक प्रगति संबंधी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। इससे प्रोफेसर और अर्थ शास्त्री देश में और देश से बाहर विपणन गवेषणा और क्षेत्र सर्वेक्षण में प्रगति करने के लिये परस्पर सहयोग से कार्य कर सकेंगे।

विपणन के संबंध में प्रचार के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है। यह कार्य अभी पर्याप्त रूप से नहीं किया जा रहा। किसी और अवसर पर मैं इसका उल्लेख करूंगा। हम वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि विपणन संबंधी प्रचार, प्रकाशन, विज्ञापन इत्यादि के कार्य में किस प्रकार प्रगति लाई जाये। ३.८० करोड़ रुपये के कोष में से कुछ रुपया विपणन संबंधी प्रकाशन, विज्ञापन, प्रचार आदि के लिये रखा जायेगा। मुझे आश्चर्य है कि इंगलैंड का बोर्ड आफ ट्रेड भारत के पदार्थ और निर्यात व्यापार के संबंध में चाहे वह सार्वजनिक रूप से हो या निजी, अधिक अच्छी और अधिक जानकारीपूर्ण पुस्तिकायें निकालते हैं। इससे यह पता चलता है कि विदेशों में विदेशी व्यापार के संबंध में पिछले वर्षों में कितनी अधिक रुचि ली जा रही है। इसलिये हम जब तक उनकी बराबरी नही करते तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिये यह आवश्यक है कि यदि हमें विदेशी व्यापार में वृद्धि करनी है तो यथा संभव शीघ्र हम इसे वैज्ञानिक और आधुनिक आधार पर खड़ा करे।

मैंने सभा का बहुत समय लिया है। मैं केवल यही कहूंगा कि जो कुछ हमने किया वह बहुत कम और अपर्याप्त है। जो कुछ भविष्य में करना है वह केवल अन्यत्र कठिन ही नहीं है, बल्कि मैं कभी कभी यह सोच कर परेशान भी हो जाता हूं कि इस स्थिति को बनाये रखने और प्रति वर्ष निर्यात में वृद्धि करने के लिये चालीस-पचास करोड़ रुपया वार्षिक का प्रबन्ध कैसे किया जायेगा। इसके लिये इस देश के व्यापारिक समुदाय और सभा का सहयोग, तथा माननीय सदस्यों और समाचार पत्रों के ठोस सुझाव की आवश्यकता है। मैं विशेषतः इस देश के समाचार-पत्र वर्ग से अपील करूंगा कि वह निरंतर प्रशासन और व्यापारिक संस्थाओं से निर्यात में वृद्धि करने के संबंध में निकट सहयोग से कार्य करने का आग्रह करते रहें और वह उद्योगपतियों और व्यापारियों को अधिकाधिक निर्यात करने के लिये प्रेरित करे। यह राजनैतिक दलों, हितबद्ध दलों, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की सीमाओं से दूर, एक राष्ट्रीय समस्या है। सारा विदेशी व्यापार चाहे यह निर्यात हो या आयात, राष्ट्रीय समस्या है। यहां समाचार पत्र वर्ग के निकट सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें चाहिये कि ठोस सुझाव दें। हम सब मनुष्य हैं गलती कर सकते हैं। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि समाचार-पत्रों में लेखों, सम्पादकीय लेखों, और देश के समस्त व्यापारिक समुदाय के प्रति कथन द्वारा ठोस प्रयास किया जाये और निरन्तर मार्ग दर्शन किया जाये जिससे, जापान, जर्मनी, रूस, अमरीका, ब्रिटेन ने जो कुछ किया और प्रोफेसर हालस्टेन के शब्दों में यूरोपीय संघ ने जो कुछ किया वह भारत भी कर सकेगा।

[श्री मनुभाई शाह]

श्रीमान्, मैं आज यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने आपका बहुत समय ले लिया है। मैं किसी दूसरे उचित अवसर पर इस नीति के विषय में, जिसे सब जानते हैं, और विश्व व्यापार की समस्याओं के विषय में और अधिक बातों पर प्रकाश डालूंगा।

†**श्री जोकीम आल्वा** : चाय का विदेशी मंडियों में मुख्य स्थान है। क्या कम से कम तृतीय योजना के अंत तक हम चाय के संबंध में विदेशी मंडियों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : श्री मोरारका आपेक्षिक स्थिति के बारे में जानना चाहते थे। आज इस संबंध में हम सबसे आगे हैं। किन्तु फिर भी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हमें यह कम कीमत पर और अधिक किस्मों की, चाय अधिक मात्रा में उत्पन्न करना है। हमने उस दिशा में कार्य करना है। चाय हमारे लिये सब से अधिक आय अर्जित करने वाला दूसरा पदार्थ है। इससे पहले जूट आता है। चाय में हमारी स्थिति लंका और पाकिस्तान से, पृथक पृथक देखते हुये अच्छी है।

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से थोड़ा खुलासा चाहता हूं। कौटेन टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज की चीजें बाहर के दूसरे देशों से कम्पीट नहीं करती हैं, ऐसा आपका कहना है, लेकिन देश के कई कारखाने बंद हैं क्योंकि उनको मौडर्नाइज करने के लिए जब वह गवर्नमेंट से पर्वानगी मांगते हैं तो उनको उसकी परमिशन नहीं मिलती है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए गवर्नमैंट ने क्या सोचा है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य को पता है कि ५२२ मिलों में से १० मिलें बंद हुई थीं। अब कुछ आदमी बुड्ढे भी हो जाते हैं और कुछ मशीनरी रद्दी और खराब भी हो जाती है और अगर थोड़े बहुत कारखाने बंद भी हो गये तो उससे क्या हुआ ? अब देखना तो यह है कि नई मिलें बन रही हैं, नये कारखाने लग रहे हैं उनको बिलकुल मौर्डन बेसिस पर लगायें। तीसरे प्लान में कम से कम २००–२५० नये कारखाने लगने जा रहे हैं और वह बिलकुल मौर्डन बन रहे हैं।

श्री तुलशीदास जाधव : यह तो ठीक है लेकिन...

अध्यक्ष महोदय : अब आज के लिए इतना ही काफी होगा। हम कल को फिर ११ बजे सुबह मिलेंगे। श्री राने प्रतिवेदन उपस्थापित कर सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना): श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ९ अप्रैल, १९६३/१९ चैत्र, १८८५ (शक) के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मल अग्रजा म

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ८ अप्रैल, १९६३

१८ चैत्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३६६९—९१
तारांकित प्रश्न संख्या		
७५९	आयुध कारखानों के कर्मचारी	३६६९—७१
७६०	बड़ाहोती	३६७१—७२
७६१	दिल्ली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	३६७२—७५
७६२	जम्मू तथा काश्मीर में सैनिक स्कूल	३६७५—७६
७६३	पोर्ट ब्लेयर में आकाशवाणी केन्द्र	३६७६—७७
७६४	लोक सहायक सेना	३६७७—७९
७६५	लंका में सेवानियोजित भारतीय	३६७९—८२
७६६	साइप्रेस से खच्चरों की खरीद	३६८२—८३
७६८	नागा-विद्रोहियों के छापे	३६८४—८५
७६९	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	३६८५—८७
७७०	सशस्त्र सेनाओं का प्रशिक्षण	३६८७—८८
७७१	भारतीय सेना में पहाड़ी डिवीजन	३६८८—९१
७७२	विश्वविद्यालयों में रोजगार सहायता तथा मार्गदर्शन ब्यूरो	
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३६९१—३७२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७६७	भविष्य निधि पर व्याज	३६९१—९२
७७३	जम्मू से काश्मीर को जाने वाला राष्ट्रीय राजपथ	३६९२
७७४	फ्रांस सरकार के साथ करार	३६९२—९३
७७५	सेना की नई कमान	३६९३
७७६	बर्मा से भारतीयों का बड़ी संख्या में जाना	३६९३—९४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

७७७	फिल्मों का सेंसर किया जाना . . .	३६६४
७७८	चौथी योजना का प्रारूप	३६६४
७७९	रेलवे तथा प्रतिरक्षा मंत्रालयों में अनुशासन संहिता .	३६६४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५८५	भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई . .	३६६५
१५८६	लोक सहायक सेना	३६६६
१५८८	उड़ीसा में रिक्त स्थानों की अधिसूचना . .	३६६६
१५८९	सेना में भरती	३६६७
१५९०	तीसरी योजना में मजदूर . . .	३६६७
१५९१	आकाशवाणी के ट्रांसमीटर . . .	३६६७–९८
१५९२	उड़ीसा में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना . .	३६९८
१५९३	जेपुर (उड़ीसा) में ट्रांसमीटर . . .	३६९८
१५९४	उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार . . .	३६९८–९९
१५९५	शंकर समिति	३६९९
१५९६	युद्ध सम्बन्धी प्रचार	३६९९–३७००
१५९७	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के सेनाछात्रों को उपाहार भत्ता .	३७००
१५९८	नागा आक्रमणकारियों द्वारा एक असैनिक काफिल पर छापा	३७००
१५९९	स्थायी श्रम समिति	३७०१
१६००	यूरोपीय देशों से सहायता	३७०१
१६०१	टेलीविजन के जरिये शिक्षा .	३७०२
१६०२	प्रादेशिक सेना	३७०२
१६०३	आकाशवाणी से प्रसारण	३७०२
१६०४	पंजाब के लिए पंचायती रेडियो . . .	३७०३
१६०५	मद्रास पत्तन में गोदी मजदूर योजना .	३७०३
१६०६	मद्रास में औद्योगिक एकक .	३७०३
१६०७	विदेशों में भेजे गये भारतीय अफसर . . .	३७०४
१६०८	इज़राइल जाने वाले भारतीय .	३७०४
१६०९	अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट की भारत यात्रा .	३७०४–०५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६१० माहे में काश्तकार ३७०५
१६११ सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड . . . ३७०५–०६
१६१२ सुरक्षा परिषद् में चीन-पाक सीमा समझौते का प्रश्न ३७०६
१६१३ विद्रोही नागाओं द्वारा लाई गई जाली भारतीय मुद्रा ३७०६–०७
१६१४ आकाशवाणी द्वारा पंजाबी पुस्तकों की समीक्षा . ३७०७
१६१५ कोठागुडम में बहुप्रयोजनीय संस्थायें . . ३७०७
१६१६ सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी ३७०७
१६१७ राष्ट्रीय राजपथ तथा सीमावर्ती सड़कें ३७०८
१६१८ पंजाब की पहाड़ियों पर व्यय . . ३७०८
१६१९ तामिल कलाकार ३७०८–०९
१६२० चल चित्र संस्था, पूना . ३७०९
१६२१ बच्चों के लिये वृत-चित्र . . . ३७०९
१६२२ वैज्ञानिक विषयों पर वृत-चित्र . . ३७०९–१०
१६२३ नौसैनिक जहाज का कारखाना . . . ३७१०
१६२४ सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी ३७११
१६२५ पैराशूटों का आयात ३७११
१६२६ ध्वनि की गति से भी अधिक तेज़ चलने वाले लड़ाकू जैट विमान ३७११–१२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३७१२

सचिव ने राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां सभा पटल पर रखीं :

(१) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६३

(२) कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक, १९६३

अनुपस्थिति की अनुमति ३७१२

इक्कीस सदस्यों को लोक-सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गयी ।

विषय पृष्ठ

सदस्यों द्वारा वक्तव्य . . . . ३७१२—१५

(१) श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने १ अप्रैल, १९६३ का गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रजा समाजवादी दल के विरूद्ध सभा में लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने उसके उत्तर में एक वक्तव्य दिया।

(२) डा० पं० श० देशमुख ने १९५९–६० में नई दिल्ली में हुए विश्व कृषि मेले के लिये सरकार को दिये गये किराये के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये एक वक्तव्य दिया .

विधेयक—पुरस्थापित ३७१६

बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक, १९६३ .

अनुदानों की मांगें . . ३७१६—६२

(१) प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ३७६२

पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंगलवार, ९ अप्रैल, १९६३ / १९ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान और परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा । . . .

GMIPND—LS III—244 (Ai) LSD—31-5-63—160.

	पृष्ठ
श्री व० बो० गांधी .	३७४४
श्रीमती अक्कम्मा देवी	३७४४–४५
श्री कोया	३७४५–४६
श्री हरिश्चन्द्र माथुर .	३७४६–४७
श्री अ० चं० गुह .	३७४७–४८
श्री शिवमूर्ति स्वामी .	३७४८--५१
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी .	३७५१–५२
श्री मनुभाई शाह .	३७५२--६२
कार्य मंत्रणा समिति	३७६२
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	
दैनिक संक्षेपिका	३७६३--६६

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।